राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का ५८वां दिवस [संख्या ३६

बुधवार, दिनांक ९ मई, १९६२

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बजकर १० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, विद्युत, वित्त, सार्वजनिक निर्माण, पंचायत, सहकारी, यातायात एवं कृषि -विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री भगराज ।

ग्राम राजीकावास में डाका

५४०, श्री **भगराज चोधरी** (रानीवाड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि विगत १९ जनवरी को जसवन्तपुरा थाने के राजीकावास गांव में डाका डाला गया और डकैत करीबन डेढ़ लाख का माल लूट कर ले गये ?

(२) यदि हां, तो क्या उक्त डकैती में नामजद डकैतों को सरकार ने पकड़ लिया है ?

(३) यदि डकैत पकड़े नहीं गए हैं तो इसका क्या कारण है तथा कब तक उन्हें पकड़ लिये जाने की संभावना है ?

(४) क्या उक्त डकैती में लूटा गया माल भी वापिस मिलने की संभावना है ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) इस डकैती में मनोनीत डाकू में से एक डाकू मुठभेड़ में मार दिया गया और ऐसी आशंका है कि बाकी डाकू भारतीय सीमा को पार कर पाकिस्तान में भाग गये। इनको पकड़े जाने के लिये सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं। फिर भी इस संबन्ध में निश्चित आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

(४) मामले का अनुसंधान हो रहा है तथा माल वापिस मिलने व डाकुओं को पकड़ने के हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं। फिर भी इस सम्बन्ध में कोई निश्चित आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

Page No. 2

श्री भगराज चौधरी : थोड़े दिन पहले एन्टी डकैती एक्शन चला था उसमें जो डकेत डाके में नामजद हैं उनमें से कितने पकड़े गये या मारे गये और कितनी डकैती की रिकवरी हुई ?

श्री मथुरादास माथुर : जो नामजद डाकुओं में नाथूसिंह सोडा मर गया और प्रोपर्टी रिक्वर हुई है वह कोई ऐसी प्रोपर्टी नहीं है जो डकैती की प्रोपर्टी हो।

श्री भगराज चौधरी : क्या यह सही है कि डकैती करीबन दो-तीन माह पहले हो चुकी और सरकार ने शीघ्र एक्शन नहीं लिया; इसलिए यह सरकार डकैतों को पकड़ने में असफल हुई ?

श्री मथुरादास माथुर : डकैती होते ही, इत्तला मिलते ही सरकार ने शीघ्रातिशीघ्र एक्शन लिया, लेकिन डाकू निकल गये। उसके बाद बराबर कोशिश जारी रही और ऑपरेशन चल रहा है। डकैती होने के बाद जो ऑपरेशन हुआ उसमें एक डाकू मारा गया। ऑपरेशन अब भी चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : यह सवाल बार बार सदन के सामने आता है कि डाकू डकैती डाल कर पाकिस्तान भाग गये। इन्टरनेशनल लॉ में एक पर्स्यूट होता है, उसे होट पर्स्यूट कहते हैं, उसकी जानकारी माननीय सदस्यों को होगी। मै सदन में निवेदन कर दूं कि जहां कहीं भी दो देशों की इन्टरनेशनल बाउन्डरी मिलती है, उसके अनुसार अगर कोई पुलिस फोर्स डेकोइट्स वगैरह का ऑपरेशन में पीछा करती है तो उनको बाउन्डरी क्रोस करने का अधिकार होता है, कितनी दूर वे होट पर्स्यूट में जा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रिन्सिपल को राजस्थान सरकार इस्तेमाल करती है या नहीं ? अगर कोई हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट से इसके बारे में दिक्कत है, तो उनसे इस बारे में जांच करनी चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : The principle of hot pursuit has not been accepted by the Pakistan Government.

श्री हरिप्रसाद शर्मा : पर, माननीय अध्यक्ष, यह इन्टरनेशनल रिकग्नाइज्ड प्रिन्सिपल है इसके अन्दर दो देशों में डिफरेन्स है, उस डिफरेन्स ऑफ ओपीनियन का सवाल नहीं है; डिफरेन्स ऑफ ओपिनियन का सवाल नहीं है मेरी जानकारी में।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : जो बाड़मेर में डकैत आये थे उसमें ट्रक वाले का पता सरकार को चला ?

श्री मथुरादास माथुर : उन ट्रक वाले का पता लग गया।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की माहवारी मीटिंग होती है ऑफिसरों की, उन मीटिंग्ज़ में इसका जिक्र करते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जिस ग्राम में यह डाका पड़ा था उससे थाना कितनी दूर है ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : माननीय अध्यक्ष अभी मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला। इसमें क्या डिफीकल्टी है ? जो सारे कन्ट्रीज़ का रिकग्नाइज़्ड प्रिन्सिपल है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है ? और दिक्कत है तो हमारे यहां से दिक्कत है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिक्कत है ?

श्री मथुरादास माथुर : It is not within the purview of this Government. This is a matter between the Government of India and the Pakistan Government. It is an international matter. But we will see if the Government of India can negotiate with the Pakistan Government for hot pursuit in the latter's territory.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Has the Rajasthan Government moved the Government of India in this connection ?

श्री मथुरादास माथुर : I beg your pardon.

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या हमारी सरकार ने भारत सरकार को इस बात के लिए मूव किया है कि होट परशूट का प्रिन्सिपल पाकिस्तान गवर्नमेंट से मनवाया जाय ?

श्री मथुरादास माथुर : A number of times. It is not a new issue now. It is an issue which has been pending for discussion a number of times.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जिस गांव में डाका पड़ा उससे पाकिस्तान की दूरी कितनी है और पुलिस की फोर्स क्या वहां गई थी ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैंने प्रश्न किया था....

श्री मथुरादास माथुर : १०० ।

श्री विजयसिंह झाला : कितनी ?

श्री मथुरादास माथुर : करीब १०० ।

श्री विजयसिंह झाला : हमारी पुलिस का फोर्स क्या गया था उसको पकड़ने ?

श्री मथुरादास माथुर : Police party aided by a Dy. S. P. I do not know the number of constables.

श्री विजयसिंह झाला : वे डकैत पकड़े जाने चाहिए थे, उसके लिए दरअसल में प्रोपर फोर्स गया या नहीं, इसकी जानकारी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल । नेक्स्ट क्वेश्चन ।

विद्युत निरीक्षक द्वारा जांच शुल्क लगाना

५४१. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : Will the Minister for Power be pleased to state:—(1) Is it a fact that a deputation of Alwar Electricity Consumers met the Minister for Power and requested him for waiving the illegal and improper levy of Rs. 10/- as testing fee levied by the Electric Inspector and the Minister assured them that it will be waived ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(2) If so, what steps have been taken to fulfil that assurance ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (1) The fact is correct. The deputation was assured that in case the fees levied were illegal and improper the matter will be examined. The matter was, therefore, examined and it was found that the fees have been levied in accordance with the provision of Central Law.

(3) Question does not arise.

श्री रामानन्द अग्रवाल : आश्वासन देते समय मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन भी दिया था कि पास-पड़ौस के राज्यों में इस बात का पता लगाया जायगा कि वहां पर यह फीस लगती है या नहीं। माननीय मन्त्री महोदय ने इस बात का पता लगाया होगा और उसके अनुसार यह पता लगा कि यू. पी. और दूसरी जगह नहीं लगता है। वहां नहीं लगता है, बावजूद इसके वहां भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लागू है, तो फिर राजस्थान में इस फीस के लग जाने के बारे में जो आश्वासन दिया था, उसकी बाबत.......

श्री अध्यक्ष : इस पर काफी बहस हो चुकी थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्वेश्चन पहले का है।

श्री अध्यक्ष : इन्सपेक्शन फीस तो डिस्कस हो चुकी है, आप फाइनल उत्तर दे दीजिये। क्या उत्तर है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जहां तक लिगेलिटी का प्रश्न है, it is legal. We heve not done anything illegal.

रहा सवाल कि दूसरे स्टेट्स में नहीं लगता है, यह कोई वजह नहीं है कि राजस्थान में नहीं लगायें। मैंने हाउस में एश्योर किया था कि जहां तक फीस का ताल्लुक है, किस तरह का लोड फेक्टर है, उसको देख करके रिवाइज़ करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री आनन्दसिंह कछवाहा।

जोधपुर पॉवर हाउस की बिजली और उसका वितरण

५४२. श्री आनन्दसिंह कछवाहा (जोधपुर 'प्रथम') : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जोधपुर में पॉवर हाउस-६,००० किलोवाट बिजली बनाने की शक्ति रखता है ? यदि हां, तो कितनी बिजली प्रति दिन लोगों के द्वारा खर्च की जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि करीब २,००० किलोवाट बिजली, सरकार द्वारा वितरण की व्यवस्था न होने के वजह से, व्यर्थ जाती है और जिससे सरकार की आमदनी मारी जाती है ? यदि हां, तो सरकार शीघ्र से शीघ्र लोगों को बिजली देने के लिए क्या प्रबन्ध कर रही है ?

(३) क्या यह सही है कि सैकड़ों लोगों के प्रार्थना-पत्र बिजली लेने के लिए आए हुए हैं ? यदि हां, तो सरकार इसके लिए क्या उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जोधपुर पॉवर हाउस ६,००० किलोवाट शक्ति पैदा करने की क्षमता रखता है । आज-कल का पीक लोड करीब ४,८०० किलोवाट है ।

(२) जी नहीं ।

(३) करीब २१५ दरख्वास्तें डोमेस्टिक लाइट व फेन कनेक्शन्स की बाकी हैं । (२१४ लाइट व फेन के लिये-तथा १ पावर के लिये) ।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : बिजली के पम्प के लिए कितनी अर्जियें आई हैं, पानी के कुओं में पम्प लगाने के लिए ?

श्री हरिश्चन्द्र : पम्प की तो मेरे पास रिपोर्ट नहीं है । मैंने जैसे कहा कि २१५ दरख्वास्तें हैं लाइट और फेन कनेक्शन की ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : इसमें २१५........

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : पम्प के लिए अर्जी पचासों मेरे सामने दी गई हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी मैं जानकारी करूंगा ।

श्री विजयसिंह झाला : २१५ अर्जियें पेंडिंग हैं । उनमें कितने किलोवाट बिजली की जरूरत पड़ेगी । वे अर्जियें क्यों रोकी गई है, जब बिजली है ।

श्री हरिश्चन्द्र : अर्जी आती है, उसके बाद जैसे जैसे समय मिलता है, देते जाते हैं । मेरे पास फिगर्स हैं, नवम्बर १६६० से लेकर मार्च १६६२ तक डोमेस्टिक लाइट व फेन कनेक्शन्स ४,०६० दिये, डेमोस्टिक पॉवर कनेक्शन्स १३२ एवं पॉवर कनेक्शन्स ६७

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार !

ड्योढ़ा चूरा (पपी हैड्स) की खरीद व फरोख्त की नीति

५४३. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या वित मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे :-

(क) क्या आबकारी विभाग द्वारा इस वर्ष भी ड्योढ़ा चूरा (पपी हैड्स) की खरीद व फरोख्त की वही नीति रहेगी जैसी कि सन् १६६०-६१ में रही ?

(ख) क्या इस नीति से ड्योढ़ा चूरा (पपी हैड्स) काश्तकार आजादी से फरोख्त कर सकेगा ?

वित मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : (क) जी हां ।

(ख) काश्तकार सिर्फ रूल ८ आफ राजस्थान ओपियम (लिन्सेड पपी हैड्स) रूल्स, १६६० के मुताबिक ही फरोख्त कर सकेगा ।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि कीमत जो ड्योढ़ा की है, पपी हैड्स की, वह लाइसेन्स देते वक्त फिक्स की गई ? और नहीं की गई तो क्या कारण है ?

श्री बालकृष्ण कौल : किस कीमत की पूछ रहे हैं ?

श्री अब्दुलजब्बार : जैसे लाइसेन्स इश्यू कर दिया, नीलाम कर दिया, ठेका दे दिया गया, तो लाइसेन्सी को पॉवर दे दी गई

(श्री अब्दुलजब्बार)

है कि पपी हैड्स को कलेक्ट करे, तो काश्तकार के ड्योढ़ा चूरा की कीमत फिक्स की या नहीं कि ठेकेदार किस हिसाब से लेगा ?

श्री बालकृष्ण कौल : जी नहीं।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या इसमें कोई आपत्ति है सरकार को ?

श्री बालकृष्ण कौल : किसमें आपत्ति है ?

श्री अब्दुलजब्बार : ड्योढ़ा की भाव फिक्स करने में कोई आपत्ति है ?

श्री बालकृष्ण कौल : इस पर गौर करेगी सरकार।

श्री अब्दुलजब्बार : ड्योढ़े की कीमत, पपी हैड्स की कीमत फिक्स करने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह सवाल ही नहीं उठता है।

श्री अब्दुल जब्बार : जो काश्तकार ड्योढ़े बेचते हैं लाइसेन्सी काश्तकार की बड़ी हानि करते हैं। वे दूसरे को नहीं बेच सकते, न ही डेस्ट्राय कर सकते हैं। ऐसी सूरत में काश्तकार का माल पड़ा रहता है और उनको आठ आने में देना पड़ता है, जब कि बीकानेर में सवा रुपया और जयपुर में एक रुपया मिलता है। सरकार फिक्स रेट पर लिवाने की व्यवस्था क्यों नहीं करती है ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह प्रश्न उठाया है, इस पर सरकार गौर करेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अभी तक सरकार की निगाह में यह सवाल नहीं आया था ? आप पर्चेज़र्स मुकर्रर कर देते हैं, मोनोपोली दे देते हैं, यह कह देते हैं कि वे डेस्ट्रॉय नहीं कर सकते। यह बात पहले आपके ध्यान में नहीं आई थी। इस कीमत में हेर-फेर नहीं करेंगे कि कौन खरीदेगा, ठेकेदार पर क्या पाबन्दी होगी और कम से कम यह कीमत देगा। ये साधारण बातें हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : रूल्स इस किस्म के हैं कि किन किन को बेच सकता है। उसमें यह कहीं नहीं है कि फलां आदमी को लाइसेन्स मिल सकता है और फलां को नहीं मिल सकता है। जितने लाइसेन्स होल्डर्स हैं उनको बेच सकते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : इस सम्बन्ध में पोलिसी डिक्लेअर की गई है कि पर्टिक्युलर एरिया में इसकी बोली नीलाम लगाई जाती है और हाइयेस्ट बिडर को दी जाती है। इस प्रकार काश्तकार को ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता है। काश्तकार का माल पड़ा रहता है; इसलिए होता यह है कि उनसे ८ आने मन में ठेकेदार खरीदते हैं और उनको मजबूर होकर बेचना पड़ता है। इसलिये सरकार को इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिए कि किसानों को फायदा मिले। ठेकेदार १२५ रु० मन में बेचते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

सड़क-निर्माण

५४४. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा मु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री

Page No. 7

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) घाटोली, जिला झालावाड़, से चुरेलिया तक की सड़क क्यों बनाई गई थी ?

(२) जब से यह सड़क बनी है तब से अब तक कितनी बार इसकी मरम्मत की गई ?

(३) क्या इस सड़क को चुरेलिया से आगे लांस तक बढ़ाये जाने के लिये जनता की बार बार मांग होती रहती है ?

(४) यदि हां, तो क्या इस सड़क को सरकार जल्दी से जल्दी बनाने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) आवागमन के लिये।

(२) जब तक यह सड़क निर्माण विभाग के चार्ज में रही प्रतिवर्ष मरम्मत होती रही।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं। सम्भव होगा तो बनाई जावेगी और विचार किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री गोकुलचन्द ।

सड़क-निर्माण

५४५. श्री गोकुलचन्द (कठूमर-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) तीसरी पंचवर्षीय योजना में अलवर जिले में कौन कौन सी नई सड़कें बनाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है और चालू वर्ष में कौन कौन सी सड़कों का निर्माण कार्य आरम्भ हो जायगा या हो चुका है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

(२) क्या सरकार के ध्यान में है कि अलवर-लक्ष्मणगढ़ वाया मालाखेड़ा खेरली व अलवर-जयपुर मार्गों में कुछ सड़कों के पुल इतने नीचे बने हैं कि वर्षा के दिनों में पानी के वेग के कारण यातायात रुक जाता है ? यदि हां, तो इन पुलों को ऊंचा क्यों नहीं बनाया जाता है ?

(३) क्या सरकार को यह भी विदित है कि अलवर-मथुरा रोड पर १४वें मील पर जुररावर के पास वाले रूपारेल नदी के पुल पर प्रति वर्ष वर्षा में नदी का पानी बहुत ऊंचा बहने से एक-दो व्यक्ति बह जाते हैं ? यदि हां, तो इसके अवरोध के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) सूची प्रस्तुत है।

(२) ध्यान है। कुछ पुल रियासती समय के बने हुए हैं। अर्थाभाव के कारण।

(३) अलवर-भरतपुर रोड के १४ वें मील पर रूपारेल नदी पर पहली पंच वर्षीय योजना में एक सबमर्सिबल ब्रिज बना था। इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री गोकुलचन्द : प्रश्न नं० २ में आपने बताया कि अर्थाभाव के कारण। मैं यह निवेदन करूंगा कि बहुत सी पुलें जो इतनी

(श्री गोकुलचन्द)

महत्व की नहीं हैं उन पर तो पैसे लग रहे हैं हैं और यहां २४-२४ गांव तक लोगों को असुविधा होती है और बसें पड़ी रहती हैं और आदमी बह जाते हैं, मगर उसके लिए कोई ध्यान नहीं देते हैं। यह बहुत जरूरी काम है इसलिये इसको जल्दी बनाना चाहिये।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इस पर विचार किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री तेजाराम गहलोत।

पंचों, सरपंचों व उप-सरपंचों के रिक्त स्थानों की पूर्ति

५४६. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) पाली जिले में दिनांक १.३.६१ से १.३.६२ तक किन पंचायतों में पंचों, सरपंचों व उप-सरपंचों के स्थान किस किस तारीख से रिक्त हैं?

(ख) उक्त रिक्त स्थानों में से कहां कहां पर चुनाव करवाये गये व किस किस तारीख को?

(ग) प्रश्न भाग (क) में वर्णित स्थानों में से किन किन स्थानों पर चुनावों के नोटिस जारी करके चुनाव स्थगित करवाये गये व क्यों?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री दिनेशराय डांगी) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब समय पर नहीं आया है, इस कारण जवाब नहीं दिया जा सकता। इसलिये आगे रखा जावे।

श्री तेजाराम गहलोत: अध्यक्ष महोदय, यह छोटा सा मामला है। छः छः महीनों तक चुनाव नहीं कराते, न इन्फोर्मेशन भेजते हैं। इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि चुनाव तो जल्दी करायें।

श्री दिनेशराय डांगी : इसकी जानकारी एक एक पंचायत से चाही है, इसलिये कलेक्टर इस समय भेजने में असमर्थ हैं।

श्री अध्यक्ष : जो रिक्त स्थान हैं उसके लिए आपका विभाग जल्दी कार्यवाही करे।

(विराम)

नेक्स्ट, श्री दिग्विजयसिंह।

प्रश्न संख्या ५४७

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट, श्री रामकिशन।

खेरली-नदवई सड़क के निर्माण का ठेका

५४८. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या खेरली-नदवई (भरतपुर) सड़क के निर्माण का ठेका दिया जा चुका है?

(२) यदि हां, तो कब से और कितना काम अभी बकाया है तथा वह कब तक पूर्ण हो जावेगा?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां। सिर्फ ३ मील तक का।

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

(२) दिनांक १७.१०.६०; सड़क पर बिछाई व कुटाई का कार्य शेष है । आशा है वर्ष ६२-६३ में ।

श्री रामकिशन : तीसरी योजना के किस वर्ष में ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : दूसरी पंच वर्षीय योजना में तीन मील थी; बाकी ६ मील इस योजना में ली जा रही है ।

श्री रामकिशन : यह किस वर्ष तक पूरी हो जावेगी; मध्य में या अन्त में ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अन्त तक समझो ।

श्री रामकिशन : अन्त से पहले भी जवाब दिया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री गोकुलप्रसाद शर्मा ।

श्रमिक परिवारों के लिए पानी का प्रबन्ध

५४६. **श्री गोकुलप्रसाद शर्मा**(मांडल): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) जयपुर नगर में अप्रेल सन् १९५९ से अब तक कितने पानी के कनेक्शन्स दिये गये हैं व इनमें कितने फ्लैट रेट व कितने मीटर रेट पर दिये गये हैं ?

(२) नई मजदूर कोलोनी, जयपुर में स्थित ६१४ श्रमिक परिवारों को कितने पानी के कनेक्शन्स पिछले ४ वर्षों में दिये गये है ?

(३) क्या यह सरकार की जानकारी में है कि नई मजदूर कोलोनी में स्थित श्रम कल्याण केन्द्र के द्वारा लिए गये एक मात्र पानी के कनेक्शन्स से वहा के मजदूरों को मनमानी दरों पर पानी दिया जाता है जिसकी रकम प्रायः मकान के किराये की रकम के बराबर हो जाती है ।

(४) क्या सरकार उन श्रमिक परिवारों के लिए पानी के प्रबन्ध हेतु पानी के और कनेक्शन्स देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) कुल ४,९३८ कनेक्शन्स दिये गये हैं जिनमें से फ्लेट रेट कनेक्शन्स १५३ तथा मीटर से कनेक्शन्स ४,७८५ हैं ।

(२) पानी का कनेक्शन हर क्वार्टर में लगाया जा चुका है ।

(३) जी नहीं । इस मामले पानी की दर एक रुपया प्रति १,००० गेलन ही ली जाती है ।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि पानी का कनेक्शन प्रत्येक क्वार्टर में है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जयपुर में आपने बताया कि दूसरी मजदूर कोलोनी में दिया गया है । मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर ६५० परिवारों के लिए एक ही मीटर से पानी दिया जाता है और उनसे अन्धाधुन्ध पैसा लेबरडिपार्टमेन्ट वाले लेते हैं । तीन आदमियों के परिवार पर ४॥) रुपये लिये जाते हैं । १००) रु० जिसकी आमदनी हो उसको ७) रु० तक देना पड़ता है ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: जिस समय लेबर कोलोनी बनी उस समय मीटर एवेलेबल नहीं थे। और वहां के मजदूरों के प्रतिनिधियों ने व अधिकारियों ने कहा कि वहां पर एक मीटर दे दिया जावे, हम आपस में पैसा बांट कर दे देंगे। इसलिए एक मीटर दे दिया।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : वहां पर मजदूर लोग रहते हैं अधिकारी नहीं रहते। आपको शहर में लोगों को देने के लिये मीटर मिल गये, मगर गरीबों को आपने मीटर नहीं दिये हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने निवेदन किया कि उस समय मीटर एवेलेबल नहीं थे। शहरों में अधिकांश लोग अपने अपने मीटर लगाते है। ४,६४८ मीटर दिये हैं। वे प्राइवेट खरीद कर लाते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने एक रुपये की फ्लेट रेट बताई। मैं समझता हूं कि यह गलत सूचना दे रहे हैं। कोई मजदूर ऐसा नहीं है जिसको ४) रुपये नहीं देने पड़ते हों।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय कह चुके हैं कि एक मीटर ही मजदूरों को दिया गया है। उन्होंने यह निश्चय किया था कि वे आपस में पैसा बांट लेंगे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : वह तो लेबर डिपार्टमेन्ट उनसे वसूल करता है। मजदूरों को आपस में बांटने का प्रश्न नहीं है। इसके अलावा वहां पर कोई पब्लिक स्टैन्ड नहीं है। सबको पानी घरों से लेना पड़ता है। इसलिए वहां पर पब्लिक स्टेन्ड होना चाहिये और पानी की तो कम से कम उनको सुविधा देनी चाहिए। इस पर सरकार विचार करे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भगराज।

जालोर जिले की सहकारी समितियां

५५०. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :—

(१) क्या यह सही है कि जालौर जिले में पिछले वर्ष तक करीबन ३०० सहकारी समितियां बनाई गई हैं, परन्तु उनमें से समितियों को अभी तक ऋण नहीं दिया गया है ?

(२) यदि हां, तो क्यों नहीं दिया गया ?

(३) क्या अब सरकार शीघ्र उन समितियों को ऋण दिलवाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां।

(२) जालोर बैंक को बोरोइंग पॉवर कम होने एवं सेन्ट्रल बैंक जालोर पर ऋण ओवर ड्यू होने से अपैक्स बैंक से ऋण प्राप्त न कर सकने के कारण।

(३) जी हां।

श्री भगराज चौधरी : अब की बार आपने १०० नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रजिस्टर्ड किया है। पिछली सोसाइटीज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं उनको भी पूरा पैसा लोन आदि का नहीं मिलता है। जब उनको भी पूरा रुपया नहीं मिलता तो फिर नई सोसाइटीज़ को रजिस्टर करने से क्या मतलब है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार की नीति तो ऋण देने की है। पहले यह बैंक जोधपुर सहकारी बैंक से सम्बन्ध रखता था और सर्विस होती थी। लेकिन अब यह अलग बैंक बन गया तो इसको खुद को बोरो (borrow) करने की शक्ति थी वह कम थी और इस वजह से बहुत कम बोरो कर सका। अब गवर्नमेंट ने इसमें एक लाख का शेअर डाला है और इसका पॉवर भी बढ़ गया है। इसके अलावा जोधपुर बैंक के सिलसिले में ओवर ड्यू भी थे वे सब इस पर आकर पड़ गये। अब मामला कुछ लाइन पर आया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : मगर बैंकों में भी यही कन्डीशन हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ऋण देने के बारे में सरकार की जो नीति है....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जयकृष्ण।

बिजली देने की योजना

५५१. श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार की अलवर शहर के आस पास के ग्रामों को योजनाबद्ध बिजली देने की योजना है ?

(२) यदि हां, तो कितने माइल के क्षेत्र में ?

(३) क्या सरकार की मालाखेड़ा कस्बे को भी अलवर से शीघ्र ही बिजली देने की योजना है ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां।

(२) लगभग दो तीन मील के क्षेत्र में।

(३) यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सड़क-निर्माण

५५२. श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) गंगानगर जिले की चूरू जिले से जोड़ने वाली साहवा (तहसील तारानगर, जिला चूरू) से भादरा रोड का काम चालू हुए कितना अर्सा हो चुका है ?

(ख) क्या यह सही है कि इस सड़क का काम पिछले दो वर्षों से स्थगित है ? अगर हां, तो क्यों ?

(ग) उक्त सड़क के निर्माण में अब तक कुल कितना खर्च हो चुका और आइन्दा कितना खर्च किये जाने का अनुमान है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) ४ वर्ष का समय हो चुका है।

(२) सही है। मन्जूर शुदा खानों के धांधला पत्थर समाप्त होने के कारण।

(३) मील ४।० से २६।० तक २८०,३८५ खर्च हो चुका है। भविष्य में ३१६,८०५ रू० के खर्च का अनुमान किया जाता है।

Page No. 12

श्री हरदत्तसिंह : इस सड़क को दुबारा कब चालू किये जाने की सरकार की योजना है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसी साल चालू करने की योजना है।

श्री अध्यक्ष : नेक्सट।

सड़क-निर्माण

५५३. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार की इस वर्ष भीलवाड़ा से कोटड़ी होती हुए जहाजपुर तक कोई सड़क बनाने की योजना है ?

(२) क्या यह सही है कि भीलवाड़े से कोटड़ी तक अधूरी सड़क करीब दो साल से बनी हुई है ? यदि हां, तो इसके पूरा नहीं होने का क्या कारण है ?

(३) उक्त सड़क का ठेका किसको व कितने समय के लिए दिया गया है तथा यह कितने समय में पूरी हो जायगी ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) भीलवाड़ा से कोटड़ी तक सड़क बनाने की योजना है :

(२) कार्य योजनानुसार चालू है।

(३) श्री सतीशचन्द्र डोसी को। तृतीय योजना काल में पूरी हो जायगी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या यह सही है कि इस सड़क का काम १९६१–६२ के वित्तीय वर्ष तक समाप्त हो जाना चाहिये था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह केवल दो मील थी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या यह सही है कि इस वक्त सड़क पर कोई काम चालू नहीं है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अब चालू होगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि १॥ वर्ष से काम चालू नहीं है। सड़क अधूरी बनी हुई है वह भी खराब हो जाएगी ! अभी ठेकेदार काम नहीं कर रहा है....

श्री अध्यक्ष : आप भाषण न दें। आप जानकारी दे रहे हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैंने यही अपने प्रश्न में पूछा है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कहा है कि काम चालू होगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वह काम कब तक चालू होगा और कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

१९६१–६२ में काम हुआ नहीं और इस साल काम अभी शुरू हुआ नहीं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इस पंच वर्षीय योजना-काल में पूरा हो जावेगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, एक काम १९५९ में शुरू हुआ और ६७ में खत्म होगा। अगर इतने से काम में सात साल लग जावे तो बहुत बुरी बात है।

प्रश्न संख्या ५५४

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ !

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द !

उच्च व सर्वोच्च न्यायालय में क्षमा-याचना

५५५. श्री मूलचन्द (दौसा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सच है कि रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर, जयपुर ने सन् १९५९, ६०, ६१ के वर्षों में राजस्थान उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में किन्हीं मामलों में क्षमा-याचना की है ? यदि हां, तो उनके विवरण और केस के नाम बताइये।

(ख) इन क्षमा-याचना करने वालों के विरुद्ध सरकार क्या कदम उठा रही है ?

यातायात मन्त्री (श्री हरिश्चंद्र) : (क) यह सच है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में सन् १९५९ में क्षमायाचना की गई। सन् १९६० में कोई क्षमा-याचना नहीं की गई, सन् १९६१ के एक केस में आर. टी. ए. जयपुर के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा चलाये जाने के नोटिस का जवाब देते हुए क्षमायाचना भी की है।

सन् १९५९, ६०, ६१ में सर्वोच्च न्यायालय में कोई क्षमायाचना आर. टी. ए. जयपुर ने नहीं की।

इन मुकदमों के नाम इस प्रकार है :

(१) केस नं० १९५।५८ स्टेट बनाम आर. टी. ए. जयपुर।

(२) केस नं० १९६।५८ जयपुर टायर रिट्रिडिंग कं० बनाम आर. टी. ए. जयपुर, चेयरमैन, आर. टी. ए. जयपुर, व सेक्रेटरी, आर. टी. ए. जयपुर।

(३) केस नं० ३९४।६१ श्री रामदास बालूराम चौधरी, विजयनगर, बनाम आर. टी. ए जयपुर व श्रीमती गीतादेवी व कानसिंह। इन मुकदमों का विवरण संलग्न है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। जब उच्च-न्यायालय के समक्ष क्षमायाचना कर ली जाती है और वह प्रदान कर दी जाती है तो वह अन्तिम निर्णय हो जाता है। आर. टी. ए. एक प्रकार की न्यायालय (क्वाज़ी जुडीशियल बॉडी) है और आर. टी. ओ. जिसका एक मेम्बर मात्र है। सरकार द्वारा आगे की कार्यवाही की इसलिये भी आवश्यकता नहीं रहती कि उच्च न्यायालय यदि क्षमायाचना काफी नहीं समझे तो अदालत की मानहानि के अपराध में सजा दे सकती है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) :

Page No. 14

(श्री सतीशकुमार शर्मा)

अदालत की मानहानि किस प्रकार से की जिससे क्षमायाचना की नौबत आई ?

श्री हरिश्चन्द्र : जयपुर से अजमेर बसें चलती हैं; उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि टेम्परेरी परमिट नहीं दिया जाय, परमानेन्ट वालों को दिये जायं। पर वहां आर. टी. ए. ने टेम्परेरी आदमियों को परमिट दिये थे और दूसरा यह था कि ४ महीने से ज्यादा परमिट नहीं दिया जाय पर जिन आदमियों को परमिट दिये गये ४ महीनों से ज्यादा के दिये गये। इसलिए मानहानि का मुकदमा चलाये जाने का नोटिस आने पर क्षमायाचना की गई।

श्री सतीशकुमार शर्मा : जिसने जान-बूझ कर ऐसे बयान दिये, ऐसे काम किये, कोर्ट के हुक्म की उदूली की तो उन अधिकारियों के खिलाफ क्या डिपार्टमेंटल एक्शन लिया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : डिपार्टमेंटल एक्शन का प्रश्न नहीं उठता, मानहानि की तारीफ में आता था; उसके लिए क्षमायाचना कर ली गई।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कोर्ट से कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिये तो क्षमा याचना कर ली, पर डेलीबरेलटली रोंग स्टेटमेंट दिये थे उसके लिये क्या डिपार्टमेंटल एक्शन लिया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : स्टेटमेंट किसने दिये ?

श्री भैरोंसिंह : कोर्ट के सामने जिस प्रकार की इन्फोमेंशन भेजनी चाहिये वह न भेज कर डेलीबरेटली रोंग इन्फोमेंशन भेजी। It is a delibrate action against the facts. तो क्या इसके लिए डिपार्टमेंटल कार्यवाही नहीं हो सकती थी ?

श्री हरिश्चन्द्र : एक आदमी ने तो किया नहीं।

He is also a member of R. T. A. The R.T.A. is a semi-judicial body. They have given an opinion, against which there was an appeal and contempt of court was registered, and the High Court accepted their apology.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या इसे एन्क्वायरी के काबिल नहीं समझा कि हाई कोर्ट के निर्णय के बावजूद टेम्पोरेरी परमिट दिये थे तो यह मामला साफ तौर से शकिया मालूम पड़ता है। सरकार को इसमें डिपार्टमेंटल जांच करवा कर जानकारी करनी चाहिये थी कि करप्शन का मामला तो इसके पीछे नहीं है ? सरकार ने क्यों नहीं एन्क्वायरी करवाई ?

श्री हरिश्चन्द्र : I do not think, it is for the Government to interfere in judgment. They gave judgment and the Government could not interfere in that.

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस बात की जानकारी करवाई है कि जो जानकारी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से चाही गई थी, तो सही जानकारी नहीं देने का क्या कारण था ?

श्री हरिश्चन्द्र : जानकारी करवाने का प्रश्न नहीं उठता।

Page No. 15

श्री भैरोंसिंह : सही जानकारी नहीं दी गई, इसका कोई कारण तो होना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष : हाईकोर्ट ने कहा था कि टेम्पोरेरी परमिट नहीं दिये जायं, जो परमानेन्ट चल रहे हैं वे ही दिये जायं और मयाद से ज्यादा नहीं दिये जायं। टेम्पोरेरी परमिट दे दिये और मयाद से ज्यादा टाइम के दे दिये। ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : टैक्निकल ग्राउन्ड्स में हाई कोर्ट ने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया उसके खिलाफ एक्शन लिया, पर इस तरह के गलत एक्शन और गलत बयानी के पीछे मोटिव क्या था, इसके खिलाफ एक्शन हाई कोर्ट ने नहीं लिया, इसके लिये डिपार्टमेंटल एन्कवारी की जाकर एक्शन लिया जाना आवश्यक था।

The very fact that the permits were given in defiance of orders is sufficient for a charge of contempt of court. Whether these permits were given with any kind of motive, and if so, with what motive, is an important factor for an enquiry and for a departmental action to be taken against the R. T. A.

श्री हरिश्चन्द्र : As I mentioned earlier, the R. T. A. is a quasi-judicial body, so the matter ends there.

आर. टी. ए. क्वाज़ी जुडीशियल बोडी है; उसने निर्णय लिया, उसकी अपील हुई। निर्णय के बाद कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट हुई, इसके लिये मांगी गई अपोलोजी को स्वीकार कर लिया गया।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या आर. टी. ए, ने ये सारे फैक्ट्स कोर्ट के सामने पेश कर दिये थे ?

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

नाले का निर्माण-बयाना कस्बा

५५६. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि भरतपुर जिले के बयाना कस्बा की हरिजन बस्ती तथा काछी-पाड़ा से बाढ़ के पानी को निकालने के लिये एक नाला बनाने की स्वीकृति दी गई है ?

(ख) अगर हां, तो नाला कब तक तैयार हो जायगा ?

(ग) बयाना से हर वर्ष आने वाले इस बाढ़ के पानी को रोकने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (क) जी हां।

(ख) पुल तैयार कर दिया गया है।

(ग) योजना बनाने के लिए एक समिति नियुक्त की है जो अपनी रिपोर्ट इसी माह सरकार को देगी।

श्री नत्थीसिंह : यह काम कब शुरू किया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कौनसा ?

श्री नत्थीसिंह: (ख) का जवाब दिया है, उसका।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पुल बना दी है इस पर।

श्री रामकिशन (वैर) : पुल का प्रश्न ही नहीं नाले का प्रश्न है, पानी नहीं निकलता है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पी० डब्ल्यू० डी० ने पुल बना दिया है।

श्री नत्थीसिंह : प्रश्न नाले का पूछा गया है, आपने उत्तर पुल का दिया है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पुलिया बनाई गई है, पूर्ण कर दी गई है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : नाले का प्रश्न है, वर्षा के दिनों में हजारों आदमियों की जान जोखिम में आ जाती है; दो-चार की तो जान चली गई। तो इसके लिये तो सरकार को जल्दी से जल्दी विचार करना चाहिये।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह तो इर्रिगेशन विभाग से प्रश्न पूछते।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपने क्वेश्चन क्यों टेक अप किया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पुलिया बनाई इसलिये टेक अप किया।

सार्वजनिक तीर्थ-स्थान पर हरिजन स्नान

५५७. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या नीम का थाना (सीकर) के निकट गणेश्वर नाम का कोई सार्वजनिक तीर्थ स्थान है ?

(२) क्या १ जुलाई, सन् १९६० को हरिजन स्नान के प्रश्न को लेकर यहां कोई बलवा हो गया था ? अगर हां, तो बलवाइयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है ?

(३) क्या हरिजन स्नान सम्बन्धी कार्यक्रम की जानकारी पहले से ही एस. डी. ओ, नीम का थाना (डीवाई. एस. पी) नीम का थाना, जिलाधीश सीकर तथा एस. पी., सीकर को थी ? अगर हां, तो कितने दिन पहले से है ?

(४) क्या उच्च अधिकारियों ने पहले से ही कोई हिफाजती कार्यवाही कर रखी थी ? यदि हां, तो क्या ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं की ?

(५) क्या बलवे के लिये जिम्मेदार ठहराने हेतु सरकार ने कोई विभागीय जांच करवाई है ? यदि हां, तो इस घटना के लिये कौन जिम्मेदार है और उन्हें क्या सजा दी गई है ?

(६) क्या इस घटना से सम्बन्धित सरकार को केन्द्रीय अधिकारी श्री चन्द्रभान त्रिपाठी, असिस्टेन्ट कमिश्नर, शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स, जयपुर की वह रिपोर्ट मिली है जिसमें दि० २-१०-६० को गणेश्वर तीर्थ पर स्नान करने वाले हरिजनों के साथ जिसमें ३ संसद सदस्य भी थे, एस. डी. ओ. श्री ताराचन्द द्वारा फोहस गालियां

Page No. 17

(श्री रामकिशन)

देने की चर्चा की गई है ?

(७) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस वाकये की जांच करायेगी ?

(८) क्या पुष्टि होने पर सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) जी हां।

(२) जी हां, दिनांक १-७-६० को श्री माधोलाल चौधरी, निवासी नीम का थाना (छावनी) व गोपराम हरिजन, निवासी नीम का थाना की रिपोर्ट पर दो मुकदमे क्रमशः मुकदमा नं० ५३ धारा १४७। भा० द० स० व मुकदमा नं० ५५ धारा १४७। ३४२। १४८। ३२६ भा० दं० स०, पु० था० नीम का थाना पर कायम किये गये। अनुसंधान से पहले मुकदमे में ८ व्यक्तियों का व दूसरे में १५ व्यक्तियों का चालान एस. डी. एम. कोर्ट, नीम का थाना में दि० १०-६-६० को किया गया। मुकदमा नं० ५३ में अपराधी एस. डी. एम नीम का थाना द्वारा बरी हुए एवं मुकदमा नं० ५५ में केवल एक व्यक्ति धन्ना को दिनांक २-३-६२ को सजा हुई।

(३) जी हां। करीब एक सप्ताह पूर्व।

(४) दिनांक २८-६-६० को एस. डी एम नीम का थानाने एक मीटिंग बुलाई जिसमें गणेश्वर के प्रमुख २ व्यक्तियों ने एस. डी. एम को एक लिखित आश्वासन दिया कि १-७-६० को हरिजनों को गणेश्वर कुन्ड में स्नान करने से नहीं रोका जायगा और न ही किसी तरह की शांति भंग होगी। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। अतः किसी तरह के झगड़े की संभावना न होने पर भी एहतियातन थाने से ३ सिपाहियों को दिनांक १-७-६० को प्रातः ४ बजे गणेश्वर पर इन्तजाम के लिये भेजा गया।

(५) इस विषय में डी. एस. पी., श्री बालूसिंह व सर्किल इन्स्पेक्टर श्री गोरधनलाल की असावधानी पाई गई और उनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

(६) ऐसी कोई सूचना सरकार के पास प्राप्त नहीं हुई।

(७) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(८) जी हां।

श्री रामकिशन : जिनको आपने अपराधी पाया और इस मामले में कार्यवाही शुरू करने के लिए फरमाया उनके सम्बन्ध में विशेष जानकारी देने की कृपा करेंगे कि क्या स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आ चुका है कि जांच हो रही है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): क्या ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हरिजन लोग अपने अधिकारों का आजादी के साथ उपभोग कर सकते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां।

श्री मुकुटबिहारीलाल : मैं निवेदन करूं......

श्री अध्यक्ष : निवेदन न करें, सूचना चाहें ।

श्री मुकुटबिहारीलाल : सरकारी कर्मचारी और इलाके के कुछ लोग मिल जाते हैं और इस प्रकार हरिजनों के साथ इस तरह का वर्ताव किया गया ।

श्री मथुरादास माथुर : जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण ।

श्री गोकुलचन्द (कटूमर-सु०) : क्या हरिजनों को स्नान करने से रोका था ।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण ।

निवाई-बोंली सड़क

४५८ श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या यह सही है कि निवाई बोंली सड़क गत पांच साला योजना में ही पूर्ण होनी चाहिये थी ? यदि हां, तो उसका कार्य अब तक पूर्ण क्यों नहीं हुआ ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सड़क के लिये जो धनराशि मंजूर की गई थी उसको गत पांच साला योजना काल में किसी अन्य सड़क पर खर्च कर दिया गया, इसलिए यह कार्य निर्धारित समय में पूर्ण नहीं किया जा सका ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

(ग) क्या यह सही है कि इस सड़क का जो हिस्सा सवाई माधोपुर जिले में आता है गत पांच साला योजना में ही पूर्ण हो गया है और बाकी हिस्सा पूर्ण न होने से जनता परेशान है ?

(घ) उक्त सड़क का कार्य अब कब शुरू होगा तथा कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (क) योजनानुसार तृतीय पंच वर्षीय योजना में समाप्त होने की थी । प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) जी हां । केबिनेट के निर्णयानुसार ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) आशा है तृतीय पंचवर्षीय योजना में ।

श्री जयनारायण : तृतीय पंचवर्षीय योजना के पांच साल होते हैं, तो काम कब, कौनसे वर्ष में शुरू होगा !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : The Hon'ble Minister always gives evasive replies. He should definitely say in which year of the Third Five Year Plan or Fourth Five-Year Plan ?

गृहमन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : It is not possible.

श्री भवानीशंकर नंदवाना : योजना पांच साल की बनाते हैं, लेकिन यह बताना संभव नहीं कि कब ले लिया जायगा ।

श्री जयनारायण सालोदिया : गत पांच साला योजना में तैयार हो जाना चाहिये था ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : द्वितीय योजना में काम पूरा नहीं हुआ था।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द जैन।

सुजानगढ़-डीडवाना सड़क

५५६. श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि सुजानगढ़ से डीडवाना जाने वाली सड़क पर डामर बिछाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाकर कार्य शुरू करने का आदेश दिया जा चुका है?

(२) यदि हां, तो क्या डामर बिछाने का कार्य सुजानगढ़ से शुरू किया जायेगा? कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाने की आशा की जा सकती है?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) यह कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत कर दिया गया है। कार्य अभी आरम्भ नहीं कराया गया है।

(२) जी हां। सन् ६३-६४ में।

श्री फूलचन्द जैन: सुजानगढ़ से डीडवाना या डीडवाना से सुजानगढ़ जावेगी?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सुजानगढ़ से शुरू होगी। 'जी हां,' कहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह।

हनुमानगढ़, नौहर और भादरा तहसीलों में कृषि कार्यों के लिए ऋण

५६०. श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) हनुमानगढ़, नौहर और भादरा तहसीलों के कृषि कार्यों के लिए कुल कितना कितना कर्ज काश्तकारों को हर तहसील में कृषि विभाग की ओर से सन् १९६१-६२ में दिया गया?

(२) कृषि अधिकारी, हनुमानगढ़ के क्षेत्र के लिए सन् १९६१-६२ में कुल कितना रुपया कृषि कार्यों के निमित्त उपरोक्त क्षेत्र के किसानों के लिए स्वीकृत हुआ था और उसमें से कितनी राशि लैप्स हुई?

उप-मंत्रिणी, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है, आगे के लिए इसको रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम।

सड़क का निर्माण कार्य

५६१. श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या तहसील किशनगढ़, ग्राम तीतरका बौली होती हुई कच्ची सड़क तिजारा जाती है?

(ख) क्या यह सही है कि सरकार इसको काफी दिनों से पक्की बनाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक यह सड़क पक्की बनवाई जावेगी?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (क) जी हां।

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

(ख) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।:

श्री हरिराम चौहान : यह प्रश्न कितने दिनों में उठेगा, कब उठेगा ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा बना ली है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : समय आवेगा तब चौथी पंचवर्षीय योजना भी बनायी ही जावेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : चौथी पंचवर्षीय योजना में नहीं है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : क्यों नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : चतुर्थ पंच वर्षीय योजना तक इसी तरह उत्तर देते रहेंगे।

श्री हरिराम चौहान : जितने भी वहां के कामों के लिए सवाल उठाये हैं वे सब चौथी पंचवर्षीय योजना में बताते हैं। चौथी में भी नहीं रहे। वहां एक भी कंकर इधर से उधर करने का इरादा नहीं है। कोई निर्माण का काम हो, बांध का काम हो, नहर का हो, बिजली का हो, कोई काम के लिए कुछ नहीं। तिजारा के सारे के सारे कामों का यह इरादा है तो फिर हम लोगों का यहां आना फिजूल है। और ऐसा चाहते हैं कि हम नहीं कर सकते तो सोचा जा सकता है कि क्या किया जाय........

श्री भवानीशंकर नन्दवाना ; माननीय सदस्य के पधारने से पहले ही तृतीय पंचवर्षीय योजना बन चुकी थी।

एक माननीय सदस्य : अब आप पधारे हैं इसलिए ध्यान रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

सड़क-निर्माण कार्य

५६२. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि कोटा से गेता तक बस चलती है ?

(२) क्या यह सही है कि इटावा से गेता तक सड़क कच्ची है ?

(३) क्या यह सही है कि इस सड़क की मंजूरी पहली व दूसरी पंचवर्षीय योजना में हो चुकी थी ?

(४) अगर हां, तो इसका कार्य शुरु क्यों नहीं हुआ और अब कब तक हो जायगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) इस सड़क की मंजूरी द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में इटावा लाखेरी वाया लबान सड़क के नाम दी गई थी।

(४) टेन्डर इन्वाइट किये जा रहे हैं। ६३-६४ में।

श्री लक्ष्मीचंद : योजना हो चुकी है तो काम क्यों नहीं शुरू हुआ ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक मील था। इतना काम हो चुका है। अब आगे के लिए टेन्डर होंगे और काम शुरू होगा।

श्री लक्ष्मीचंद : कबसे शुरु हो जावेगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही होगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पंचवर्षीय योजना का जो फेज्ड प्रोग्राम है उसके अनुसार कौनसे वर्ष में यह काम होगा।

श्री अध्यक्ष : कहा है न कि इटावा से गेता तक ६३-६४ में समाप्त होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : He scrupulously avoids the mention of the year.

श्री अध्यक्ष : १-२ में तो बताया है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें और बता दें।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : काम तो साल, डेढ़ साल हुआ शुरु किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना के लास्ट इयर में शुरु किया गया।

श्री अध्यक्ष : लास्ट इयर ऑफ दी थर्ड फाइव इयर प्लान में शुरु हो गया तो कब खत्म होगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : तृतीय पंचवर्षीय योजना में खत्म होगा।

श्री अध्यक्ष : निश्चित वर्ष बतायें।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ६३-६४ में शुरु होगा।

श्री अध्यक्ष : फेज्ड प्रोग्राम होगा।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : तृतीय योजना में पूरा कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : एक दो मील की सड़क हर वर्ष भी बना लें तो पांच वर्ष में इतनी बन सकेगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : दो मील बनाने से तो पहले जो बनाई है वह समाप्त होती जावेगी।

श्री अध्यक्ष : वह भी बता दें तो गनीमत है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : योजना भी तो सरकार इसी तरह की बनाती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मुरलीधर व्यास।

गंगानगर जिले में कत्ल की घटनायें

*५६३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) गंगानगर जिले में गत २ वर्षों में कत्ल की घटनायें कितनी हुई तथा इनमें से हरिजनों से सम्बन्धित कितनी हैं ?

(ख) हरिजनों की कत्ल के कितने मामलों में अभियुक्तों को सजायें मिली हैं ?

Page No. 22

गृह-मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (क) कुल १४८ घटनायें हुईं। उनमें से ३३ घटनायें हरिजनों की हत्याओं से सम्बन्धित हैं।

(ख) हरिजनों की कत्ल के १६ मामलों में अभियुक्तों को सजायें हो चुकी हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : ३३ हरिजनों का कत्ल हुआ तो उनमें से कितनों को सजा हो चुकी है ?

श्री मथुरादास माथुर : १६।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरे मामले अब तक चल रहे हैं या समाप्त हो गये हैं।

श्री मथुरादास माथुर : कुछ चल रहे हैं और कुछ समाप्त हो चुके हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : १६ बतायें तो उसके अतिरिक्त ऐसे कितने हैं जो चल रहे हैं और समाप्त हो गये हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अदालत में कुछ चल रहे हैं और कुछ समाप्त हो गये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : ३३ कत्ल हुए हैं और आप मानते हैं तो ऐसे कितने हैं जो समाप्त हो चुके हैं और कितने में सजा मिली है ? बाकी को सजा क्यों नहीं मिली ?

श्री मथुरादास माथुर : १६ के मामले।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : ऐसी मरडर की घटनायें क्यों होती हैं, क्या इसकी जांच करने की कोशिश की है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : हरिजनों के इतने कत्ल होते हैं, माननीय मंत्री महोदय क्या इसको नोर्मल मानते हैं वहां पोपूलेशन को देखते हुए या एबनोर्मल है दूसरी जनसंख्या के मुकाबले ?

श्री अध्यक्ष : रिज़र्वेशन के मुताबिक ही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रिज़र्वेशन से भी ज्यादा है।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : इतनी हरिजनों की हत्यायें होना सरकार के निकम्मेपन के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

गर्ल्स होस्टल की इमारत

५६४. **श्री सतीशकुमार शर्मा** (बानसूर) [श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) मोती डूंगरी रोड अलवर पर बन रहे गर्ल्स होस्टल की इमारत को अधूरी हालत में क्यों छोड़ा गया है ?

(२) क्या इस सैशन में यह होस्टल नल, बिजली वगैरह से मुकम्मिल होकर आगामी सैशन में छात्राओं की रिहायश के लायक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो फिर इसके कब तक पूरे तौर पर तैयार हो जाने की सम्भावना है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) शिक्षा विभाग की स्वीकृति के अनुसार कार्य करा दिया गया है ।

(२) जितना होस्टल अब तक बना है रहने लायक हो गया है ।

श्री नत्थीसिंह् : अधूरी हालत में कैसे है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जितनी स्वीकृति मिली है उतना बन चुका है, वह कम्पलीट है ।

श्री नत्थीसिंह् : तो अब उसमें कितना काम बाकी है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आठ कमरे, रसोई, लेट्रिन वगैरह कम्पलीट कर दिये गये हैं, बिजली का काम बाकी रहा है वह शीघ्र हो जायगा ।

श्री नत्थीसिंह् : यह कब तक पूरा कर दिया जायगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : शिक्षा विभाग जब भी फण्ड देगा पूरा कर दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

सड़क-निर्माण

५६५. **श्री नत्थीसिंह्** (गोविन्दगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या मिलाई वाला कुआ (अलवर) से लक्ष्मणगढ़ तक कच्ची सड़क काफी अर्से से है ?

(२) क्या सरकार उसको पक्का बनाने का विचार रखती हैं ? यदि हां तो कब तक ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) ऐसी कोई सड़क इस कार्यालय की सूची में नहीं है ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नत्थीसिंह् : क्या इसको कभी भी पक्का करने का इरादा नहीं है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : तीसरी योजना में इसके लिये कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी नहीं तो क्या कभी भी विचार नहीं किया जा सकता इस बारे में ।

श्री नत्थीसिंह् : इस सड़क के न बनने से वहां कितनी दिक्कत है, वृक्ष तमाम लगे हुए हैं, नये नये रास्ते जो बनते हैं उनको तो आप पक्का करते जा रहे हो और जो पुरानी कच्ची सड़क है उसको पक्का करने का कोई इरादा ही नहीं है ।

एक **माननीय सदस्य** : माननीय मन्त्री महोदय को उधर बुलाइये ।

अलवर दिल्ली रूट का राष्ट्रीयकरण

५६६. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(१) क्या यह सही है कि अलवर दिल्ली रूट का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय सरकार ने ले लिया था, परन्तु बाद में रद्द कर दिया गया ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार का इरादा अब इस रूट का राष्ट्रीयकरण करने का है ?

(३) यदि हां, तो कब से इस रूट पर सरकारी बसें चलनी शुरू कर दी जावेंगी।

यातायात मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) अलवर दिल्ली रूट का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय सरकार ने ले लिया है। अलवर देहली रूट एक अन्तर्राजीय रूट है; अतः पंजाब सरकार व देहली शासन की स्वीकृति लेना आवश्यक था। पंजाब व देहली राज्यों की स्वीकृति अब प्राप्त हो गई है तथा भारत सरकार की स्वीकृति के लिये लिखा गया है।

(२) इसका उत्तर प्रश्न १ में दे दिया गया है।

(३) भारत सरकार की स्वीकृति आने पर अलवर देहली रूट राजस्थान स्टेट रोडवेज़ की तरफ से चलना शुरू हो जायेगा।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : यह रूट अंतर्राष्ट्रीय है या अन्तर्राज्य ?

श्री हरिश्चंद्र : अंतर्राज्यीय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : निर्णय राष्ट्रीयकरण का ले लिया गया, फिर रद्द कर दिया गया और अब दुबारा लिया गया है। निर्णय एक बार लेने के बाद रद्द क्यों किया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : निर्णय रद्द करने की सूचना मेरे पास नहीं है। राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया है इसकी सूचना मेरे पास है।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : कितने दिनों में इस पर अमल हो जायगा, निश्चित तारीख दे सकते हैं ? राज्य सरकार ने राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय कब लिया था ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी तारीख तो मेरे पास नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : निर्णय लिया गया किस आधार पर, कौनसा निर्णय है, कब का निर्णय है, यह तो बतलाइये ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास जो सूचना है मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रीयकरण का निर्णय ले लिया गया है ; it is a fact.

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह निर्णय कब लिया गया ? छः महीने पहले लिया गया तो कोई बड़ी बात नहीं। तीन वर्ष पहले अगर निर्णय लिया गया तो उसका इम्प्लीमेन्टेशन क्यों नहीं हुआ ? मेरे पास जो सूचना है कि निर्णय लिया गया फिर उस निर्णय को दबा दिया गया, उस पर अमल नहीं किया गया। अब राज्य सरकार ने दुबारा निर्णय लिया है। अगर दुबारा निर्णय लिया गया है तो पहले कब निर्णय लिया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : निर्णय के बदलने की सूचना मेरे पास नहीं है, तलाश करके मैं आपको बता दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जयपुर से दिल्ली तक बस चल रही है । अलवर और दिल्ली यह उस बस के रूट का पार्ट है जब कि दिल्ली से जयपुर तक का मार्ग राष्ट्रीयकृत है उस पर परमिट इश्यू हो गये थे वे परमिट की बसें चली गईं और उसके स्थान पर राष्ट्रीकरण हो गया । उस अन्तर्राजीय फैसले के जब जयपुर और दिल्ली के रूट का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो उस हिस्से को, अलवर और दिल्ली तक के को, राष्ट्रीकरण करने का निर्णय क्यों नहीं लिया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह प्रश्न अलग से है । He enquired whether the road has been nationalised and I said that it has been nationalised.

श्री रामानन्द अग्रवाल : My question is 'Delhi to Jaipur' तक

श्री अध्यक्ष : आप यह कह रहे हैं, जयपुर से दिल्ली तक का रूट नेशनलाइज़ हो गया तो फिर इस छोटे से हिस्से को राष्ट्रीयकरण में लेने में क्यों देरी हुई जब कि दिल्ली और जयपुर का रूट आप नेशनलाइज़ कर चुके थे ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : इसमें जो दिल्ली-जयपुर तक का रूट था उस रूट पर बसेज़ के लिये परमिट लिये हुए थे और अलवर दिल्ली तक का अलग से रूट था जिस पर पंजाब और राजस्थान के कुछ प्राईवेट ऑपरेटर्स बस चलाते थे । इस तरह से अलवर और जयपुर रूट पर परमिट से जो प्राइवेट बसेज़ चल रही थीं उसका रूट नेशनलाइज़ेशन पूरा हो गया है क्योंकि वहां राजस्थान की बसेज़ थीं । अलवर और दिल्ली रूट के बारे में जहां पंजाब और राजस्थान के प्राइवेट लोगों की बसेज़ चल रही थीं उसके लिये दिल्ली गवर्नमेन्ट और पंजाब गवर्नमेन्ट से कन्सलटेशन करना जरूरी था, उनकी पर्मिशन लेनी पड़ती है । जैसा कि मंत्री महोदय ने फरमाया राष्ट्रीकरण करने का निर्णय फाइनल हो चुका है, दिल्ली से भी जवाब आ चुका है, उसका नेशनलाइज़ हो जायगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इस राष्ट्रीयकरण के खिलाफ अलवर से दिल्ली तक राष्ट्रीयकृत बस चलाने के खिलाफ इस जिले के कांग्रेस लीडर को बस उस पर चलती है उसने इस तरह का रिप्रेज़ेन्टेशन किया है कि इसका राष्ट्रीयकरण न किया जाय ?

श्री हरिश्चन्द्र : हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है । राष्ट्रीयकरण हो रहा है इस प्रकार का सवाल उठाना बेकार है ।

श्री अध्यक्ष : अब जल्दी करवा दें ।

(विराम)

नेक्सट ।

सड़क निर्माण कार्य

४६४. **श्री सतीशकुमार** (बानसूर) [श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि रामपुर से गिरडी जाने वाली सड़क को बनाने का काम चुनाव के १५ दिन पहले चालू किया गया था तथा अब स्थगित कर दिया गया है ? अगर हां

(श्री सतीशकुमार शर्मा)

तो क्यों किया गया ?

(२) इस सड़क का ठेका कितने रुपये के लिये और किसे दिया गया था ?

(३) यदि यह काम स्थगित नहीं किया गया तो कब तक इस सड़क के तैयार होने की सम्भावना है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) कार्य १.२.६२ को आरम्भ किया था। जी नहीं। कार्य चालू है। प्रश्न नहीं उठता।

(२) मील १ और २ का ठेका श्री चिरंजीलाल ठेकेदार को ४६,१३६) रू० में दिया गया है। आशा है तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में।

श्री नत्थीसिंह : इसके लिये तृतीय पंच वर्षीय योजना में कितना रुपया अलोट हुआ ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह अभी नहीं बताया जा सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : तृतीय पंचवर्षीय योजना बनी है हरेक विभाग के लिये उसमें फेज्ड प्रोग्राम बनाया हुआ है। इस तरह से इस साल जो नहीं बन रहा है तो आगे किन सालों में बनेगा, इस बारे में सरकार को कहना चाहिये। फेज्डप्रोग्राम के अनुसार ही धनराशि वितरित होती है ताकि हम भी जनता को बता सकें कि आपकी यह मांग इस साल में पूरी होने वाली है ?

श्री हरिश्चन्द्र : तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो प्लान बना उसके लिये पहले प्लानिंग कमीशन के पास गये उस समय १८ करोड़ रुपये का रोड सेक्टर में मिलने का था लेकिन प्लानिंग कमीशन ने जो सैंक्शन की है वह सिर्फ १३ करोड़ रुपये की है; अब प्लान को उसमें बैठाने का सवाल है। हर साल हमको कितना अलोकेशन मिलेगा उसके अनुमान पर प्लान बनता है, इसलिये कौन से साल पर्टिक्युलर रोड शुरू होगी, यह बता नहीं सकते।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): क्या इस क्षेत्र से कोई मंत्री महोदय खड़े हो रहे थे जिससे चुनाव के १५ दिन पहले काम शुरू करवाया गया ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गोकुलचन्द (कटूमर-सु०) : पोइन्ट आफ ऑर्डर, सर, अध्यक्ष महोदय, मुझे ५४५ प्रश्न के उत्तर में एक लिस्ट मिली है जिसमें तीसरी पंच वर्षीय योजना में कौन कौन सी सड़कें स्वीकार की गई हैं उनका जिक्र है; लेकिन उसमें इस रामपुर सड़क का नाम नहीं। सड़कें बनने लग जाती हैं, काम शुरू हो जाता है, प्रश्न भी पूछते हैं तो लिस्ट इस प्रकार की मिलती है जो आपके सामने है।

श्री अध्यक्ष : ये चीजें आप माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लावें, इसके बारे में पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाने से निराकरण नहीं हो सकता।

(विराम)

नेक्स्ट।

(६. ०० म. पू.)

जयपुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक

५६८. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या मन्त्री, सहकारिता विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) जयपुर में कितने अरबन कोऑ-परेटिव बैंक हैं ?

(२) उनके शेयर होल्डर्स व डाइरेक्टर कौन कौन हैं ?

(३) उक्त बैंकों की कुल शेयर पूंजी कितनी है ?

(४) राज्य सरकार की ओर से ऋण, अनुदान आदि के रूप में इन बैंकों को कितनी रकम दी गई तथा उन बैंकों ने उस रकम का क्या उपयोग किया ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) दो हैं ।

(२) सूची परिशिष्ट 'क' और 'ख' संलग्न है ।

(३) ६४,३००) है ।

(४) ऋण कुछ नहीं । अनुदान केवल मरकेन्टाइल बैंक को १,२५०) रुपया । यह फर्नीचर और पब्लिसिटी के कार्य को दिया है और उसी में उपयोग किया ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या इनको कोई ऋण राज्य सरकार ने नहीं दिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दोनों को ही नहीं दिया है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की शेयर केपिटल क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ७४,१००) रुपया ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या इस बैंक की तरफ से एट टाइम लोन की एप्ली-केशन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में पेन्डिंग है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : No.

श्री अध्यक्ष : Next, Shri Kumaranand.

ब्यावर में चम्बल योजना से बिजली

५६६. श्री **कुमारानन्द** (ब्यावर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) ब्यावर के लिये चम्बल योजना से बिजली कब तक मिल जावेगी तथा उसकी दर क्या होगी ?

(२) क्या बड़े उद्योगों को सन् १९६२ के अन्त तक चम्बल की बिजली मिल सकेगी ?

विद्युत् मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) १९६२-६३ के अन्त तक ।

चम्बल क्षेत्र के लिये राज्य सरकार से स्वीकृत प्रोवीज़नल टैरिफ की दरों पर ।

(२) जी नहीं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : यह ब्यावर को मिलने वाली बिजली किस तरफ होकर आवेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : अजमेर होकर।

श्री कुमारानन्द : हैवी इन्डस्ट्रीज़ को आप कब तक बिजली देंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसके लिये ऐसा है कि अगर वे खुद जेनरेट कर रहे हैं तो सप्लाई नहीं कर पावेंगे उनको, पर जो छोटे उद्योग धन्धे हैं जिनको कि आजकल का पॉवर हाउस बिजली दे रहा है उनको देने की हम कोशिश करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ६२ के अन्त तक आप नहीं दे पावेंगे, यह आपने कहा है; पर इसके बाद आप कब तक दे पावेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : अगर बिजली चम्बल हाइडल जो कि गांधी सागर से उत्पन्न हो रही है उसमें अगर कुछ बचा, स्पेअर होती है, तो जरूर दे पावेंगे; क्योंकि इस वक्त मांग इतनी जबरदस्त है कि ब्यावर तक ले जावें तो वहां के सिटी के सारे कनेक्शन्स को सप्लाई करना चाहते हैं फिर जितनी भी छोटी इन्डस्ट्रीज़ हैं जिनको अभी का पॉवर हाउस दे रहा है, उनको सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब जो बड़ी इन्डस्ट्रीज़ हैं, जो अपनी बिजली खुद जनरेट करते हैं उनको अभी हम सप्लाई नहीं कर पावेंगे, आगे जो पॉवर लोड मिलेगा तब दे सकेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपने इन्फोर्मेशन दी थी कि सेकन्ड टरबाइन ने काम करना शुरू कर दिया है तो क्या उसका प्रभाव सप्लाई की पोज़ीशन पर नहीं पड़ेगा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सड़क निर्माण

५७०. **श्री नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

रामगढ़ से सीकरी वाया गोविंदगढ़ (जिला अलवर) सड़क बनवाने के कार्य की स्वीकृति कब तक हो जावेगी ?

उपमन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : केवल रामगढ़ से गोविन्दगढ़ सड़क निर्माण की स्वीकृति तृतीय योजना-काल में कर दी गई है।

श्री नत्थीसिंह : सैंक्शन कितने रुपयों की हुई है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जितना आवश्यक होगा।

श्री नत्थीसिंह : आप तो मुझे यह बता दीजिये डेफीनिट डेट कि कब तक यह तैयार हो जावेगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सन् ६३-६४ में काम शुरू हो जावेगा।

खाद-विक्रय

३८८. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No. 29

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(१) क्या यह सही है कि बूंदी जिले के नहरी क्षेत्रों में किसानों ने पानी लेकर पिलाई करना आरम्भ कर दिया है ?

(२) क्या यह सही है कि गत वर्ष जिन खेतों को नहर का पानी पिलाया गया था उनकी उपज इस वर्ष नहीं के बराबर है ?

(३) क्या यह सही है कि खाद की कमी के कारण पैदावार अधिक के बजाय कम होती जा रही है ?

(४) क्या सरकार नहरी क्षेत्रों में खाद बिक्री के लिये डिपो कायम करने का इरादा रखती है ?

उपमन्त्रिणी, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं, खाद सभी जगह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है व पैदावार भी बढ़ रही है।

(४) जी हां।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : ये जो खाद के डिपोज़ हैं किन किन जगहों पर खोले हुए हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : पंचायत, पंचायत समितियों और कोऑपरेटिव के स्टोर जहां भी है वहां उपलब्ध हैं। सरकार ने ऐसे ७५ डिपोज़ खोले हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : पंचायत समिति पाटन में भी है क्या ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह तो पूरी जानकारी नहीं है इस वक्त मेरे पास। अलग से आप पूछ लें। –

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैंने तो पूछा ही यह था कि पाटन तहसील में कहां दिया जा रहा है क्योंकि वहां खाद नहीं होने से किसानों का नुकसान हो रहा है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि पंचायत समिति के हैड क्वार्टर पर किसान को खाद मिल सके। अब अगर उनको पूरी जानकारी नहीं है तो मेरे प्रश्न का तो उत्तर मिलता नहीं है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने बताया न कि वहां वहां है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपके जवाब में आपने बताया कि पंचायत समिति के हैड क्वार्टर पर है तो क्या पंचायत समिति पाटन पर भी है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी हां, है। इसके अलावा वह भी व्यवस्था किये जाने का हमारा विचार है कि हर पांच मील में एक डिस्ट्रिब्यूटिंग सेन्टर हो।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अगर ऐसा है तो किसानों ने इस साल कितना खाद खरीदा है और कितना पाटन की पंचायत समिति ने सप्लाई किया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अलग से प्रश्न करिये इसके लिये।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जब सवाल पूछते हैं तो जानकारी मिलती नहीं, गोलमाल

Page No. 30

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

उत्तर दे दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(९. ०७ म. पू.)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक १९६२

(पुरःस्थापन)

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : मैं, मथुरादास माथुर, श्री बरकतुल्लाखां की तरफ से राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, १९६२

(पुरःस्थापन)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत बनाये गये नियमों पर संशोधनों की प्रस्तुति

श्री केसरीसिंह (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ के आधीन बनाये गये राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (डिक्लेरेशन ऑफ कृषि निपुण) नियम, १९६१ पर, जो दिनांक ५ अप्रेल १९६२ को सदन की मेज पर रखे गये थे, अपने संशोधन प्रस्तुत करता हूँ । संशोधनों की सूची अलग से वितरित कर दी गई है । So it may be taken as it as distributed.

कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन तथा उस पर सहमति

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : मैं कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उप स्थापन करता हूं ।

(विराम)

(श्री मथुरादास माथुर)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(विराम)

श्री रामकिशन

भरतपुर जिले में तोल के नये बांटों की अनुपलब्धियां सम्बन्धी अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना

(उत्तर हेतु स्थगन)

श्री रामकिशन (वैर) : मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत भरतपुर जिले में तोल के नये बांटों के न मिलने के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर उद्योग मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उद्योग मन्त्री गायब।

श्री अध्यक्ष : Who is going to reply to this ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : There is a vacum in the Goverment. Government is unable to reply.

श्री अध्यक्ष : Can we have it tomorrow ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तोलने का प्रश्न ही नहीं मिला, गायब है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : पब्लिक का उधर चालान हो रहा है, मुसीबत पर मुसीबत आ रही है और इधर उत्तर देने वाले ही नहीं हैं।

श्री मथुरादास माथुर (गृहमन्त्री) : Due to the Administrative officers' conference the Minister concerned is busy there. So I regret that we have not been able to answer to that.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हिन्दी में बोल दीजिये, आप अंग्रेजी में क्या बोल गये ?

श्री अध्यक्ष : इस पर कल सरकार की ओर से उत्तर दिया जावेगा ? श्री रामकिशन।

राज्य में खाद्य पदार्थों की कीमतों के नियंत्रण की व्यवस्था सम्बन्धी विषय पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : इस पर विचार करने के लिए दो घण्टे का समय निर्धारित किया गया है इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कृपया १५ मिनट तक ही अपना भाषण सीमित रखें ताकि ज्यादा माननीय सदस्य बोल सकें और सरकार की ओर से इसका उत्तर प्राप्त हो।

श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न रखा गया है कि राज्य में खाद्य पदार्थों की कीमतें इस प्रकार की तय हों, यह बहुत ही साधारण सवाल है। अक्सर यह

(श्री रामकिशन)

देखा जाता है कि जब फसल आती है तब खानपीन की चीजों के भाव गिर जाते हैं और इस सीमा तक गिर जाते हैं; अगर हम पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार की मूल नीति का विवेचन करें तो सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि इस योजना काल में खाद्यान्न की चीजों की कीमतें अनिश्चित दूसरी चीजों के बहुत ज्यादा गिरती रही हैं। किसान प्रति वर्ष बहुत ज्यादा घाटे में रहा है। मैं सारी मंडियों का सवाल नहीं लाता, लेकिन भरतपुर और खेरली मण्डी में १९ रु० मन गेहूं था और आज का भाव वहां का गेहूँ देखा जाये तो वह १३।। रु० मन हो गया है। यह प्रश्न प्रति वर्ष किसानों के सामने उत्पन्न होता है कि जब फसल आती है तो भाव काफी गिर जाते हैं और उसके बाद में भाव ऊंचे चले जाते हैं। तो इससे किसानों को काफी नुकसान होता है और साथ ही साथ जो छोटे छोटे खरीददार हैं जिनकी आनदनो की सीमा निश्चित है वे प्रतिवर्ष लुटते रहते हैं। इसी तरह से दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में जिस समय सरकार ने मूल नीति के लिए कुछ सिद्धान्त निर्धारित किये हैं वे दोनों ही योजना-काल में असफल रहे हैं। यदि हम पहली पंच वर्षीय योजना को देखें तो सरकार ने खुद ने माना है कि ५१ के मुकाबले में जो कृषि के मूल्यों का भाव था वह १४ प्रतिशत नीचे चला गया है जबकि उद्योग और दूसरी चीजों की कीमत इतनी नीचे नहीं गयी। किसान पहली पंचवर्षीय योजना के काल में लुटते रहे। हालांकि कोरिया के युद्ध के कारण भाव बढ़े थे और उसके बाद नीचे जाने चाहिये थे और किसानों की चीजों के भाव जितने नीचे गये उतने ही उद्योगों की कीमतें नीचे नहीं गयीं। अब मैं दूसरी योजना की सन् १९५८ की बात कहता हूं। सन् १९५८ में हिन्दुस्तान के तमाम बाजारों में ५ अरब सेर के करीब गेहूं आया और उस समय किसानों ने जो गेहूँ बेचा उसकी कीमत १३-१४ रुपये मन थी और वही गेहूं नवम्बर-अक्टूबर के महीने में जब किसान के बोने का समय आया उस समय ३२ रु० मन तक चला गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इससे ५ करोड़ किसानों को २। अरब के आसपास नुकसान हुआ और दूसरी तरफ सरकार ने इतने कम आदमियों को; यानी करीब २० लाख व्यापारियों को बड़ा नफा कमाने दिया। हिन्दुस्तान के अन्दर जितने उपभोक्ता असुरक्षित हैं शायद ही कोई और होंगे। किसान लुटता है, जिनकी आमदनी तीन-चार सौ रुपया माहवार है वह तो सालभर का अनाज खरीद सकता है लेकिन जो छोटे उपभोक्ता हैं; जो अध्यापक हैं, पटवारी हैं क्लर्क हैं जिनकी आमदनी सीमित रहती है वह सालभर का खरीद नहीं सकते और इस प्रकार से उपभोक्ता लुटते रहते हैं और किसानों की लूट भी चालू रहती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार की कोई नीति होनी चाहिए। वैसे मैं दूसरे देशों की बात नहीं लेता हूँ, हिन्दुस्तान की बात लेता हूं; दूसरे देशों में मूल्य का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और हमारे यहां जो योजनायें बन रही हैं उनमें इसको इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए था।

पिछले सालों में माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा कि नोर्वे में एक पैसा दूध का भाव गिर गया और उसके कारण सरकार को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि जो बेचने वाले थे कम में

(श्री रामकिशन)

बेचने को तैयार नहीं हुए और खरीददार लेने को तैयार नहीं थे। इस मामूली सी बात के ऊपर सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। इसी बात के ऊपर अलेग्ज़ेन्डर की सरकार भी असफल रही। बाकी १४ के ३१ भाव हो जायें या १२ के ५ रह जायें, इसकी सरकार को फिक्र नहीं! है अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को कोई न कोई नीति निर्धारित कर लेनी चाहिए और मूल नीति निश्चित करने में दो-तीन सिद्धान्त ध्यान में रखने चाहिए। जैसे बैसाख के महीने में १४ रुपये मन बिक रहा है तो मेरा निवेदन है कि सरकार को दूसरे बैसाख आने तक किसी भी सूरत में गेहूं की कीमत एक आने सेर से ऊंची नहीं जाने देनी चाहिए। इससे यह नतीजा होगा कि जो उपभोक्ता हैं वे सुरक्षित रहेंगे और किसान भी सुरक्षित रहेगा। इसके साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखना है कि अनाज की कीमत इतनी नीचे न चली जाय कि जिससे अन्न के उत्पादन में किसानों की दिलचस्पी कम हो जाय, यह भी होता है। सन् ५४ में गेहूं के भाव नीचे चले गये तो उत्पादन के क्षेत्र में सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में माना है कि ६ मिलियन टन अनाज की पैदावार कम हो गई और अनाज के बजाय किसानों ने तम्बाकू, तिलहन और ईख बोया। इसलिए मेरा दूसरा निवेदन यह है कि आज की हालत में गेहूँ की कीमतें किसी भी सूरत में फसल के टाइम पर १६) रुपये के नीचे नहीं जानी चाहिए और १८।।) रुपये से ज्यादा नहीं जानी चाहिए।

इसी प्रकार से हम दूसरी चीजों की कीमतें देखते हैं। मंत्री महोदय यह घोषणा करने वाले हैं कि हमने अनाज का भाव १३) रुपये मन रख दिया है। तो इस भाव से आप स्वयं ही अन्दाज लगाइये कि किसानों को कैसे लाभ पहुंच सकता है? सीमेन्ट की कीमत बढ़ गई, लोहे की कीमत बढ़ गई और कपड़े की कीमत बढ़ गई। इनकी कीमतें प्रति वर्ष बढ़ती चली जाती हैं और सरकार ने माना है कि इन कीमतों के उतार के लिए जितनी चेष्टा की उतनी ही इनकी कीमतें ऊंची जाती रहीं। लेकिन किसानों की चीजों में भाव कभी नीचे और कभी ऊंचे। जब पैदावार अच्छी होती है; जैसे ५४ में अच्छी पैदावार हुई तो उसका श्रेय सरकार ने ले लिया कि यह हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का परिणाम है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और दूसरी जगह भी सरकार ने जिक्र किया है, अन्न का उत्पादन जो बढ़ा है उसका श्रेय हमारी योजना के लिए है। यह मैं मान सकता हूँ कि इसमें कुछ अंश योजनाओं का भी है, लेकिन जैसा मन्त्री महोदय और सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि सन् ४२ से हमारे यहां बरसात अधिक होने लग गई है और इसीलिए पैदावार बढ़ रही है और इस उत्पादन में वृद्धि का बहुत कम हिस्सा योजनाओं का है। जब पैदावार घट जाती है तो उसका प्राकृतिक कारण दे दिया जाता है और जब पैदावार अच्छी हो जाती है तो हमारे मुख्य मन्त्री और हमारे प्रधान मन्त्री श्रेय लेते हैं। जब घटती है तो कह देते हैं कि प्रकृति का प्रकोप है। जब बढ़ जाती है तो कहते हैं कि यह भाखरा का और हमारी योजनाओं का नतीजा है। तो पता नहीं यह भाखरा और भगवान् का नाटक कब तक चलता रहेगा। इस प्रकार से सरकार अपनी गलतियों को छिपाती चली

(श्री रामकिशन)

जाती है और अन्न उत्पादन और कीमतों के मामले में ज्यादा सन्तुलन अभी नहीं ला पाई है। इसलिए मेरा दूसरा निवेदन है कि यहां पर आम तौर पर वेतन वृद्धि की जो मांग होती है यह क्यों होती है ? इसका कारण एक ही है । जब तक आप मूल्यों की एक सीमा को निर्धारित नहीं कर सकेंगे तब तक आप लोगों की वेतन-वृद्धि की मांग को पूरा नहीं कर सकेंगे क्योंकि जब गेहूं का १४) रुपये मन का भाव होता है तो उस कर्मचारी को ५०) रुपये मिलते हैं और जब उसका भाव २२) रुपये मन होता है तो भी उसको उतने ही ५०) रुपये मिलते हैं। तो उसके जीवन का खर्च बढ़ता जाता है और जो खर्च करने की सीमा है वह सीमित होती चली जाती है। तो मेरा दूसरा निवेदन यह है कि सरकार जहां अनाजों की कीमतें निश्चित करे वहां कल-कारखाने की चीजों की कीमतें भी निश्चित करे.... ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, एक तरफ तो आप कहते हैं कि सरकार कीमत निश्चित करे जिससे काश्तकारों को नुकसान न हो और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको पूरा पैसा मिले, दोनों स्टेटमेन्ट्स एक साथ कहे जाते हैं तो कौन सा सही है ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : समझने की कोशिश कीजिए।

श्री रामकिशन : माननीय सदस्य शायद पूरी तरह समझ नहीं पाये, मैं यह नहीं कह रहा हूं। मेरा निवेदन यह है कि सरकार को अनाज की कीमत तय करनी चाहिये और कल-कारखानों में बननेवाली चीजों की भी कीमत तय करनी चाहिये। संभव है राजस्थान सरकार यह कहे कि कल कारखानों में बनी चीजों की कीमत तय करना राजस्थान सरकार के हाथ में नहीं है। हो सकता है कि राजस्थान सरकार अधिक प्रभावशाली कदम इस दिशा में नहीं उठा सके तो उसे केन्द्रीय सरकार को लिखना चाहिये, कि किसी भी कारखाने में बनी हुई चीज की कीमत लागत से ड्योढ़ी नहीं होनी चाहिये, जिसमें सरकार के कर और लागत शामिल हों। चीनी कारखाने में १६।।) रु० मन में बन कर तैयार हो जाती है। सन् ५८ में भी इसी कीमत पर तैयार हो जाती थी और सन् ६२ में भी १६।।) रु० मन में तैयार हो जाती है । लेकिन पिछली पंचवर्षीय योजना में सरकार की सीमा को लांघ कर भाव सन् ५६ में १।) रु० सेर तक पहुंच गये। जो चीनी कारखाने में साढ़े आठ आना सेर में बन कर तैयार हो जाती हैं वह चाहे दिल्ली में बिके, चाहे कलकत्ता में बिके, चाहे जयपुर में बिके तो उसका भाव १३।। आना सेर से ज्यादा नहीं होना चाहिये।

सरकार की टैक्स लगाने की जो नीति है वह भी ठीक नहीं है। जो जरूरी चीजें हैं उन पर टैक्स एक सीमा तक लगता है और ऐश-आराम की चीजें हैं उनको दूसरी सीमा तक ले जाते हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क को देखें वहां खाने-पीने को और पहिनने की चीजें सस्ती होंगी और बाकी की चीजें महंगी होंगी। हिन्दुस्तान की परिस्थिति ऐसी है, हरेक स्थिति में स्वीकार किया है कि जीवन की जरूरी चीजें

(श्री रामकिशन)

हैं उनकी कीमत ऊंची हैं और बहुतसी चीजें ऐसी हैं जिनको २-३ प्रतिशत से अधिक लोग काम में नहीं लेते हैं उनकी कीमत नीची हैं। जन साधारण जिन चीजों को काम में लेते हैं उनकी रेट ऊंची होती चली जाती है।

सरकार को उद्योग-धंधों के बारे में नीति बनानी चाहिये। कारखाने में बनी हुई चीजों की कीमत लागत से ड्योढ़ी नहीं होनी चाहिये। कीमतें क्यों बढ़ती हैं, इसकी सरकार को जरूर चिन्ता करनी चाहिये। चीनी उद्योग की रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार उत्पादन ज्यादा हो गया है। मैं कहता हूं कि उत्पादन ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन चीनी की कीमत इतनी ज्यादा है कि गांवों में साधारण लोग खर्च नहीं कर सकते। इसलिए इस स्थिति में नुकसान उठा कर बाहर भेजनी पड़ती है। यदि इस सिद्धान्त पर चीनी की कीमत तय की जाय तो किसानों को भी लाभ होगा और उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। चीनी ज्यादा है, इसके बारे में सरकार बार बार कहती है और घाटा उठा कर बाहर भेजती है। उन रुपयों को बचा कर निर्माण कार्यों में खर्च कर सकते हैं।

तीसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा यह है कि सरकार को कीमत तय करने के लिए सिद्धान्त अपनाना चाहिए। प्रत्येक राज्य में, मैं राजस्थान के बारे में कहूंगा, ऐसा बोर्ड रहना चाहिए जो हरेक फसल पर कीमतों का ध्यान रखे। फसल के टाइम पर और बीज के टाइम पर कीमतों पर चैक रखे। कारखानों में उत्पादित होने वाली चीजों की कीमत क्या हो, इन सब पर विचार करेंगे तो कीमतों को ठीक तरह से रख सकेंगे। आम तौर से किसी भी प्रश्न को उठाते हैं तब सरकार कहा करती है एक बहाना लेकर कि वित्तीय स्थिति सरकार की ऐसी नहीं है कि यह चीज की जाय। लेकिन इसमें पैसा खर्च करने का प्रश्न नहीं है। इसमें तो प्रश्न है कंट्रोल कर लेंगे तो तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की आमदनी बढ़ेगी। सरकार कमेटियों का फैसला करती है, प्रधान मंत्रीजी ने कहा था बढ़ी हुई आमदनी कहां चली गई, वह किसान के पास से तो २।) रुपये सेर चीनी के भाव में चली गई ! सरकार ने कंट्रोल कर दिया तो कीमत बढाने की जरुरत नहीं पड़ेगी। सरकार को ऐसा बोर्ड बनाना चाहिये जो निरंतर नियंत्रण रख सके। सरकार को गोदाम बनाने चाहिये। निश्चित भावों से नीचे भाव जाने लगें तो सरकार को खुद खरीदना चाहिए। सरकार ने पिछले साल भी इसके लिये घोषणा की थी, लेकिन वह घोषणा घोषणा ही रह गई। पिछले साल आपने अनाज खरीदने के बारे में कहा था और यह कहा था कि भाव १४) रु० मन से नीचे नहीं जाने चाहिए। लेकिन भाव नीचे गये और सरकार की तरफ से नहीं खरीदा गया। इसलिए निवेदन है कि गोदाम की व्यवस्था तेजी से करके और बैंक से कर्जा लेकर भी खरीदने की कोशिश करनी चाहिए।

तीसरी चीज यह है कि वितरण की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी तो भावों में उतार-चढ़ाव रहेगा। सरकार को नीति घोषित करनी चाहिये। जहां तक कीमत के उतार-चढ़ाव का सवाल है दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में माना है कि किसानों के साथ न्याय नहीं कर सके हैं। कारखानों में तैयार होने वाली वस्तुओं के

(श्री रामकिशन)

भाव १५ वर्षों में भी नीचे नहीं गये हैं। जो सीमेन्ट की बोरी पहले ६) रुपये में मिलती थी वह आज ७।।) रुपये में मिलती है। जो मिट्टी के तेल की बोतल पहले ६ पैसों में मिलती थी वह आज ५ आने में मिलती है, जो चीनी पहले ६ आने सेर मिलती थी वह आज १७-१७।। आना सेर मिलती है। इस व्यवस्था से किसान निरन्तर घाटे में रहता है, उपभोक्ताओं को तो लाभ होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस संबंध में सरकार की जब तक नीति नहीं होगी तब तक पंचवर्षीय योजनाओं से लाभ होनेवाला नहीं है।

एक प्रश्न और चला है। तीसरी पंच वर्षीय योजना में एक बात कही गई है कि उद्योगों में सरकार की टैक्स नीति क्या हो और टैक्स नीति को मूल्य नीति से जोड़ा है। यह बिल्कुल सही है कि जिस मुल्क में, जिस समाज में जैसी अर्थ नीति होगी वैसी ही मूल्य नीति होगी। लेकिन अर्थ नीति और मूल्य नीति के सामंजस्य के लिये प्लानिंग कमीशन ने सुझाव नहीं दिये हैं, शान्त बैठ गया है। मोटे मोटे लक्ष्य सरकार की मूल्य नीति के बारे में बताये हैं कि मूल्य नीति इस तरह की हो कि आम लोगों को नुकसान न हो, कीमतों में ज्यादा उतार-चढ़ाव न हो और सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखेगी कि कीमतों का आपसी सम्बन्ध अनुपात से हो। ये गोलमाल शब्द हैं। तो मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिये। यदि विचार करती है तो समस्या स्वयं हल हो जाती है।

सरकार बार बार टैक्स लगाती है। सरकार को टैक्स लगाने का बहाना मिल जाता है, यह कह कर कि कीमतें स्थिर रहेंगी। हम देखते हैं, अभी हमारे यहां जो अमेरिकन राजदूत हैं उन्होंने मूल्य नीति पर एक लेख लिखा है। मैं समझता हूं माननीय सदस्यों ने और सरकारी पक्ष के लोगों ने 'उद्योग व्यापार पत्रिका' में उसे पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि जितनी अर्ध विकसित कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें कीमतों पर जितना उतार-चढ़ाव हिन्दुस्तान में आता है उतना दक्षिण अमेरिका के लेटिन-अमेरिकन कंट्रीज़ के अलावा कहीं नहीं आता। यहां उन्होंने बर्मा, इंडोनेशिया, मलाया आदि का भी जिक्र किया है और बताया है कि वहां की सरकारों ने मूल्य नियंत्रण की तरफ सबसे पहला कदम उठाया है। लेकिन यहां की सरकार जब भाव बहुत ऊंचे चले जाते हैं, जब झगड़े होते हैं या आन्दोलन होते हैं तब कुछ करने को तत्पर होती है। लेकिन जब आन्दोलन शान्त होता है, कीमत कुछ नीची चली जाती है तब फिर ढिलाई आ जाती है। यह योजनाबद्ध हमें रखना चाहिये, समाजवाद में मूल्य के नियंत्रण की उचित व्यवस्था होनी चाहिये। यदि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है तो आपकी जितनी योजना है उसका लाभ किसानों को और खरीददारों को उनका जीवन स्तर उठाने में नहीं हो सकता। पिछले आंकड़े देखेंगे तो पता चलेगा कि विशेष लोगों को इसका लाभ मिला है, क्योंकि आमदनी बढ़ेगी वह विशेष वर्ग के लोगों, पूंजीपतियों के पास जाती है और किसान वर्ग, मजदूर वर्ग और छोटे व्यापारी लुट जाते हैं। थोड़े से लोग जो ५-६ लाख परिवार सारे देश

Page No. 37

(श्री रामकिशन)

में हैं वे लाभान्वित होंगे तो सरकार को इस दिशा में कोई प्रभावशाली कदम जरूर उठाना चाहिये ।

एक प्रश्न और है। चीनी का प्रश्न आया, राजस्थान में भी विचार हुआ । सरकार चीनी के क्षेत्र को बढ़ाना चाहती है, पैदावार बढ़ाने की बात की है। लेकिन अनाज के बारे में सरकार की ऐसी व्यवस्था है कि प्रांत आत्म-निर्भर हो गया है। यह निर्णय कुछ भावनाओं पर आधारित हो सकता है। लेकिन यदि दो बरसात अच्छी नहीं हुई तो अनाज की पैदावार गिर जायगी, तब कहेंगे कि बरसात अच्छी नहीं हुई इसलिये पैदावार गिर गई। कुछ अंशों में तो इसे मान भी लेंगे लेकिन योजना का क्या मतलब है ? योजना का मतलब यही है कि संकट के समय में भी सारी बातें सुरक्षित रहें, ऐसी स्थिति नहीं आवे जैसी सन् ५८ में आई थी। उस वर्ष शहरी क्षेत्रों में तो सस्ते अनाज की दूकानें खुल गईं, गांववालों को, मैं अपने इलाके की बात कहता हूँ, लाल ज्वार भी २०–२२ रु० मन पर लेकर अपना गुजर करना पड़ा। सरकार के अधिकारियों को जब कहा गया तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया कि बरसात की कमी के कारण पैदावार गिर गई है। जो पैदावार हमारे यहां बढ़ती है वह नई जमीन आबाद हुई है उसके कारण बढ़ती है। लेकिन नई जमीन जब सीमित हो जायगी तब पैदावार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठायेंगे ? इसलिये संकट के लिये कुछ ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिये जिससे भावों को सीमा में रख सकें ताकि जो दूसरे लोग हैं, कम आमदनीवाले लोग हैं उनका जीवन सुरक्षित रह सके।

इसी प्रकार रूई का प्रश्न आता है। तीसरी योजना में कहा है कि रूई का उत्पादन कम है । एक माने में सचमुच हमारे यहां रूई का उत्पादन कम है । दुनिया में १०३ रूई उत्पादन करनेवाले देश हैं, जिनमें हमारा नंबर ८२ पर आता है, जहां १५।। गज कपड़ा एक आदमी को मिलता है। हिन्दुस्तान में भील, हरिजन, शूद्र आदि जो लोग हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम है, उनको औसत जितना भी नहीं आता है। वे इसलिये नंगे बदन नहीं रहते हैं कि हमारा मुल्क गर्म है; बल्कि इसलिये कि १५।। गज कपड़ा नाकाफी है। आज हम इतना कपड़ा एक परिवार को दे रहे हैं जब कि हमारी योजना में जो लक्ष्य रखा गया है वह पच्चीस गज के आसपास है। पच्चीस गज से एक आदमी का गुजारा हो सकता है और उतना उत्पादन करने के लिए हमारे रूई का........

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि जो आपने प्रश्न रखा था, वह सिर्फ नाज से सम्बन्धित था कि भरतपुर में इस वक्त प्राइसेज़ बहुत नीचे चली जा सकती हैं और जायंगी, इसलिए इस पर विचार करें। लेकिन आप ऑल प्राइस स्ट्रक्चर के ऊपर सारा का सारा डिस्कशन कर रहे हैं। यह जो सवाल है, मेरे ख्याल से ये पार्लियामेंट के सवाल हैं, असेम्बली के डिस्कशन का नहीं है। इसलिए सारे प्राइस स्ट्रक्चर पर बहस नहीं हो सकती। फूड का सवाल है, उसमें

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कुछ हद तक कि प्राइस बहुत नीचे न गिर जायं, इस पर डिस्कशन हो सकता है और इसके लिए प्रश्न रखा था....

श्री अध्यक्ष : राज्य की खाद्यान्न की कीमतों के बारे में मोशन है।

श्री नाथूराम मिर्धा : लेकिन यहां सारी प्राइस स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जा रहा है, जो इस सदन का सवाल नहीं है।

श्री रामकिशन : यह माननीय मंत्री ने फर्माया, यह बात सही है। लेकिन मेरा उससे मतलब है, क्योंकि उसमें मैंने एक बात कही थी कि मूल्यों में आपस में रिश्ता रहना चाहिए। उसका उदाहरण देना चाहता हूँ ....

श्री नाथूराम मिर्धा : यह विषय नहीं है।

श्री रामकिशन : खाद्यान्नों का पक्ष है, वह मैंने रख दिया है। अब जो विभिन्न मंडियों में भाव चल रहे हैं उनका मैंने उदाहरण दिया है....

श्री नाथूराम मिर्धा : एक बताया है कि खेलड़ी में साढ़े तेरह रुपये मन का भाव है।

श्री रामकिशन : मैंने एक वर्ष का बताया है।

अब मैं पिछले साल का, जो खेलड़ी की मंडी है, इसके अलावा नदबई, खेलड़ी और भरतपुर की जो तीन बड़ी बड़ी मण्डियां कहलाती हैं, उनमें जो कीमतों के उतार चढ़ाव होते हैं, वह रख दूं तो उससे साबित हो जायगा कि फसल के ऊपर और फसल के बाद कीमतों में अन्तर कितना अन्तर आता है। उस पर सरकार को जितना नियन्त्रण रखना चाहिए, उस दृष्टिकोण से तब तक गौर नहीं किया जा सकता, जैसा मन्त्री महोदय ने कहा कि और कीमतों पर हम विचार नहीं कर सकते। सम्भव है वे और कीमतों पर विचार न करें, लेकिन जब तक मूल्य निर्धारित करते वक्त और चीजों की कीमत पर समान रूप से विचार नहीं करते हैं तब तक इसका निराकरण नहीं निकाला जायगा। इसलिए मैंने सरकार से निवेदन किया है, मैं समझता हूँ कि सरकार इस प्रगतिशील कदम को उठायेगी। अगर यह कदम नहीं उठाया गया तो हो सकता है कि यह संकट और बढ़ जाय, कीमत नीचे गिर जाय और किसान उत्पादन बढ़ाने में दिलचस्पी लेना बन्द कर दें या कम कर दें।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसिंह।

श्री भीमसिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, वैर से आये हुए साथी ने जो सुझाव रखा है, उसमें उन्होंने नियन्त्रण के बारे में जोर दिया है। मेरा यह निवेदन है कि अगर नियन्त्रण के बजाय उसके विषय में समानीकरण या चैक करने की चर्चा करते तो अधिक उत्तम होता क्योंकि नियन्त्रण करने से, कंट्रोल करने से जो राहत हम कृषक को देना चाहते हैं, उसके बजाय, मैं समझता हूं कि काश्तकार को फायदा न होकर, जो दूकानदार हैं, और जो पर्चेज़र हैं, उनको होगा। अगर कण्ट्रोल

(श्री भीमसिंह)

आयेगा तो उससे करप्शन बढ़ेगा और प्राइसेज़ की जो महंगाई आयेगी, उससे काश्तकारों को कोई फायदा होनेवाला नहीं है और करप्शन का ज्यादा से ज्यादा बोलबाला बढ़ेगा । मैं समझता हूं कि उनका मतलब है, वह शायद प्राइसेज़ को चैक करने से है, सीमा के अन्दर रखने से है, वह कन्ट्रोल से नहीं आ सकता है । जैसा कि दूसरे विदेशी मुल्कों में किया जाता है कि जब कीमत बढ़ने लगती है तो सरकार खरीदने लगती है और जब देखती है कि प्राइसेज़ गिरने लगी हैं तो सरकार एक फिक्सड रेट के ऊपर अनाज अवेलेबल करने लगती है । उस माफिक सरकार की ओर से बन्दोबस्त हो सकता है तो उससे काश्तकार को फायदा हो सकता है । लेकिन नियन्त्रण करने से, जैसा वार टाइम में नियन्त्रण था, उससे काश्तकार के बजाय दूकानदार को उसका फायदा होगा । यह बात इस लक्ष्य के विपरीत होगी । इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज अपने यहां कॉम्यु-निकेशन इतना डेवलप हो गया है कि अगर खाली राजस्थान स्टेट ही इस चीज को लागू करेगी तो वह इफेक्टिव नहीं हो सकती है । आज अपने यहां पंजाब का गेहूं आ सकता है, अपने यहां से पंजाब जा सकता है, यू. पी. जा सकता है । आज जोनल रेस्ट्रिक्शन हट चुका है । इसलिए अनाज की कीमतें हैं, ये कीमतें दूसरे प्रान्तों की कीमतों पर निर्भर करती हैं । अपने यहां ज्योंही अनाज सस्ता होता है, तो अपने यहां के दूकानदार अनाज पंजाब में महंगे भाव पर बेचना शुरू कर देते हैं, उनके यहां का अनाज अपने यहां आना शुरू हो जाता है । आज कॉम्युनिकेशन इतना डेवलप्ड हो गया है कि आज यहां से अनाज लोड कराइये तो दूसरे दिन सुबह पंजाब पहुंच सकता है, यू० पी० पहुंच सकता है । आज उनको ट्रेनों पर डिपेन्ड करने की जरूरत नहीं है । प्राइस लेवल के द्वारा, यहां की प्राइसेज़ के फाल होते ही, प्राइस कंट्रोल करते हैं और सरकार को कंट्रोल करना चाहिये । लेकिन सर-कार इसे तब तक नहीं कर सकती जब तक कि पंजाब, यू० पी० और गुजरात जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, उनके साथ मिल कर पॉलिसी निधारित नहीं हो और जब तक उनका अपनी स्टेट के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं हो तब तक प्राइसेज़ को चैक में रखना अपनी सरकार के लिए पोसिबल नहीं हो सकता । इसलिए मैं आपके सुझाव के साथ यह रखना चाहता हूँ कि दूसरे प्रान्तों की सरकार से मिल कर प्राइ-सेज़ के बारे में विचारा जा सकता है । लेकिन अगर आप नियंत्रण कराना चाहते हैं, कंट्रोल कराना चाहते हैं तो वह काश्तकार के लिए ज्यादा से ज्यादा घातक चीज होगी ।

इसके अलावा उन्होंने बीज के बारे में चर्चा की कि काश्तकारों को बीज उपलब्ध नहीं होता है और होता है तो महंगे रेट पर उपलब्ध होता है । मैं समझता हूं कि उनकी जानकारी में होना चाहिये कि जो काश्तकार है वह हमेशा अपनी जरूरत के माफिक नाज को रख कर, बीज के लिए रख कर बाकी का नाज बेचेगा, तो यह प्रश्न उठ नहीं सकता है कि....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): आप जैसे काश्तकार कर सकते हैं, गरीब काश्तकार नहीं कर सकते ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आप कौनसे काश्तकार की बात कर रहे हैं ?

श्री रामकिशन (बैर) : मैं सोलह करोड़ काश्तकारों की बात कर रहा हूँ, आप ढाई करोड़ की बात कर रहे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : गेहूं के बीज का इतना स्टॉक करते हैं और जिसकी बिक्री होती है वह किनको देते हैं ?

श्री भीमसिंह : मैं अपने प्रान्त की बात निवेदन करता हूँ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चार-पांच बीघा वाले काश्तकार के लिए बताइये ?

श्री भीमसिंह : शेखावाटी का जो इलाका है वह बीकानेर के पास है। हमारे यहां काश्तकार अपनी जरूरत का नाज पिडारा में बन्द करके रखेगा। नमी न लग जाय, सर्दी और बरसात में खराब न हो जाय, इसके लिए बीज रखने के लिए पिडारा होता है; उसमें स्टॉक करते हैं। आप शायद उस एरिया की बात करते हैं....

श्री नत्थीलाल (नदबई) : आप राजस्थान की बात कर रहे हैं या अपने यहां की बात कर रहे है ?

श्री अध्यक्ष : बीकानेर और झुंझुनू राजस्थान में है।

श्री रामकिशन : भरतपुर और अलवर भी राजस्थान में हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनिये। बीच में न बोलें।

श्री भीमसिंह : उनका मत है, वह कुछ हद तक ठीक है, यू०पी० का जो बोर्डर है उसमें जो स्माल होल्डिंग्ज़ हैं, वहां के काश्तकार को अपनी इमीजियेट नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए और बोहरे को पैसा चुकाने के लिए पूरा नाज फरोख्त करना पड़ता है और उनके पास बीज नहीं रहता है। तो जो स्माल होल्डिंग्ज़ हैं, उनकी यह डिफीकल्टी है, इसमें दो राय नहीं हो सकती है। मेरा निवेदन करना है कि जैसे आम तौर पर काश्तकार बीज स्टॉक करके रखते हैं और बाकी का बेचते हैं और इसके साथ ही नाज जितना मंहगा रहे वह काश्तकार के हित में रहता है। दिक्कत उन लोगों को आती है जो आम लेबरर्स हैं या मिडल क्लास हैं, जो खेतिहर नहीं हैं। गवर्नमेन्ट को तो दोनों के हिसाब से दृष्टिकोण रखना है। जो काश्तकार नहीं हैं उनका हित देखना है और जो काश्त करते हैं उनका हित भी देखना है। मेरा निवेदन करना है कि प्राइस लेवल को चैक किया जाय, प्राइसेज़ को ज्यादा ऊपर नहीं जाने दिया जाय और ज्यादा नीचे भी नहीं जाने दिया जाय। यह दूसरी स्टेट से मिल जुल कर ही पोसिबल हो सकता है या तब होगा जब स्टेट खरीदेगी और बेचेगी। लेकिन उनका मतलब यह हो कि सरकार का नियंत्रण हो, कंट्रोल हो तो मैं पूरी तरह से निवेदन करूंगा कि कंट्रोल लाने से करप्शन आयेगा और काश्तकारों को राहत नहीं मिलेगी और इसका दूकानदारों को फायदा मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कंट्रोल करना अच्छा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय,........

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मेरा नाम लिया है, आपका नहीं।

अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न उठाया गया है इसके दो पहलू हैं– एक पहलू यह है कि जो किसान खेत में अनाज पैदा करता है उसके नाज की कीमत या खाद्यान्न की कीमत इतनी नहीं गिर जाय कि उसकी दिलचस्पी न रह जाय उत्पादन करने में और दूसरे, जो उपभोक्ता हैं उनको भी उचित भाव पर खाद्यान्न मिल सके। अभी एक बात एक माननीय सदस्य ने यह उठाई, शायद इसका मतलब कंट्रोल से नहीं है, जिस कंट्रोल का कटु अनुभव हमें हो चुका है, इसका पहलू सिर्फ इतना है कि आज यह सही स्थिति है कि जो किसान है, जो पैदा करता है, उसके पास रिटेनिंग पॉवर नहीं कि अब खाद्यान्न को जो पैदा करता है उसको रख सकता हो। जो वह उपज करता हैं वह मण्डी में नाज जाता है और उसकी सारी आवश्यकतायें हैं उनको पूरा करने के लिए उसके पास केवल एक जरिया है और वह पैदावार है। उसको मजबूरन पैदावार बेचनी पड़ती है और अपनी सारी जरूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। जब तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हो जाती कि किसान सही समय पर, जब उसके खाद्यान्न की कीमत बड़ी हो, उस वक्त बेच सके तब तक के लिए खाद्यान्न को रिटेन कर सके, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस विषय में मैं यह भी कहूंगा कि यह कह देना कि राजस्थान सरकार कतई जागरुक नहीं है, यह सही नहीं है। राजस्थान सरकार ने कुछ कदम इस विषय में उठाये हैं लेकिन वे कदम अपने आप में पूर्णतः पर्याप्त नहीं हैं।

क्रय-विक्रय के जरिये उन किसानों को यह सुविधा दी है कि जिस समय वे बाजार में अपनी पैदावार ले जावें उसको वहां पर रख सकते हैं और ७५ परसेन्ट कीमत का एडवान्स उनको दिया जा सकता है। लेकिन यह व्यवस्था है कि जिस वक्त क्रय–विक्रय संघ में उस पैदावार को रखेंगे उस वक्त के भाव की कीमत का ७५ प्रतिशत उनको दिया जावेगा और बाद में जब अच्छे भाव आवें तो बेच दें। लेकिन उनके सामने दूसरी कई बातें पैदा होती हैं जिनके कारण वे अपने माल को वहां पर नहीं रख सकें और उनको पैसे की जरूरत होती है। इसलिये यह जरूरी है कि राज्य सरकार ने क्रय-विक्रय संघ को योजना को बल दिया है, इसके साथ साथ वेअरिंग हाउसेज़ की व्यवस्था भी होनी चाहिये कि अगर निश्चित सीमा से नीचे भाव जाते हैं तो उससे किसानों को जो नुकसान होता है उससे उनको बचाया जावे और सरकार खुद उनको फिक्स कीमतों पर खरीदे; यह नहीं कि सरकार यह कह दे कि क्रय विक्रय संघ की व्यवस्था है। मगर यह जिम्मेदारी सरकार की है। इसके अलावा दूसरी बात उपभोक्ताओं की है। इसके लिये भी प्रश्न उठाया जाय कि निश्चित कीमतों तक खाद्यान्नों उपभोक्ताओं को मिलना चाहिये। आज तो गेहूं का भाव १४) रु. मन का है। विशेष परिस्थिति में गेहूँ के भाव २०) रु. मन हो जाते हैं और इससे भी ऊंचे चले जाते है और सरकार ने यह नियंत्रण किया है कि १८) रु० मन का भाव ऊंचा से ऊंचा रखना चाहिये। तो किसान को जब २०) रु. मन बेचने का मौका आता है तो २०) रु. मन बेचने से किसान को २) रु. मन का लाभ होता है। होना तो यह चाहिये कि अगर निश्चित सीमा से ऊपर भाव जाते हैं तो वहां तक सरकार की

(श्री नत्थीसिंह)

जिम्मेदारी सप्लाई करने की है, जिससे किसानों को भी नुकसान नहीं हो और उपभोक्ताओं को भी निश्चित सीमा तक खाद्यान्न प्राप्त हो सके। इसलिये इसकी सीमा होनी चाहिये। सरकार ने वेअर हाउसेज़ की व्यवस्था की है और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी जैसे कि निश्चित सीमा से नीचे जो भाव जाते हैं उससे लोस किसानों को होता है उसको उठाने की जिम्मेदारी ले।

यह कहा जा सकता है कि हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। आपने समाजवाद की बात कही है। अगर आप समाजवाद की बात कहते हैं तो मैं यह कहूंगा कि ८० परसेन्ट किसान हैं इनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिये। हमें किसानों को सुविधा देने के लिये और सुरक्षा देने के लिये कदम उठाना पड़ेगा। आज किसानों की क्रॉप्स खत्म हो जावेंगी या खराब हो जावेंगी उसके लिये इन्श्योरेन्स की बात हो तो यह कह दिया जावेगा कि हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, हम क्रॉप इन्श्योरेन्स नहीं कर सकते। अगर उसकी अच्छी कीमत मिल सके तो इन्श्योर कर ली जानी चाहिये। मेरा सुझाव यह है कि इसको कन्ट्रोल करना नहीं है, बल्कि पब्लिक सेक्टर से उपभोक्ता और किसानों को निश्चित सीमा से ऊपर भावों पर उनको राहत मिल सके और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जो चर्चा का विषय अभी हाउस के सामने है उसमें नाज के भावों के बारे में सरकार की एक निश्चित नीति होनी चाहिये। इसलिये मेरा यह कहना है कि आज जो परिस्थिति हमारे प्रान्त और देश में है वह यह है कि जिस समय किसान अपनी पैदा की हुई चीजों को बेचता है तो उसको जो पैदा की हुई चीजों का मूल्य मिलता है वह बहुत ही कम मिलता है और जब वह सारा का सारा पैदा किया हुआ माल किसी व्यापारी के पास जाकर इकट्ठा हो जाता है और जब अच्छे भाव हो जाते हैं तो वह बेचता है तो उसके बीच में काफी मार्जिन रहता है, जो उस व्यापारी को मुनाफे के रूप में मिलता है। उसका एक मात्र कारण यह है कि आज राजस्थान सरकार का कोऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट लाखों रुपयों का लोन सेवा समितियों को देता है, लेकिन जिस मकसद से यह रुपया दिया जाता है वह मकसद पूरा नहीं हो पाता। मकसद यही है कि वक्त पर अनाज पैसा देकर उनसे ले ले और ७५ प्रतिशत या ८० प्रतिशत उनको उस समय दे दे और जब बाजार में अच्छा भाव आवे तो उसे बाजार में बेच दिया जावे। परन्तु आज यह उद्देश्य जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का होना चाहिये नहीं है और शायद सेवा-समितियों ने इस मामले में कदम नहीं बढ़ाया है, इसका एक मात्र कारण यह है कि उनको जो पैसा लोन के रूप में दिया जाता है वह इतना कम होता है कि वे इस तरह के स्टोरेज नहीं कर सकते, आदमी का इन्तजाम नहीं कर सकते और इसी तरह से नाज और दूसरी किसान की पैदावार की चीजों को इकट्ठा नहीं कर सकते और पैसा किसान को नहीं दे सकते। इसलिये सेवा सहकारी समितियों को जो पैसा दिया जाता है उसके लिये एक परसेन्टेज मुकर्रर करना चाहिये कि जिससे वे इस तरह के माल को रख सकें और कीमत अच्छी हो तब किसान की चीजों को बेचे और

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

किसानों को पैसे दिलाये जा सकें । ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, जो नाज के भाव का प्रश्न है, इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि कुछ बहुत बड़ी बड़ी मण्डियें भी हैं जहां नाज का सट्टा होता है । इसको जब तक नहीं रोकेंगे तब तक नाज के भावों में घटा–बढ़ी को नहीं रोक पायेंगे । बहुत से व्यापारी लोग हैं जो खेतों से नाज बाहर नहीं आता है उससे पहले ही सट्टों के भाव लगा देते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि किसान को लाज़मी तौर से बेचना होता है क्योंकि उनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं होती और उनको भू-राजस्व चुकाना पड़ता है । इसके अलावा घर गृहस्थी का सामान भी खरीदना पड़ता है इस लिये उसको अपनी पैदावार को बेचना होता है और सट्टा करने वाले लोग उसके नाज को पैदा नहीं होने से पहले ही नाज के भाव को बहुत ज्यादा बढ़ाते नहीं और हजारों मन नाज उनसे खरीद कर लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं । इसलिये ऐसी चीजों पर सरकार की तरफ से इन्तजाम होना चाहिये और सट्टों की इजाजत इस प्रकार खाद्यान्नों पर नहीं होनी चाहिये । इसको किसी न किसी तरह से रोका जाना, चाहिये चाहे इस पर कानून बना कर रोक लगानी पड़े । । जब तक सट्टा बन्द नहीं होगा यह भाव किसानों के लिये फायदेमन्द नहीं हो सकते और किसानों की चीजों के भाव अच्छे नहीं हो सकते । इस सम्बन्ध में मैं आपको एक मिसाल देकर बताना चाहता हूँ । किसान गन्ना पैदा करते हैं । उसको एक मन गन्ना की कीमत १ रूपया ७ आना मिलती है; जबकि जलाने की लकड़ी के भाव भी २॥) रुपये मन और तीन रुपये मन बिकती है । किसानों की पैदा की हुई चीजें किस मूल्य पर बिकती हैं; जबकि हम यह चाहते हैं कि हमारे किसानों की माली हालत अच्छी हो और देश में प्रोडक्शन बढ़े ? इन सारी चीजों के लिये यही हो सकता है कि सेवा सहकारी समितियां हैं उनके पर्चेज़िंग पॉवर को बढ़ाया जावे और उनको आमदनी बढ़ाने के लिये ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दी जावें ताकि वे मजबूती से और अच्छी तरह से समितियों को चला सकें और किसान की पैदावार को रख कर उसको जितना परसेन्ट उसके सामान पर दे सकें दें, तभी जाकर यह बात हो सकती है ।

दूसरी बात यह कही गई है कि नीचे से नीचा और ऊंचे से ऊंचा भाव सरकार तय कर दे । यह बहुत जरूरी है, इसलिए कि आज हिन्दुस्तान में दूसरी जो भी चीजें मशीनों से पैदा होती हैं उसके नीचे से नीचे और ऊंचे से ऊंचे भाव भी तय होते हैं । लेकिन इन चीजों के भाव जो किसान जमीन से पैदा करता है । उनके भाव निर्धारित नहीं हैं । जैसे गेहूँ, जौ, चना आदि बाजार में आये हैं । आज बाजार में १३) रु० मन से लगा कर १६) रु० मन का भाव है । लेकिन किसान आज से कुछ अर्से बाद नाज को बोने के लिये गेहूं के बीज खरीदने जावेगा उसके लिये मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि उसको बहुत महंगे भाव से मिलेगा । सरकार की तरफ से भी पंचायत समिति जो बीज देती है वह भी आज यह सिस्टम बना हुआ है कि उनको २०) रू० मन के भाव से बीज मिलता है । आपके सूरतगढ़ फार्म का गेहूं का बीज आता है उसका भाव इस साल १८) रुपये

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

और कुछ नये पैसे था जो पंचायत समितियों के हैड क्वार्टर पर जाते जाते १७) रु० और कुछ नये पैसे पड़ जाता था। जब गेहूँ बोने के लिये किसान को बीज लेना पड़ता है तो २०) रु० मन के हिसाब से लेना पड़ता है और उसके द्वारा पैदा किया हुआ अनाज १४) रुपये मन के भाव से बेचा जाता है। फसल के समय में किसान को बीज चाहिये तो सरकार को रियायत देनी चाहिये ताकि किसानों को सस्ते भाव से अच्छी बीज समय पर मिल जाय।

तो मैंने ये दो-तीन सुझाव इसलिये पेश किये हैं कि सरकार ध्यान दे और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अच्छी तरह से ये चीजें करने के लिये कहे, उन पर नियन्त्रण रखे तो खाद्यान्नों के भावों का इस तरह का फर्क मिट सकता है। खाद्यान्नों के भावों पर नियन्त्रण रखा जा सकता है, किसानों को उचित मूल्य पर अपनी चीजें बेचने का मौका मिल सकता है।

अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया जाय तो अच्छा रहेगा, खाद्यान्नों के भावों पर नियन्त्रण रहेगा।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल !

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि खाद्यान्नों के मूल्य की कमी-बेशी को रोकने के सम्बन्ध में प्रस्ताव आया है उसके सम्बन्ध में मुझे भी कुछ सुझाव देने हैं। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने मार्केटिंग सोसाइटीज़ के बारे में सुझाव दिया कि ७५ प्रतिशत काश्तकार के सामान की कीमत का जब काश्तकार का सामान आता है तो दिया जाता है। तो मेरा यह कहना है कि मार्केटिंग सोसाइटीज़ के पास काश्तकार के सामान पहुँचने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, ज्योंही काश्तकार फसल निकालता है बोहरे उसके खलिहानों पर आकर बैठ जाते हैं। मार्केटिंग सोसाइटीज़ में तो वही काश्तकार माल ले जा सकते हैं जिन पर कि कोई कर्जा नहीं हो और जो काश्तकार यह समझते हैं कि हमारे खाद्यान्नों को सही तरीके से, सही कीमत पर, सही भाव से बेचना है, वे किसान ही अपने सामान को लेकर मार्केटिंग सोसाइटीज़ तक पहुंच सकते हैं; वर्ना किसानों का अनाज और दूसरी उपज खलिहानों पर ही समाप्त हो जाती है।

मेरा सुझाव यह है कि मार्केटिंग सोसाइटीज़ को ऐसे एजेंट्स रखने चाहिये जो खलिहानों पर पहुंच कर किसान के माल का ७५ परसेंट पैसा किसान को वहीं दे दे, ताकि वह जिसको अदा करना है उसको अदा कर दे और ऐसा न हो कि उसके माल को बोहरे लोग खलिहान से ही बांट कर ले जायें। इस तरह की व्यवस्था मार्केटिंग सोसाइटीज़ करे तो किसानों का माल मार्केटिंग सोसाइटीज़ के पास आ सकता है और व्यवस्था ठीक हो सकती है, वर्ना मार्केटिंग सोसाइटीज़ के पास उन्हीं काश्तकारों का सामान आता है जो काश्तकार सम्पन्न हैं।

दूसरी अर्ज यह है कि जिस तरह राज-

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

स्थान सरकार ने वेग्रर हाउसिंग की स्कीम बनाई है, गोडाउन्स की व्यवस्था कायम की है इसके सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि वेग्रर हाउसिंग स्कीम की मार्फत सरकार को चाहिये कि जिस इलाके से खाद्यान्न खरीदना हो, जो सामान खरीदना हो उसके संबंध में उस इलाके का अच्छे से अच्छा सामान है वहीं खलिहानों पर ही सारा का सारा सामान ले लिया जाय, ताकि खाद्यान्नों के मूल्य को सरकार नियन्त्रित रख सके, काश्तकार को उसके सामान की ठीक कीमत सरकार दिला सके और अमुक खाद्यान्न पर इतना पैसा दिया जायगा, यह व्यवस्था तभी बैठ सकती है।

सबसे बड़ा अभिशाप जो खाद्यान्नों की कीमतों के नियन्त्रण में बाधक है वह स्पेक्युलेशन है। स्पेक्युलेशन की वजह से खाद्यान्नों की कीमत पर ऐसा असर पड़ता है कि ६ महीने पहले ही व्यापारी अनाज पर सट्टा कर देते हैं, कोई लेन–देन नहीं होता। इसका असर खाद्यान्न की कीमत पर इतना पड़ता है कि खाद्यान्नों के भाव बहुत घटते–बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार का स्पेक्युलेशन, जिसको जुआ कह सकते हैं जो जुए की डेफिनेशन में आ आ जाता है, उसे रोकने की सरकार कोशिश नहीं करेगी तो यह उतार–चढ़ाव खाद्यान्नों के भावों का रुक नहीं सकता। तो सरकार को इस स्पेक्युलेशन को रोकने की कोशिश करनी चाहिये। कोई भी मंडी ऐसी नहीं है कि जहां पर स्पेकुलेशन नहीं होता हो। तो इस स्पेकुलेशन को रोकने के लिये सरकार को खास तौर से व्यवस्था करनी चाहिये। खाद्यान्नों के भावों के उतार–चढ़ाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण होर्डिंग है। बहुत से बड़े बड़े व्यापारी होर्डिंग कर लेते हैं और जब फसल का टाइम निकल जाता है तो वापिस किसान बीज वगैरह के लिये खरीदते हैं, आम लोग जरूरत के लिये खरीदते हैं तो मन चाहे भाव पर बेचा जाता है। इस होर्डिंग को नहीं रोकेंगे और इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करेंगे कि इतनी तादाद से ज्यादा कोई स्टोर नहीं कर सकता तो ये कीमतें नहीं घट सकती। तो होर्डिंग को रोकने की व्यवस्था करना आवश्यक है जिससे कि खाद्यान्नों के भाव ठीक हो सकते हैं।

मेरे एक पूर्व वक्ता ने कहा कि एक तरफ तो काश्तकारों की परवाह करते हैं और दूसरी तरफ उपभोक्ताओं की परवाह करने हेतु सुझाव दिया है। मेरा यह निवेदन है कि काश्तकारों को बढ़ी हुई रेट्स से फायदा हो रहा है, उन किसानों के अलावा जो ठीक तरह से नहीं बेच सकते हैं या जिनका सामान बोहरे खलिहानों में से ले जाते हैं, पर जो काश्तकार ठीक तरह से, ठीक समय पर बेचते हैं उनको इन बढ़े हुए भावों से काफी फायदा हो रहा है। रहा सवाल उपभोक्ताओं का, उनके लिये कह सकते हैं कि उन्हें बड़ी–चढ़ी रेट्स पर सामान मिलता है। इसके लिये जैसा कि मैंने निवेदन किया कीमतों का नियन्त्रण किया जाय ताकि काश्तकारों को और उपभोक्ताओं को दोनों ही को इससे लाभ मिले। जैसे बहुत सी मंडियों में मार्केटिंग ऑफिसर्स होते हैं, जिनके द्वारा रेट्स मुकर्रर की जाती हैं। तो सरकार को इस तरह की व्यवस्था करके जो लोग मुकर्रर की हुई रेट्स के विपरीत लेन–देन करते हैं उनके लिये कड़ी व्यवस्था सरकार की ओर से होनी चाहिए; तभी खाद्यान्नों की रेट्स की सीमा का निर्धारण हो सकता है जो कि होना

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

बहुत आवश्यक है । आज ऐसी स्थिति है कि जिनके यहां पर फसल पैदा नहीं होती उनको इन बढ़ी हुई खाद्यान्नों की कीमतों से बड़ा नुकसान होता है और इससे बिचोलिये लोग जो अनाज के व्यापारी हैं इतना फायदा उठाते है कि एक मन गेहूं पर फसल से लेकर बीज देने के टाइम तक ६) रु० एक मन के पीछे मुनाफा उठा लेते हैं । सरकार की ओर से जब यह व्यवस्था हो जायगी तो ये दरें ठीक हो जायेंगी ।

(१०.० म० पू०)

इसलिए मेरा सुझाव यह है कि सरकार को सीमा-निर्धारण का कदम उठाना चाहिए जिससे सब लोगों को राहत मिल सके और आम जनता को फायदा हो सके ।

अनेक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष,........

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव या जो बहस इस समय इस सदन के समक्ष है वह हम समझते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके पीछे समाज-व्यवस्था, इसके संचालन और सरकार की नीति में बुनियादी परिवर्तन करने सम्बन्धी बात निहित है । अध्यक्ष महोदय, इस बात को सब ओर से स्वीकार किया गया है और स्वीकार किया भी जावेगा कि हमारी मौजूदा व्यवस्था में यह लगातार होता है कि जो पैदा करने-वाले हैं, जिस समय फसल का वक्त आता है उस वक्त आम तौर पर कीमतें गिर जाती हैं और जब फसल का वक्त निकल जाता है वह फसल आम तौर पर जिसको इकट्ठा करने की व्यवस्था व्यापारी वर्ग करता है उनके पास चली जाती है और उपभोक्ताओं को बहुत ही महंगी कीमत पर खरीदना पड़ता है और इस चीज का सामाजिक न्याय की दृष्टि से यह नतीजा लगातार होता है कि पैदावार करने वालों की भी एक बड़ी परसेन्टेज है, मेजोरिटी है, जो अपनी पैदा की हुई खाद्यान्न को रिटेन नहीं कर सकती, उनको भी कन्ज़्युमर्स के नाते रिटेलर्स के पास मार्केट में आना पड़ता है और वे भी मंहगाई के शिकार होते हैं और जो डाइरेक्ट उपभोक्ता हैं उनको तो मंहगाई का शिकार होना ही पड़ता है । इस दृष्टि से मेजोरिटी ऑफ पोपुलेशन बहुसंख्या के उपभोक्ता के नाते भी और प्रोड्यूसर्स के नाते भी इस प्राइस पॉलिसी का शिकार होना पड़ता है और यदि मैं यह निवेदन करूं कि अगर हम इसको गहराई में जाकर देखें, संजीदगी से इसको अगर हम हल करना चाहते हैं तो हमको इसकी जड़ में जाना पड़ेगा कि यह क्यों होता है । मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार की व्यवस्था, यह एक पॉलिसी होती है समाज व्यवस्था की और वह समाज व्यवस्था एक केपिटलिस्ट व्यवस्था है, पूंजीवादी समाज व्यवस्था, जो एक प्राइस पॉलिसी के जरिये सारे समाज का शोषण करती है और वे इस बात में इन्ट्रेस्टेड नहीं हैं, बल्कि वे रेज़िस्ट करते हैं, फाइट करते हैं कि इसको खुले तौर पर रखा जाय और उनको इस प्रकार से लूट करने का मौका दिया जाय । हमारे देश में, हमारे प्रान्त में, इस सदन में भी, इधर भी और उधर भी इस थ्योरी के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

माननेवाले लोग मौजूद हैं जो यह चाहते हैं कि इस समाज में हमारी जो अर्थ–व्यवस्था हो वह किसी प्रकार की प्लान्ड न हो, कन्ट्रोल्ड न हो और फ्री ट्रेड पूरी तरह से रखा जाय और जिसका लाजमी यह नतीजा है जो मौजूदा हो रहा है। जो प्रोड्युसर्स हैं, पीज़ेन्ट्री है और स्माल प्रोड्युसर्स हैं वे लगातार कई लोगों के हाथों में, जिनके हाथों में केपिटल है, पूंजी है, जो केपिटल के स्वामित्व के कारण इन प्रोड्युसर्स की मेहनत को होर्ड कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं और अपनी केपिटल की मोनोपोली की ताकत पर टर्म्स डिक्टेट कर सकते हैं, प्राइसेज़ डिक्टेट कर सकते हैं इस कारण से।

आज हमारे समाज में, जिसका अंग हमारी राजस्थान सरकार भी है, यह लगातार हो रहा है कि खाद्यान्न पैदा करनेवाले हैं उनको सही कीमतें नहीं मिलती हैं और जो उपभोक्ता हैं उल्टा उनको महंगा मिलता है और बीच की व्यवस्था करनेवाले, बिना मेहनत किये, बड़ा मुनाफा कमा कर ले चलते हैं। यह सरकार इस व्यवस्था को प्रोत्साहन देती है, इसको कानूनी शक्ल देती है, उनको कानूनन प्रोटेक्ट करती हैं तब ही तो यह तरीका फूड ग्रेन्स का और सारे ट्रेड का मौजूद है। मिडल मेन को हर तरह से एक्स्प्लोइट करने की इजाजत है। उस व्यवस्था ने इसको समाज का एक अभिन्न अंग माना है। हम समझते हैं, यह सरकार बुनियादी तरीके से इस बात को स्वीकार नहीं कर लेती है अपनी इस अर्थ नीति में, इस दृष्टिकोण में अगर हम प्लान्ड इकोनोमी चाहते हैं और उसके जरिये सोशियलिज्म की तरफ जाना चाहते हैं तो यह लाजमी है कि यह अर्थ नीति और प्राइस पॉलिसी स्वीकार करनी पड़ेगी और नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि इस तरह की व्यवस्था चाहते हैं इस तरह का दिन चाहते हैं जिसमें सूरज भी हो, बादल भी हों, थोड़ी थोड़ी वर्षा भी हो और थोड़ा थोड़ा दिन भी निकलता रहे। इस मौजूदा सरकार ने, इस रिजीम ने, १५ वर्ष से जिसका कब्जा है, इसमें इस तरह की समाज व्यवस्था को लागू करने का तरीका मंजूर किया हुआ है, उस तरह की पॉलिसी मंजूर की हुई है। उसकी क्या पॉलिसी है? न पूरी प्लान्ड इकोनोमी में विश्वास करती है, न पूरी सोशलिस्टिक इकोनोमी में विश्वास करती है और न ही फ्री ट्रेड में विश्वास करती है; बल्कि वह तो एक मिक्स्ड इकोनोमी में विश्वास करती है। अगर उस मिक्स्ड इकोनोमी का बुरका उठा कर देखें तो जहां तक प्रोडक्शन का सवाल है, प्लान्ड–वे में करना चाहते हैं, जहां तक प्रोड्युसर्स का सवाल है उन पर आप नियन्त्रण करना चाहते हैं। उस प्रोडक्शन के डिस्ट्रिब्यूशन का जहां तक सवाल है, उसका नतीजा समाज में क्या ही क्यों न हो, उसको फ्री रखना चाहते हैं और इस तरह से एक मिक्सड इकोनोमी को आपने स्वीकार किया है और उस मिक्सड इकोनोमी का नतीजा आपके खाद्यान्नों के सिलसिले में प्राइस पॉलिसी है वह इस तरीके की है। कभी आपने अगर कन्ट्रोल करने की कोशिश की तो इस तरह की कोशिश की कि सीलिंग पर कन्ट्रोल कर दिया जाय। इतना ही नहीं, जब समाज का आप पर बेजा दबाव पड़ा, आपने प्रोड्युसर्स पर तो यहां तक पाबन्दी लगाई कि न सिर्फ कीमतों का नियन्त्रण किया, यह भी पाबन्दी लगाई कि सिर पर दो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कर अनाज को तहसील में पहुंचाना होगा। यह सदन भूला नहीं होगा इसी कांग्रेस की सरकार ने लेवी कायम की। मजबूर किया था किसानों को १२) रु० के भाव में, ८) रु० कीमत देकर चने अपने सिर पर उठा कर तहसील में पहुंचाना पड़ेगा। जब किसानों ने इसका विरोध किया, इसी कांग्रेस की सरकार ने गोलियां चलायी, किसानों पर जिसकी वजह से बहुत से किसान मारे गये थे। तो अध्यक्ष महोदय, इस तरह........

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : उस समय आप कहां थे ? यह सदन नहीं था, आप कहां थे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कहीं भी हों। लगातार इन्हीं कांग्रेस की नीतियों के कारण मजबूर हुए हैं लोग इस सदन में और इस समाज में हो रहे हैं और मैं समझता हूं दिलों में माननीय सदस्य भी ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन यह बात अलग है कि कुछ सहूलियतों और मसलहत को रखते हुए अपने विचारों को वे आज़ादी के साथ व्यक्त नहीं करते हों।

अध्यक्ष महोदय, अब इस प्रसंग में इस बात को और देखिये। केन ग्रोवर्स का सवाल आया। गन्ना पैदा करनेवाले किसानों का सवाल आया, इस सरकार ने उन किसानों को मजबूर किया हुआ है कि एक रुपया सात आने पर एक पर्टिकुलर मिल को उनको गन्ना बेचना पड़ेगा और उस मिल मालिक के लिये पाबन्दी नहीं कि लाजिम तौर से खरीदे ही। कहा जाता है कि रॉ मेटीरियल केन से शूगर बनती है इसलिये सरकार जरूरत नहीं समझती कि शुगर को कन्ट्रोल किया जाय। उनके प्रोफिट को मिनिमाइज़ किया जाय ताकि लोगों को सस्ती दर पर चीनी मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, आज भी सदन में पम्पी ग्रोवर्स के बारे में सवाल आया था, उस सम्बन्ध में सरकार की वही कॉन्सिस्टेन्ट नीति है कि पर्टिकुलर लाइसेन्स होल्डर को बेचनी पड़ेगी, मोनोपोली पर्चेज़र की क्रिएट कर दी और बेचनेवाले को पाबन्द कर दिया। लेकिन किस भाव में बेचे इसकी कोई पाबन्दी नहीं। ये उदाहरण देकर मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि हमारी इस सरकार की मिक्स्ड इकोनोमी की नीति है इस सरकार की नीति से प्रोड्युसर पीज़ेन्ट्स और स्माल प्रोड्यूसर लगातार इस प्रकार के नियन्त्रण से बाध्य करें जिससे वे आगे न बढ़ सकें। इससे समाज का यह वर्ग अधिक से अधिक लाभ नहीं उठा सकता। इस प्रकार की जो एक्सप्लोइटिंग की पॉलिसी है कॉन्सिस्टेन्टली जो पॉलिसी सरकार की रही है। उससे हमेशा शोषण को बढ़ावा मिला है और लगातार मिलता जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अगर हम टैक्सेशन की पॉलिसी को भी देखें, उस सम्बन्ध में भी यह देखने को मिलता है कि अनाज अधिक उत्पादन करें, उससे कीमतें ठीक होंगी; यही सरकार का नारा रहता है। लेकिन अगर टैक्सेशन का सवाल आयेगा किसानों को पैदावार ज्यादा बढ़ाने के लिये सरकार किसी तरह से भी रियायत दे नहीं सकती। जो खाद्यान्न को पैदावार कर रहे हैं उनके लगान में कमी कर दें, इस तरह से प्रोत्साहन देने के लिये आप तैयार नहीं। इस तरह से न राजस्थान और न

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सारे हिन्दुस्तान में कोई मिसाल मिलती । यह सरकार लगातार किसानों पर टैक्स बढ़ाती जा रही है । एक तरफ कहते हैं कि हमारे यहां अन्न का संकट है, इसलिये हमें अन्न की पैदावार बढ़ानी है । इस नीति के अनुसार होना तो यह चाहिये कि उनको टैक्सेशन में रिलीफ देते ताकि अन्न की पैदावार बढ़ाते और इस तरह से अन्न की कीमतों में कमी आ सकती थी । लेकिन सरकार इसके बजाय टैक्स पर टैक्स बढ़ाती गई । जब मैन्युफेक्चरर्स का सवाल आता है जैसी कि रोजमर्रा केन्द्रीय सरकार की घोषणायें आती हैं फलां इन्डस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिये फलां टैक्स में कमी कर दी गई, लेकिन सरकार ने कभी दिलों की सर्वे की है जिससे किसानों पर टैक्स बढ़ाने से उनको पैदावार बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलता है और दूसरे मैन्युफेक्चरर्स टैक्स घटाने पर इन्सपिरेशन मिलता है । मैं समझता हूं यह साफ तौर से इस प्रकार की जो सरकारी नीति निर्धारित की हुई है समाजवाद का निगेशन है ।

समाजवाद का नारा लगाने वाले अगर इस प्रकार की नीति रखते हैं तो वह समाजवाद का निगेटिव है । उनकी मूल्यों के नियन्त्रण के सम्बन्ध में जो नीति है, वाजिब कीमत प्रोड्युसर को मिले, वाजिब कीमत पर उपभोक्ताओं को मिले, इस सम्बन्ध में इसी सरकार की पार्टी ने–ऑल इन्डिया कांग्रेस कमेटी अपने-ने नागपुर अधिवेशन में एक सिद्धान्त स्वीकार किया था । फूड ग्रेन्स का स्टेट ट्रेडिंग शुरू करेंगे, जिससे उपभोक्ताओं के साथ और प्रोड्यूसर के साथ जो भी अन्याय होगा उसको ठीक करने की कोशिश की जायगी । हमारी इस राज्य सरकार ने इस सिद्धान्त को स्वीकार करके अमली शक्ल देने की शुरुआत ही नहीं की, उससे पहले ही वहां के खाद्य मन्त्री ने यह घोषणा कर दी गवर्नमेन्ट इस पॉलिसी से कोई कमिटेड नहीं है इसको सरकार व्यावहारिक नहीं मानती । वह रिज़ोल्युशन नागपुर कांग्रेस के अधिवेशन में पास किया गया था वह बेचारा प्रस्ताव किस हालत में कहां पड़ा है, यह भी पता नहीं । सरकार ने उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया है, ऐसा मालुम पड़ता है । मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि केवल ऊपरी बातें करने से कोई नतीजा नहीं निकल सकता । केवल ऊपरी तरीके से कोई समस्या का समाधान नहीं होता, ऊपरी इलाज की बातों से मेटिरियली सिचुएशन में कोई चेन्ज नहीं आ सकता । सरकार वास्तव में जब इस बात को स्वीकार करती है कि किसानों को उनके अनाज का वाजिब मूल्य मिलना चाहिये और यह भी स्वीकार करती है कि उपभोक्ताओं को वाजिब कीमत पर अनाज मिलना चाहिये तो ऐसी हालत में बुनियादी नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा मिक्स्ड इकोनोमी के ढंग को छोड़ना पड़ेगा और सही तरीके से सोशिलिस्ट इकोनोमी की ओर बढ़ना होगा, कन्ट्रोल्ड इकोनोमी की ओर बढ़ना होगा । तमाम प्राइस का स्ट्रिक्चर है न केवल अपने प्रान्त में बल्कि दूसरे दूसरे देशों के प्राइस स्ट्रिक्चर है उन पर भी इसका असर पड़ता है, उस पर चलना पड़ेगा । अगर हम यह नहीं करेंगे तो कितनी ही चम्बल योजनायें बना लें, कितनी ही भाखरा योजनायें बनालें, कितने ही इरिगेशन प्रोजेक्ट बनालें किसानों की बहबूदी की गारन्टी नहीं कर सकते । पंजाब की मिसाल आपके सामने है । वहां टेनल्स सिस्टम इतना बिछा दिया गया अंग्रेजों के जमाने में, यह वाकया है, उस दौरान में जहां

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्राइस पॉलिसी न होने की वजह से १६२६ और १६३७ में दो बड़े क्राइसेज़ वहां आये। उस समय पंजाब का किसान बहुत बुरी तरह एक्सप्लोइट हुआ और उसका गेहूं १) रुपया मन और १) रूपये का सवा मन तक बिका। इससे वहां के किसानों की हालत बहुत खराब हो गई और वहां का किसान बुरी तरह से कर्जदार हो गया। अगर आप अपनी जनता की और किसानों की बहबूदी चाहते हैं और उनके साथ न्याय करना चाहते हैं तो इस बुनियादी नीति में परिवर्तन करना चाहिये; तभी यह सम्भव हो सकता है। हमने अभी सुझाव दिया स्टेट ट्रेडिंग की पॉलिसी को मन्जूर करें, फूड ग्रेन्स के सम्बन्ध में इस पॉलिसी को स्वीकार करें और भारत सरकार को इस बात के लिये आग्रह करें एक्सपोर्ट ट्रेडिंग को भी नेशनलाइज करें, विदेशों में अमेरिका आदि देशों में जहां फ्री इकोनोमी है उनका भी अपने प्राइसेज़ पर वेलिड असर पड़ता है वे भी हमारे मार्केट को खराब न कर सकें, इस चीज पर प्रतिबन्ध लगाया जाय तभी जाकर हम समाज के विभिन्न अंगों के साथ न्याय कर पायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात रखी है और उस पर जो चर्चा उठाई है उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि इस मसले पर यदि केवल राजस्थान प्रदेश की दृष्टि से देखा जाय तो इसका जो हम उचित समाधान ढूंढने की चेष्टा कर रहे हैं उसका मिलना जरूर मुश्किल सिद्ध होगा।

यह एक ऐसा प्रश्न है जिस प्रश्न को ऑल इण्डिया बेसिस पर हमारी भारत सरकार की एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट के सम्बन्ध में जो नीति है उसके ऊपर, राजस्थान की और बाकी के हिन्दुस्तान के हिस्सों के बीच में मूल्यों के आदान–प्रदान की सारी व्यवस्था के ऊपर, इन सब बातों को साथ लेकर यदि विचार किया जावेगा तो हम इस मुद्दे पर पहुंचेंगे कि राजस्थान प्रान्त किसी प्रकार से अपनी सीमा के अन्दर मूल्य के निर्धारण के सम्बन्ध में कोई नीति अख्तियार कर सकता है।

खाद्यान्नों के मूल्य किस प्रकार से बढ़ते हैं और घटते हैं, इसका असर केवल राजस्थान प्रदेश की नीति के ऊपर ही निर्भर नहीं करता। पूरे भारतवर्ष की जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुसार खाद्यान्नों की कितनी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुरूप अपने देश का कुल प्रोडक्शन कितना हुआ, उस प्रोडक्शन के बेसिस पर हम कितना कितना इम्पोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं उस सारे फैक्टर को सामने रख कर हम मूल्यों का निर्धारण यदि करें तो यह समझ में आने वाली बात हो सकती है कि हम इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। पर बदकिस्मती ऐसी है कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति कोई निर्धारित नहीं है और जब वह निर्धारित नहीं है तो राजस्थान की भी अलग से नीति हो सकती है, यह कहना संभव नहीं है।

अभी अभी अलवर से आनेवाले माननीय सदस्य ने इसका एक इलाज सुझाया था कि स्टेट ट्रेडिंग के द्वारा हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और उन्होंने साथ साथ यह भी बताया कि इस समस्या का समाधान

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं होने का कारण हमारी स्टेट की मिक्स्ड इकोनोमी की पॉलिसी है। यदि इसके स्थान पर सोशलिस्टिक इकोनोमी की पॉलिसी लागू करदी जावे तो इसका समाधान हो सकता है।

मैं एक नीति से तो इसका समाधान मानता हूँ कि हो सकता है। जहां भी स्टेट ट्रेडिंग हुआ, जिन्होंने किया, जिन देशों ने किया, इससे यह बात तो सही है कि कन्ज़्यूमर्स को निश्चित रूप से फायदा मिला और बहुत से ऐसे देश मिलेंगे जहां स्टेट ट्रेडिंग की स्कीम चालू हुई। पर इसके अन्तर्गत किसानों को कोई लाभ नहीं मिला, प्रोड्युसर्स से तो बलपूर्वक अनाज लिया गया। ऐसा कोई मुल्क नहीं जहां किसान से बलपूर्वक अनाज नहीं लिया गया हो! स्टेट ट्रेडिंग का निश्चित परिणाम है कि या तो बलपूर्वक अनाज लिया जावे या बलपूर्वक सारी स्थिति को बदलने की चेष्टा की जावे। सबने ऐसा ही किया है, जहां जहां स्टेट ट्रेडिंग चला वहां कोऑपरेटिव और कलेक्टिवाइज़ेशन के द्वारा सारी भूमि किसान की, जिसे वह आजादी से बोता-जोतता और मन चाहा उपयोग करता था, उस सारी भूमि पर अधिकार प्राप्त कर लिया। स्टेट ट्रेडिंग का परिणाम हो यही होता है कि उसकी स्वतन्त्रता समाप्त कर दी जावे, स्टेट उस पर अपना अधिकार कर ले। हमें यह मान कर चलना होगा कि स्टेट ट्रेडिंग का मतलब इसको कोरोलरी यही है कि प्रोडक्शन पर कन्ट्रोल किया जावे और प्रोडक्शन पर कन्ट्रोल करने के लिए आवश्यक है कि प्रोड्यूसर पर अधिकार किया जाय। उसको जो राइट है, प्रिविलेज है, जमीन पर जो हक है उससे उसे महरूम किया जाकर उस सबको नेशनलाइज़ किया जाय। यह स्टेट ट्रेडिंग आखिर तक जाकर प्रोडक्शन को नेशनलाइज करता है, और साथ ही साथ उसके पूरे सोर्सेज को नेशनलाइज करता है तो नेचुरली यह बात सामने आवेगी कि सारे ये सोर्सेज सरकार अपने हाथ में ले ले। इसके बिना स्टेट ट्रेडिंग सफल भी नहीं हो सकता, चल नहीं सकता। आप अगर यह बात करें कि एक तरफ स्टेट ट्रेडिंग चले और दूसरी तरफ किसान को वही फेसीलिटीज़ रहें, वही प्रिविलेजेज़ रहें और वही आजादी रहे तो ये दो बातें साथ साथ चल नहीं सकतीं। ये दोनों स्वभावतः विपरीत बातें हैं। अगर स्टेट ट्रेडिंग की बात करते हैं तो किसान की आजादी और बहबूदी का सवाल नहीं रहेगा। इन्डिपेन्डेन्ट ट्रेड को व्यवस्था को कन्ट्रोल में लेकर सरकार के हाथों में केन्द्रित करने का यह कारणीभूत बनेगा।

मैं कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, कि सारी स्थिति में उन्होंने जैसा बताया कि जहां पर एक सोशलिस्टिक इकोनोमी होती है वहां मूल्यों को निर्धारित किया जा सकता है, मैं मानता हूँ किया जा सकता है; पर वे मूल्य इतने ऊंचे होंगे कि कन्ज़्यूमर्स उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। उदाहरण मैं देता हूँ, मौजूद है। जो हाई हार्ट सोशलिस्टिक इकोनोमी के देश हैं; जैसे रशिया और चाइना, वे हिन्दुस्तान से जिन चीजों को जिन मूल्यों के आधार पर खरीद कर ले जाते हैं उनको बहुत ऊंचे भाव पर वहां बेचते हैं कन्ज़्यूमर्स को। जैसे मैं बताऊं रूस ने भारत से १८) रु० एक जोड़ी के भाव से जूते खरीदे और वही जूता रूस में ६४) रु० जोड़ी के भाव से बेचा गया। तो वह जो

(श्री भैरोंसिंह)

मूल्य है वह इस बात पर नहीं है कि प्रोडक्शन कौन करता है और कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी क्या है। इस आधार पर कीमत निर्धारित नहीं होती। स्टेट ट्रेडिंग के जरिये सरकार व्यापार करती है। वहां पर जो कन्ट्रोल है वह सारा सरकार के हाथों में है। प्रोडक्शन का भी, डिस्ट्रिब्यूशन का भी और कन्जम्पशन का भी। कन्जम्पशन पब्लिक अवश्य करती है पर बाकी का कन्ट्रोल सरकार ने सारा अपने हाथ में ले रखा है। जहां प्रोडक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन दोनों सरकार के हाथ में चल रहे हों वहां डेमोक्रेसी नहीं है और जिस डेमोक्रेसी की बात लेकर किसान को और प्रोड्यूसर को इन्डिपेन्डेन्स और प्रिविलेज देना चाहते हैं वह नहीं है। उस सारी हालत में इस स्टेट ट्रेडिंग में न मिक्सड इकोनोमी से भला हो सकता है और न स्टेट इम्पीरियलिज्म से भला हो सकता है और न केपिटलिस्टिक इम्पीरियेलिज्म से भला हो सकता है। इनमें से किसी बात से उस किसान का और कन्ज़्यूमर का भला नहीं हो सकता; भला हो सकता है सिर्फ एक बात से कि हमारे देश की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर उनके आधार पर मूल्यों का निर्धारण करना चाहें तो कर सकते हैं।

आज राजस्थान सरकार के सामने कई तरह की प्रोब्लम्स आ सकती हैं, पर उनके लिए भारत सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी अशोक मेहता की अध्यक्षता में। उसने सजेशन दिया था। वे ऐसे भी थे कि भारत सरकार उनको स्वीकार करे। पर कुछ ऐसे भी थे कि हर स्टेट भी उनको स्वीकार करके उनके आधार पर चल सकती है। यदि चेष्टा करें तो मूल्यों का निर्धारण उन सजेशन्स के के आधार पर आसान चीज बन सकती है। जैसे खाद्यान्न का सम्बन्ध आता है। आज सरकार कन्ट्रोल लागू करके भाव निर्धारण करना चाहे तो कर सकती है, पर इससे करप्शन, भ्रष्टाचार और जनता की परेशानियां बढ़ेंगी; यह निश्चित बात है और व्यापार की जो स्वच्छन्द मनोवृत्ति है वह समाप्त होती है, अनुचित मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ती है। यदि उसकी पैरवी करना चाहते हैं तो लेजिस्लेशन यहां लाया जा सकता है पर उनकी भी कन्ट्रोल के नाम से आप पैरवी करना चाहें तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हम होर्डिंग और प्रोफिटियरिंग को रोकना चाहते हैं वह भले ही रोकें, पर कन्ट्रोल मात्र करने से यह भी सम्भव नहीं है। पर अगर इस व्यापार को रोकना चाहें तो कन्ट्रोल भी व्यापार को सेन्ट्रलाइजेशन करने का पहला स्टेप है। हमने इसका अनुभव भी किया था। वह बड़ा कटु रहा। कन्ट्रोल के जमाने में लेवी लगाई गई जो इसकी नेचुरेल कोरोलरी है। कन्ट्रोल के भाव से अनाज बेचना चाहें तो कम कीमतों पर खरीदने के लिये मजबूर होना पड़ेगा। मजबूर होते हैं तो आन्दोलन की स्थिति पैदा होती है। इसलिये कहते हैं कि कन्ट्रोल करें, चाहे स्टेट ट्रेडिंग करें, चाहे स्टेट बिज़नेस करें, सारे व्यापार को सरकार अपने हाथ में ले। इसका सीधासादा मतलब यह होता है कि प्रोड्यूसर को लाभ नहीं होगा। प्रोड्यूसर अपनी स्वतन्त्र इकाई, अपनी स्वतन्त्र एन्टीटी, अपना स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त कर देगा। बिज़नेसमैन भी अपना स्वतन्त्र अस्तित्व खो देगा। कन्ज़्यूमर भी फ्री एन्टरप्राइज़ में अपनी जो हैसियत बना कर चलता है

(श्री भैरोंसिंह)

वह हैसियत कन्ज़ूमर भी अपनी समाप्त कर देगा।

ऐसी हालत में मैं सुझाव दूंगा धौलपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने भी सुझाव दिये थे, मैं उनका समर्थन करता हूं कि प्राइस कन्ट्रोल बोर्ड होना चाहिये। वह ध्यान रखे कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना कन्ज़म्पशन होना है और क्या रेट उचित है। तीन महीने पहले से वह जांच करके फोरकास्ट करे कि अगली साल की फसल कैसी होगी और इसके कारण कीमतों पर क्या असर होगा। सबसे बड़ी समस्या आज किसान के सामने जो आती है वह यह है कि वह आज अनभिज्ञ है बाजार के भावों से। सारे देश में और उसके प्रान्त में कितना प्रोडक्शन होता है, उसका क्या असर भावों पर पड़ सकता है, इसकी उसको जानकारी नहीं रहती। सारे देश में जो खाद्यान्न पैदा हुआ है और जो सारे देश की आवश्यकता है उसको देखते हुए भावों पर क्या असर पड़ेगा, उसके अपने प्रान्त में क्या असर पड़ेगा, इसके ज्ञान के अभाव में किसान अगर कुछ दिनों के लिये अपने प्रोडक्शन को रिटेन भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। उसको अनिश्चितता रहती है। पर अगर सरकार का यह बोर्ड इस तरह की जानकारी उसको देता रहे तो मेरी मान्यता है कि कन्ट्रोल किया जा सकता है भावों पर।

अब जहां तक खाद्यान्नों का सवाल है, मैं निवेदन करूंगा और भी कि सरकार को इसका बफर स्टॉक रखना चाहिये ताकि बाजार स्थिर रहे, भाव ठीक बने रहें, कन्ज़ूमर को नुकसान न हो और प्रोड्यूसर को भी लाभ पहुंचे। सरकार जब देखे कि भाव ऊंचे जा रहे हैं तो अपने स्टॉक को रिलीज़ कर दे और जनता को सस्ते अनाज की दूकानों में गल्ला बेचे। सरकार इस व्यापार में एक इन्डिपेन्डेन्ट ट्रेडर के नाते–सरकार की हैसियत से नहीं आवे और अच्छे व्यापारी की एक एग्ज़ाम्पल क्रीएट करे। तो सरकार दो सीमाएं बांध कर चले। एक यह कि राजस्थान के इस वर्ष में भावों के स्पेकुलेशन के बेसिस पर ज्यादा से ज्यादा रेट इतनी हो सकती है और कम से कम इतनी हो सकती है। यह सीमा बांधे और जब इस सीमा का उल्लंघन होता हो तो सरकार उस हालत में अपना बफर स्टॉक रिलीज़ करके उससे उल्लंघन न होने दे। सरकार किसानों से खरीदे और उस स्थिति में हमारी सरकार और दूसरी सरकारों के बीच में जो कुछ बिज़नेस के या इस प्रकार से रूल्स हों उनको भी कन्ट्रोल करे। और फ्री ट्रेड के सम्बन्ध में भी भारत सरकार से निवेदन करके उसे अगर राजस्थान के हित में समझती हो तो रुकवाने की चेष्टा करे। यह मान कर चलें कि सीमा का उल्लंघन कर देते हैं तो राजस्थान में एमर्जेन्सी अराइज़ हुई है और उस एमर्जेन्सी को मीट करने के लिये यदि पिछली बार ३०) रुपये का भाव हुआ था, हमारी स्टेट से जो गेहूं बाहर जाता था उस पर रोक लगाई और उसके कारण बाहर नहीं गया और उसके भाव नीचे आये। उसी आधार पर हम जो रेट तय करके चलें उन रेट्स की अवहेलना होती है या आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं तो उस हालत में सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे कि हमारा अनाज बाहर न जाये और बाहर से अन्दर भी न आये। इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन

(श्री भैरोंसिंह)

करना चाहूंगा कि यह अनाज की समस्या बहुत कुछ कन्ज़म्पशन के ऊपर भी डिपेन्ड करती है। उपभोग के अन्दर संयम, यह जरूरी व्यवस्था है। हमारे देश में पहले की जितनी व्यवस्थायें थीं, मैं नहीं कहता कि उस समय अनाज की कमी नहीं आती थी लेकिन उस समय की समाज व्यवस्था के अन्दर ऐसे नियम कर रखे थे कि जिससे मनुष्य उपभोग के अन्दर संयम रखता था। हिन्दुस्तान के अन्दर कई लोग व्रत करते थे। कोई कहे कि व्रत करने से भगवान खुश होते हैं, मैं इसको नहीं मानता, व्रत करने से पापों का नाश होता है, यह भी मैं नही मानता; लेकिन इसके पीछे एक इकोनोमिक पॉलिसी है, ऐसा मैं मानता हूं। जितने भी व्रत किए जाते हैं, जैसे आज के नेता यह घोषणा किया करते थे कि हम फलां दिन तक अनाज नहीं खायेंगे या इतना अनाज नहीं खायेंगे और १४ वर्षों के अन्दर ऐसी घटनायें हो गई लेकिन पुरानी व्यवस्था के अनुसार तो व्रत करने का सिस्टम एक इकोनोमिक सिस्टम था....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आप भारतीय संस्कृति के विरुद्ध बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं जानता हूँ, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आप भी करते हैं या नहीं ऐसे व्रत ?

श्री भैरोंसिंह : मैं भी करता हूँ और सब करते हैं। मैं समझता हूँ कि सब करने लग जायें तो राजस्थान का इसमें भला हो जाय। अनाज का ही व्रत नहीं, दूसरी बातों का भी व्रत कर लें तो अच्छा रहे। ऐसी हालत में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी सरकार को रिसर्च करनी चाहिये जो कि हमारी समाज व्यवस्था के अन्दर इकोनोमिक स्थिति को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था चालू की हुई थी। उन व्यवस्थाओं को यह कह कर कि यह पुरानी हैं, यह पोंगापंथी हैं, उनको डिसकरेज करने की आदत बनाई तो हम चीजों का नाम बदलते हैं और बाकी कुछ नहीं करते तो जो इस प्रकार से संबंधित प्रथायें हैं उनको लेकर भी हमें कन्ज़म्शन के ऊपर संयम लाने की चेष्टा करनी चाहिए। जब तक हम संयम नहीं लायेंगे उस समय तक कन्ज़म्पशन की सीमा बढ़ती रहेगी। इसके अलावा यह भी निवेदन करना चाहूँगा कन्ज़म्पशन के लिए और खाने की आदत बनाने के लिए जैसे अशोक मेहता ने कई प्रकार के सजेशन्स दिए थे मैं उनके सजेशन्स को इन-टोटो तो स्वीकार नहीं करता, लेकिन यह अवश्य निवेदन करना चाहूंगा कि जिन चीजों की कमी है उनको पूरा करने के लिए बाकी कौन से ऑल्टर्नेटिव हैं वह सरकार सजेस्ट करें और साथ ही साथ लोगों की इस प्रकार की आदत बनाने की चेष्टा भी करें कि जिन चीजों की कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए अमुक प्रकार के दूसरे साधन हैं। इस प्रकार की चेष्टा करें तो मेरी मान्यता है कि निश्चित रूप से भावों में गिरावट देखने को मिलेगी। बाकी यह कह कर चलते हैं कि स्टेट ट्रेडिंग के द्वारा कुछ कर लेंगे या रेट्स फिक्स करके चल सकेंगे तो सरकार मिनिमम और मेक्सिमम रेट्स तय करें और उस सीमा का उल्लंघन होता है तो सरकार को अपने बफर स्टॉक को रिलीज़ करना पड़ेगा और अन्न

(श्री भैरोंसिंह)

पर्चेज़ करना पड़ेगा और इसके अलावा जो इन्टर स्टेट के बेरियर्स हैं उनमें रिलेक्सेशन करना पड़ेगा । इस प्रश्न पर जो चर्चा उठी थी उस चर्चा में इतना ही भाग लेता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : श्री मानसिंह महार ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष....

श्री अध्यक्ष : इस भाषण के बाद सरकार की ओर से उत्तर दिया जायेगा ।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष खाद्यान्न के भावों के नियंत्रण के बारे में चर्चा चल रही है । अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूँ कि खाद्यान्नों के मामले में सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग या कीमतों के नियंत्रण की बात अपने हाथ में लेने की चेष्टा किसी प्रकार की तो यह यहां की जनता के लिए बहुत खतरनाक चीज़ होगी । मैं समझता हूं कि सरकार, जहां तक हो खाद्यान्न के मामले में कन्ट्रोल करने की जो नीति है उस को दूर रखे वहीं तक अच्छा है क्योंकि जब जब भी सरकार ने कन्ट्रोल किया है तब तब हमने यह देखा है कि कीमतें काफी बढ़ी हैं, कन्ज़्मर्स की दिक्कतें काफी बढ़ी हैं और मार्केट के अन्दर खाद्यान्न करीब करीब लुप्त हो गए । इसलिये पहली चीज तो मैं यह निवेदन करूंगा कि खाद्यान्नों के ऊपर किसी प्रकार का कंट्रोल करना या स्टेट ट्रेडिंग करना सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा । इसके साथ ही साथ निवेदन करूं कि खाद्यान्न क्यों मंहगे होते जा रहे हैं, इस ओर भी हमें ध्यान देना है । कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, अनाज बहुत मंहगा हो रहा है, यह कहने से ही काम नहीं चलता; बल्कि हमें यह भी देखना चाहिए कि अनाज मंहगा क्यों हो रहा है ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अब तो मंदा हो रहा है । किसानों को पूरी कीमत नहीं मिल रही है । इस प्रस्ताव में है यह ।

श्री मानसिंह महार : मैं अर्ज कर रहा हूं । आप सुनते जाइये, घबराइये मत । अब मुझे फिर आना पड़ेगा उसी बात के ऊपर कि हमें देखना चाहिए कि चीन के अन्दर स्टेट ट्रेडिंग होता है तो वहां पर भुखमरी से लाखों आदमी मर रहे हैं । हर वर्ष आप देख लीजिए, यह धंधा होता है । लाखों आदमी मरते हैं, कोई गिनती नहीं है........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उनको उठाने के लिए आपकी सर्विसेज यूज़ हुई होंगी ।

श्री मानसिंह महार: वह तो भारत में xxxx बहुत हैं उनको पहुंचा देंगे हम तो । वह भी वहां xxxx कोई दिक्कत नहीं है । तो मैं अर्ज करूं कि खाद्यान्न के काम के बारे में सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर हम रुपये की कीमत कम करें, रुपया जो आज दुअन्नी में बिक रहा है, मैं तो कहता हूं कि एक आने में ही बिक रहा है, उसकी कीमत को उठाया जाये........

---

x x x x अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : माननीय सदस्य को ×××× कहना उचित नहीं है, हमारे यहां सदन में ५ कम्युनिस्ट मेम्बर्स हैं और उनको ×××× कहा जाता है ।....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : ×××× दूसरों को ×××× कहते हैं ।

श्री मानसिंह महार : आप किसके हैं ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : हम तो हिन्दुस्तान के हैं और यहीं रहेंगे ।

श्री मानसिंह महार : आप तो ×××× होंगे ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप तो ×××× ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एजेन्सी का फ्री वितरण बन्द किया जाये, सभापति महोदय ।

श्री मानसिंह महार : हमारे देश के अन्दर जो रुपये की कीमत है वह गिरती जा रही है । आज हमारा रुपया दुअन्नी में बिक रहा है, उसकी कीमत को ऊंचा उठाना चाहिए और उसका एक ही तरीका है कि हमारी जो इन्फलेशन पॉलिसी है वह खत्म की जाये । अगर यह पॉलिसी खत्म कर दी जाती है तो कुछ हद तक ठीक हो सकता है । जब तक यह पॉलिसी खत्म नहीं होगी खाद्यान्नों की कीमतों में गिरावट आये, चाहे कुछ भी आये तो उसको रोकना नामुमकिन है । इसलिए मेरा निवेदन एक ही है कि कई बार इस प्रकार के एक्सपेरीमेन्ट्स किये हैं कि जब अनाज मार्केट में आता है, जैसे आज-कल का समय है इसमें किसान अनाज बेचता है तो अनाज काफी सस्ता हो जाता है । तो इस समय सरकार यदि बाजार में जाकर करोड़ या दो करोड़ या जितनी भी क्षमता हो उतने पैसे का अनाज खरीदे । आज-कल तो हमारे यहां वेयर हाउसेज के लिए गोदाम भी सरकार ने बना लिये हैं । उन गोदामों में खरीद खरीद कर रख ले ।....

(१०-४० म० पू०)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, वेयरहाउसेज के अन्दर किसान अपना माल रखते हैं सरकार खरीद कर नहीं रखती है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : पोइन्ट ऑफ इनफोर्मेशन् सर, एक तरफ तो माननीय सदस्य स्टेट ट्रेडिंग को गलत बता रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं सरकार अनाज खरीद कर रखे तो........

श्री मानसिंह महार : मैं जो बात कह रहा हूं उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है । शायद मेरे मित्र स्टेट ट्रेडिंग को समझते नहीं हैं ....

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपसे समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी ।

श्री मानसिंह महार : समझ कर बात करें तो ठीक रहेगा । सरकार को यह चाहिये कि करोड़, २ करोड़ का अनाज इकट्ठा कर

×××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

(श्री मानसिंह महार)

ले और अपने पास रख ले, क्योंकि इस समय अनाज कुछ सस्ता हो रहा है। मैं तो इसमें भी दिक्कत नहीं समझता, लेकिन सस्ता हो रहा है तो सस्ते भाव में खरीद कर स्टोर कर लीजिये। कुछ दिनों के बाद व्यापारी वर्ग मुनाफा करने के लिए भाव महंगा करेंगे तो इस समय सस्ता अनाज हो रहा है इससे काश्तकारों को नुकसान होगा और फिर जब ३-४ महीनों बाद महंगा होगा तो उस समय व्यापारी वर्ग को फायदा होने की संभावना है। तो सस्ते भाव पर आप खरीदेंगे तो उस समय मार्केट बढ़ेगा और कुछ समय के लिये आप बेचेंगे तो प्राइसेज़ गिरेंगी और स्टेबिलाइज़ होंगी और व्यापारी वर्ग भी भाव नीचा करना चाहेंगे। वे देखेंगे कि सरकार भी कॉम्पीट करने के लिये मार्केट में आ रही है तो वे भी सस्ता करेंगे। इस समय प्राइसेज़ गिर गई हैं और कुछ समय बाद ऊंची होंगी। इसको रोकने के लिये एक ही तरीका है और वह यह है कि आप स्टॉक करिये और कीमत बढ़ने लगे तो सस्ते लिये हुए माल को वाजिब कीमत पर बेचिये। आप भी यदि व्यापारियों की तरह मुनाफा कमाने लगेंगे तब तो कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन वाजिब कीमत पर व्यापारियों से रुपया-धेली सस्ता बेचेंगे तो प्राइसेज़ स्टेबिलाइज़ होंगी और किसानों को लाभ होगा। इस समय जो कीमत गिर रही है, बाद में वह बढ़ेगी। लेकिन आप स्टेट ट्रेडिंग में मत पड़िये, कंट्रोल में मत पड़िये। यदि इनमें पड़ेंगे तो देश में भुखमरी आयेगी। आप स्टॉक रखिये, जब महंगा हो तो बफर स्टॉक ....

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल: यह बफर स्टॉक क्या है ?

श्री मानसिंह महार : आपके पास अनाज इकट्ठा है उसको गोदाम में भर दीजिये।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : इसका स्टेट ट्रेडिंग से क्या सम्बन्ध है ?

श्री मानसिंह महार : जो स्टॉक है उसको इस प्रकार से बेचेंगे तो अनाज अपने आप सस्ता होगा।

दूसरी चीज यह है कि कुछ मित्रों ने यह कहा कि अनाज से आज देश में किसानों को इतना लाभ नहीं पहुंचेगा, जैसा अभी कहा गया जितना पहुंचना चाहिये। फ्री मार्केट है। रोक-टोक नहीं है। किसान बेचना चाहें तो बेच सकते हैं ....

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : इसका तो पूंजीपतियों पर असर पड़ेगा।

श्री मानसिंह महार : मैं खुद किसान हूं; जानता हूं पूंजीपति कौन हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: खेती दूसरों से कराते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपकी हमदर्दी पूंजीपतियों के साथ है।

श्री मानसिंह महार : मेरी हमदर्दी मान कर चलिये पूंजीपतियों के साथ है, आपकी तो नहीं है ? आइने में मुंह देख कर चलिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम यह भी कहते हैं, आप से सुन्दर हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय सदस्य की पार्टी इस सिद्धान्त को, स्टेट मार्केटिंग फूड ग्रेन के मामले में पर्चेज़िंग के मामले में और सीलिंग ऑफ प्राइसेज़ मुकर्रर करने के मामले में कहां तक स्वीकार करती है; इसके बीच में असलियत क्या है ? इस सम्बन्ध में स्वतन्त्र पार्टी की नीति क्या है ?

श्री मानसिंह महार : नीति साफ है। स्वतन्त्र पार्टी चाहती है कि भुखमरी नहीं आवे और सही कीमत पर अनाज बिके।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भुखमरी लाना चाहते हैं।

श्री मानसिंह महार : हम आपकी तरह नहीं चाहते हैं कि चीन की तरह लोग यहां भी भूखों मरें ?

एक माननीय सदस्य : आप सस्ती दूकानें खोलना चाहते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मालपुरा वाले कोऑपरेटिव बैंक के लिये बधाई है।

श्री मानसिंह महार : हमने तो बहुत कुछ किया और अभी भी करने जा रहे हैं देश में। यह कोई बात नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक भी खोलेंगे, सस्ती दूकानें भी खोलेंगे।

श्री केदारनाथ : आप तो अपनी पार्टी की पॉलिसी बता दीजिये।

श्री मानसिंह महार : हमारी पॉलिसी यह है कि देश में भुखमरी न हो।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : आप तो कह दीजिये जो कांग्रेस की पॉलिसी है वही हमारी है।

श्री मानसिंह महार : ठीक है, देश को आगे बढ़ाने की पॉलिसी हमारी भी है। पार्टी की पॉलिसी के लिये जो मित्र यह बात कह रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : शायद आपको जानकारी नहीं है पार्टी की पॉलिसी के बारे में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप भी मंत्रियों की तरह कह दें कि आज बताने को तैयार नहीं हैं, कल तैयार होंगे।

श्री मानसिंह महार : हम हर वक्त तैयार हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या स्वतन्त्र पार्टी सिवाय भ्रष्टाचार के और कुछ चाहती है ?

श्री सभापति : आप एक मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री मानसिंह महार : मुझे तो अभी ५ ही मिनट हुए हैं, १५ मिनट का समय रखा था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पार्टी की पॉलिसी प्रोपाउन्ड करने दीजिये, साहब।

श्री मानसिंह महार : मैं पार्टी की पॉलिसी का प्रोपाउन्ड करने नहीं आया हूं। मैं अपनी पार्टी की पॉलिसी को प्रोपाउन्ड करूंगा तो सब उठ कर भाग जायेंगे; जैसे कांग्रेस पार्टी को हमने भगा दिया। स्वतन्त्र पार्टी ने जो कुछ कार्य किया है उससे जयपुर जिले में कांग्रेस को खत्म कर दिया।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने नहीं भगाया है, और कोई कारण है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह तो बुझते हुए दिये की आखिरी लो थी, इसीलिये हो गया; लेकिन आयन्दा क्या होगा ?

श्री मानसिंह महार : आयन्दा आपको भी नहीं बचने देंगे। हम लोग अब उधर भी पहुंच रहे हैं, जोधपुर और उदयपुर की ओर।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदय, सन् ६७ में चुनावों की क्या टैक्टिक्स होंगी उसके बजाय फूड पॉलिसी को डिस्कस करें।

श्री मानसिंह महार : इसके बारे में मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी फूड पॉलिसी यह हो कि खाद्यान्न पर नियंत्रण लगाया जाय, उससे पहले हमें यह देखना है कि एक किसान कितनी कीमत लगा कर अन्न पैदा करता है। आज आप बैल को देखिये। जो बैल पहले १००) रुपयों में बिकता था वह आज १,०००) रु० में बिकता है। एक किसान जिसे अपने परिवार का पालन करने के लिये ३०) रु० पहले पर्याप्त होते थे उसको आज कम से कम २००) रू० चाहिये। यह बात मैं इसलिये बता रहा हूँ कि मेरे मित्र इधर बैठने वाले जो हैं वे घबरायेंगे कि आपने राजस्थान में सीलिंग इतना नीचा रखा है, जो एक आदमी के लिये अपनी इज्जत से रहने के लिये बहुत कम है। इसलिये बता रहा हूँ इधर बैठने वाले मित्रों को कि आप किसान का खर्चा देखिये। आज किसानों का खर्चा बहुत है। आपको यदि खाद्यान्न पर नियंत्रण करना है, कीमत को सस्ता रखना है तो आप और चीजों की ओर देखिये। आपको देखना पड़ेगा, आपके यहां किसान मुकदमे लड़ते हैं वे पहले ५), १०) रु० में वकील करते थे आज वे ही वकील उनसे १००), १५०) रु० फी मुकदमा लेते हैं। आज देश की आधी बीमारियां दूर हो सकती हैं यदि इस वकील वर्ग के पेशे पर और पावने पर नियंत्रण लगा दिया जाय।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आपके जुरिस्डिक्शन के बाहर है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कितनी सुन्दर बात है ?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : स्वतंत्र पार्टी में से वकीलों को निकाल दिया जाय।

श्री मानसिंह महार : बिल्कुल। इस सदन में वकीलों, मैं कहता हूं, पर पाबन्दी लगा दी जाय; सदन में वकील न आयें, हम जैसे किसान आकर बैठें........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वकील और खाद्य की समस्या का क्या तालमेल बैठाया है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : On a point of order...

श्री हरिराम (तिजारा) : सभापति महोदय, विषय पर भाषण नहीं हो रहा है। डिस्कशन विषय पर नहीं हो रहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय सदस्य ने कहा है कि वकीलों के आने पर पाबन्दी लगा दी जाय, यह गैर कानूनी बात कही है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह कॉन्स्टीट्युशन की बात है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कॉन्स्टीट्युशन में नहीं है कि पाबन्दी लगा दी जाय।

श्री मानसिंह महार : मैं सुझाव दे रहा हूं........

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप अपना सुझाव अपने पास रखिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : This word must be expunged.

श्री मानसिंह महार : मैं निवेदन कर रहा था कि इन खेतों में पैदा करते हैं; मोठ, सरसों वगैरह, इन पर टैक्स लगाते हैं, यह गैर वाजिब है। उन चीजों पर, जो कृषि की चीजें हैं, उन पर टैक्स मत लगाइये। उन पर टैक्स लगाने से क्या होता है कि सरसों पर टैक्स लगाने से किसान लोग महंगा बेचते हैं और उसके लिए गेहूं, जो महंगा बेचना, एक तरह से अन्याय हो जाता है। इसलिए सरसों, लहसुन, हरी मिर्च पर टैक्स नहीं लगायेंगे तो ये चीजें सस्ती हो जायंगी........

श्री गिरधारीलाल (आसींद) : लहसुन आम लोग नहीं खाते हैं, आप जैसे खाते हैं।

श्री मानसिंह महार : बामन-बनिये नहीं खाते हैं, हम सब खाते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल : मांस के लिए और बता दीजिये।

श्री मानसिंह महार : जी, क्या? किसके लिए?

अनेक माननीय सदस्य: Meat, meat.

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त कर दें।

श्री मानसिंह महार : मैं जल्दी कर रहा हूँ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री): टाइम हो गया, साहब।

श्री मानसिंह महार : मैं निवेदन कर रहा था कि खाद्यान्न जितने भी हैं उनकी कीमत पर नियंत्रण करना है तो हमें दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा। मैं एक पक्ष का हामी हूँ। आज के युग में, मैं फिर आखिर में अपने शब्द रिपीट कर दूं, जिनसे मेरे मित्रों को दर्द होता है लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता, मैं इसका कट्टर विरोधी हूं कि खाद्यान्न की कीमतों पर, किसी प्रकार का कंट्रोल, किसी प्रकार का नियंत्रण लगा दिया जाय। खाद्यान्न की कीमत रेगुलराइज़ करनी है तो सरकार को अपनी ओर से गोदामों में नाज रखना चाहिए। जब नाज सस्ता हो तो आप खरीदिये और खरीद कर लोगों को दीजिये। मैं एक मोटी बात जानता हूं कि जब नाज महंगा हो तब आप खरीदे हुए माल को मार्केट में लायें ताकि खाद्यान्न की कीमतों के अन्दर आपकी कार्यवाही तारीफ के काबिल हो। यह तरीका होना चाहिए और स्टेट ट्रेडिंग वगैरह नहीं होना चाहिए।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, भरतपुर से आने वाले ····

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): बैर से आये हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : वैर से, वैर भरतपुर जिले में है। तो वैर से आनेवाले माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव इस सदन में रखा है कि इस वर्ष में रबी फसल के बाद राजस्थान में उनके जिले में खास तौर से कुछ मंडियों के नाम लिए, वहां कीमत गेहूं की, और अनाज की ज्यादा गिरने की उम्मीद है और ज्यादा कीमत गिरने से किसानों को नुकसान होगा। इसलिए सरकार को इसके बारे में इन्तजाम और व्यवस्था करनी चाहिए। इस मसले का प्रस्ताव जो सदन में पेश हुआ है और उसके विषय में जो इस सदन के माननीय सदस्यों ने चर्चाएं की हैं वे यहां तक ही सीमित नहीं थी; बल्कि हमारे देश का सारा का सारा फूड स्ट्रक्चर क्या है, उसको कैसे रेगुलेट किया जाय और उसमें सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, इन बहुत सारे मुद्दों पर चर्चाएं इस सदन के माननीय सदस्यों ने की है और उस बारे में जो सुझाव सदन के सामने रखे हैं उनमें कई तरह के मतभेद देखने में आये। हमारे जो साम्यवादी लोग हैं उन्होंने यह कहा कि यह मिक्स्ड इकोनोमी सरकार को छोड़नी चाहिए और सारे का सारा मामला स्टेट को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, कन्ट्रोल करना चाहिए प्रोड्यूसर्स की कीमत को कन्ट्रोल करना चाहिए, उनको क्या कीमत मिलेगी, मिनिमम वह तय होनी चाहिये। कन्ज्यूमर को क्या कीमत देनी पड़ेगी, वे सारी चीजें तय होनी चाहिए। यहां से लेकर दूसरी तरह बहुत से माननीय सदस्यों ने सिर्फ यह कहा कि भुखमरी से देश को बचाना चाहिए। कुछ बल्कि यहां तक गये कि किसी न किसी प्रकार से इन्टीग्रेशन करना चाहिए और सरकार को अपने गोदाम खूब भरे हुए रखने चाहिए और जब जरूरत हो तो देश के अन्दर उनको छोड़ देना चाहिए, ताकि कीमत जो चढ़ रही है, बहनीचे वाजिब ढंग पर रह जाय। मैं सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, खास तौर से, जहां तक इस प्रस्ताव से सम्बन्धित मामला है उस बारे में। भारत सरकार ने पहले इस बारे में सोचा था कि खरीफ की फसल........

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या नीति है, उस पर प्रकाश डालें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं सब डाल दूंगा, आप सुन लीजिये।

श्री सभापति : आप सुन लें।

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार की नीति क्या है ?

श्री मानसिंह महार (आमेर) : कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ राजस्थान में चल रही हैं, उसके सम्बन्ध में क्या नीति है, इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण हो तो अच्छा रहेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने भी इस बारे में सोचा था........

श्री रामकिशन (वैर) : इस प्रस्ताव को मैंने रखा है। मैं सूचना के लिए बता दूं कि यह एक वर्ष के लिए नहीं रखा है। मूल नीति के बारे में है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मूल नीति का कहां लिखा है ?

श्री मुरलीधर व्यास : स्वतंत्र पार्टी की नीति है, वह सरकार की नीति है या दूसरी है; इस पर प्रकाश डालें ।

श्री सभापति : आप सुन लें ध्यान से ।

श्री नाथूराम मिर्धा : हिन्दुस्तान के कई इलाकों में गेहूँ की कीमत नीचे जा सकती है; तो उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि अगर देश में गेहूँ की कीमत, जो लाल गेहूं हैं उनकी कीमत बारह रुपये से नीचे जाय, सफेद गेहूँ की कीमत अगर १३).रुपये से नीचे जाय और अच्छे फार्म के गेहूं की कीमत अगर १४) रुपये से नीचे जाय तो सरकार को बाजार में आना चाहिए और किसानों से इस रेट के ऊपर गेहूं खरीद लेना चाहिए; इनसे भाव नीचे नहीं जाने चाहिए । इस बात की लिखा-पढ़ी केन्द्रीय सरकार की फूड एन्ड एग्रीकल्चर मिनिस्टरी ने स्टेटों से की और सब स्टेट्स से इस बारे में कहा कि अगर इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो तो इससे नीचे दाम नहीं गिरने दिये जांय........

श्री मुरलीधर व्यास : चौदह में लेते हैं, वह लेकर........

श्री नाथूराम मिर्धा : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन में व्यवस्था कायम रहनी चाहिए........

श्री सभापति : Order please !

श्री मुरलीधर व्यास : मैं जानना चाहता हूँ........

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य, सदन मेरे हाथ में है, इस वक्त इन्टरप्ट न करें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं अर्ज कर रहा हूं........

श्री सभापति :Order please !

श्री मुरलीधर व्यास : चौदह में लेते हैं........

श्री नाथूराम मिर्धा : इस तरह चलता है तो मुझे अपनी बात खत्म करने में समय ज्यादा लगेगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : Point of order, Sir, point of information Sir, अहम मसले का सवाल है, साहब........

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं सभापति महोदय, पोइन्ट ऑफ ऑर्डर....

श्री सभापति : Theire is no point of order.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपसे निवेदन करूंगा....

श्री मुरलीधर व्यास : चौदह में खरीद कर बीस में क्यों बेचा जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सदन में व्यवस्था करनी चाहिए ।

श्री सभापति : Order please !

श्री मुकुटबिहारीलाल : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर डिस्पोज़ ऑफ होना चाहिए ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं अर्ज कर रहा

Page No. 63

(श्री नाथूराम मिर्धा)

था, कीमत इस प्रकार से तय करने के बारे में भारत सरकार ने अलग अलग स्टेट्स को लिखा तो अलग अलग स्टेट्स ने जिलों के अन्दर कलेक्टर्स को इस बारे में सूचित कर दिया कि कीमत किसी भी मंडी में इन कीमतों से नीचे गिरती है या गिरने की आशा है तो तुरन्त इस बारे में समाचार दें । हमारे सारे जिलों से, जो व्हीट प्रोड्युसिंग एरिया है या ग्राम प्रोड्यु सिंग एरिया है उस बारे में कलेक्टर्स के जवाब आये कि आज दिन कहीं भी इन कीमतों से नीची कीमत किसानों का माल खरीदने के बारे में किसी मंडी में नहीं जा रही है और इस प्रकार से अभी एजेन्ट्स मुकर्रर करके खरीदने की आवश्यकता नहीं है । तो इस बारे में यह पहला मौका था जब भारत सरकार ने इस बात का निर्देशन दिया कि किसान को, जो वह गेहूं का उत्पादन करता है, उसको उसकी वाजिब कीमत मिले, आज की हालत में उन्होंने इसकी आवश्यकता समझी कि प्रोड्युसर्स को इससे नीचे कीमत नहीं मिलनी चाहिए । अगर नीचे कीमत मिलती है तो देश की आर्थिक स्थिति पर कई प्रकार से असर पड़ता है । इस दृष्टिकोण से हमने यह व्यवस्था की थी ।

११.० म० पू०

अब रहा सवाल यह कि हमेशा के लिये किसानों को गारन्टी होनी चाहिये कि जो उत्पादन वे करते है उसकी कीमतों का निश्चित मूल्य मिले और बिचोलियों के लिये कहा जाता है कि वे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उठाते हैं वह उनको नहीं मिलना चाहिये । व्यापारी हार्वेस्ट के समय में नाज खरीद लेते हैं और उसके तुरन्त बाद के समय में ही बेचते हैं । जब किसानों को बीज लेने की आवश्यकता होती है उस समय अनाज का भाव बहुत ऊंचा चढ़ जाता है । इसलिये सरकार को इसके लिये कोई व्यवस्था करनी चाहिये जिससे प्रोड्युसर और कन्ज्युमर दोनों को फायदा हो और कन्ट्रोल के तौर पर हो; इसका मतलब यह होगा कि स्टेट को सारी की सारी चीजें व्यापारियों की तरह खरीद लेनी चाहिये; वे चाहे खेती के उत्पादन से हों या दूसरे तरीकों से सरकार उन सारी चीजों को बेचे और उचित उचित मूल्य से प्रोड्युसर से खरीदे और कन्ज्युमर को बेचे । यह सारा काम माननीय सदस्यों का और सदन का नहीं है । यह केन्द्रीय सरकार का है ।

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय, केन्द्रीय सरकार ने रियासतों को अपने आप नाज के मामलों में पॉलिसी तय करने के लिये स्वतन्त्र रखा है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने बताया कि आज की मंडियों में १५) रु० और १६) रु० मन का गेहूं का भाव चल रहा है मैं समझता हूं कि आज सारे हिन्दुस्तान में १४) रु० या १५) रु० मन के भाव से गेहूँ मिल रहा है । यह भाव उचित भाव है और आप जो अर्जेन्सी की बात कहते हैं वह ठीक नहीं है ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : Point of information, Sir, बाद में २०) रु० प्रति मन का भाव हो जाता है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निवेदन कर रहा हूँ । मेरा यह मत है कि आज की हालत में हमारा देश जो विकास की दृष्टि से आगे

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बढ़ रहा है और विकास के कार्यों के लिये करोड़ों रुपयों का लोन लेना पड़ रहा है और जिस प्रकार का कष्ट हमारी सरकार को उठाना पड़ रहा है उसको ध्यान में रखना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : बाहर के लिये व्यापारियों को छूट मिलनी चाहिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : करोड़ों रुपयों का ऋण लोगों को चुकाना पड़ता है । स्माल सेविंग स्कीम से धन जुटाना पड़ता है, कई प्रकार के विकास के कार्यों के लिये लोन लेना पड़ता है जिससे कि देश में बिजली का ज्यादा उत्पादन हो और बढ़े और उससे योजनाओं का विकास हो ।

श्री केदारनाथ : Point of information, Sir.

श्री सभापति : आप बाद में पूछ लेना ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इन करोड़ों रूपयों को आज हम उत्पादन के काम लगा रहे हैं । यदि हम सारा का सारा रुपया और साधन जो खजाने के हैं जो हम जुटा सकते हैं उनको व्यापार के मामले में डाल देंगे तो हमारा मामला एक तरफ का व्यापारी मामला ही चलने लगेगा और विकास के सारे कार्य समाप्त हो जावेंगे । आज हमारे सामने प्रायोरिटी का प्रश्न है; किस प्रकार के मामलों में प्रायोरिटी दी जानी चाहिये और किस प्रकार के मामलों में आगे बढ़ना चाहिये, सारे खाद्यान्नों के व्योपार को हाथ में लें या उत्पादन के साधनों को बढ़ावें और इसके लिए कार्य करें । मैं कहूंगा कि आज कोई समझदार व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि विकास के काम को बन्द करके व्यापार के काम को हाथ में लेना चाहिये ।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : विकास से किसानों को पूरी कीमत मिले ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका कोई संबंध नहीं है........

एक माननीय सदस्य : यह बहुत जरूरी है । आज जो हालत है........

श्री हरदत्तसिंह : इस तरह से आप तो कहते जावेंगे और कोई काम चलेगा नहीं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं सदन के फ्लोर पर खड़ा हूँ । जब तक आप कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर या कोई मुद्दा नहीं उठावेंगे मैं निवेदन करता रहूंगा ।

एक माननीय सदस्य : तो फिर हमारा भी हक है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : पंचवर्षीय योजना को चलाना जरूरी है । इसलिए सारे के सारे व्यापार को डिस्ट्रिब्यूशन के लेवल पर सरकार अपने हाथ में ले ले, यह सरकार के लिये संभव नहीं है । जिस समाजवाद की बात हमारे साम्यवादी कह रहे हैं उसकी आज हिन्दुस्तान में न तो आवश्यकता है और न किया जा सकता है ।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस की नीति है कि राज्य की ओर से व्यापार किया जावेगा, उसका क्या होगा ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! इस तरह से इन्टरप्ट न करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : हम यह चाहते हैं कि हमारे उत्पादन करनेवालों को ज्यादा से ज्यादा कीमतें मिलें और उनको कम से कम तकलीफें हों। इसके लिये हमने हमारे यहां पर व्यवस्था की है। सभापति महोदय, मैं यह कह देना चाहता हूं और मैंने कई दफे पहले भी कहा है कि इन सारी बुराइयों को रोकने का एक ही तरीका है कि जो शोषण करनेवाले लोग हैं उनको समाप्त करने के लिए हमें संगठन करना होगा।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : आज–कल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हुई हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : और वे संगठन क्या हो सकते हैं ? वे हो सकती हैं सहकारिता के रूप में सोसाइटीज़। वे हो सकते हैं वेअर हाउस कॉर्पोरेशन्स जिनको हमने पंचवर्षीय योजना में स्थान दिया है। इससे गांवों में रहनेवाले किसानों को सुविधा होगी। इसके लिए हमें गांव के लोगों को समझाना होगा और हमने अपने सीमित साधनों द्वारा किसानों को समझाने का प्रावधान किया है; लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि गांवों में उनको समझाने के लिये पूरी व्यवस्था नहीं है और इस सदन के माननीय सदस्यों को जितना काम करने की और उनको समझाने की आवश्यकता है वह वे नहीं कर सके हैं।

वेअरहाउसेज़ बहुत बने हैं और बहुत गुन्जायश है। इसके सम्बन्ध में आपको जानकारी नहीं है। कई माननीय सदस्य कहते हैं कि वेअर हाउसेज़ में अपना माल खरीद कर रख देना चाहिये। किस तरह से माल रखा जा सकता है, इस संबंध में बहुत से माननीय सदस्यों को जानकारी नहीं है।

श्री मोहनलाल सारस्वत : जानकारी के बगैर कैसे कहते ? मार्केटिंग सोसाइटीज़ हैं।

श्री हरदत्तसिंह : किसानों को लूटा जाता है। सेवा समितियों को पूरा पैसा लोन का नहीं मिलता है। इसलिये वे माल पूरा नहीं उठानेवाली हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मार्केटिंग सोसाइ–टीज के लिए गोदाम बने हुए हैं। उनका उपयोग भी आज किसान करते हैं। वे अपना माल गोदामों में रख सकते हैं और उनको एक रसीद मिल जाती है उसके बेसिस पर वे लोग एडवान्स ले सकते हैं।....

श्री मोहनलाल सारस्वत : सोसाइटीज़ के सम्बन्ध में हमारा यह अनुभव है कि मार्केटिंग........

श्री सभापति : आप इस तरह से डिस्टर्ब न करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : वे अपने को ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं।........

श्री मोहनलाल सारस्वत : मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : किसी को बीच में बोलना नहीं चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें उत्पादन करनेवाले किसानों को गुंजायश है कि वे हर प्रकार का माल वेअरहाउसेज़ में जमा करा दें और उसकी रिसीट जाकर ले लें। उनको

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उस रसीद के बेसिस पर बैंक से कर्जा मिल सकता है और दूसरे लोगों से भी कर्जा मिल सकता है। इसके अलावा जो उत्पादन करने वाले किसान लोग हैं उनको अपना एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाना चाहिये। और उसका क्या असर हो सकता है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। अमेरिका में इस प्रकार का एक पूंजी विरोधी संगठन है और इतना मजबूत संगठन है कि उन्होंने निश्चित रूप से यह तय कर लिया है कि सरकार को अमुक रेट में खरीद करें देना होगा। यह किसानों के संगठन की शक्ति है जिससे अमुक प्रकार की चीज अमुक स्थान पर स्टोर कर ली जावेगी। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे प्लान चल रहे हैं और हमारे सीमित साधन हैं। आज हम यह चाहते हैं कि उत्पादन करनेवालों को उचित कीमत मिले। उधर हम यह भी चाहते हैं कि विकास की चीजें भी उनको उपयोग करने के लिए मिलें और उसका एक मात्र जो उपाय है वह सहकारिता है। अगर हम इसके लिए प्रयत्न करें कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में टाउन्स में या अरबन एरियाज़ में लोग स्वयं अपना संगठन बनावें जिससे माल वाजिब तरीके से स्टोर में, शहरों में या कस्बों में वाजिब कीमतों में रख लिया जावे....

वेअर हाउसेज़ का, मार्केटिंग सोसाइटीज़ का उपयोग किया जाय। उपभोक्ताओं के, सहकारिता के संगठन और प्रोड्यूसर्स के सहकारिता के संगठनों को अच्छी तरह से संगठित करके बल दिया जाय, ऐसा करने से प्रोड्यूसर्स और कन्ज़्यूमर्स दोनों को राहत दिला सकते हैं। जो प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के पास सीमित साधन हैं उनको देखते हुए जो कुछ कर सकते हैं उसको किया जा रहा है, यह मैंने आपके सामने निवेदन किया।....

श्री मोहनलाल सारस्वत : जकी जकी बातां मैं सदन के सामने राखी सहकारिता के सम्बन्ध में, बां को कोई उत्तर नहीं दियो गयो...

श्री सभापति : मोहनलालजी ! कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आपके नीचे सहकारिता को विभाग है। आपने के बताऊं असो स्थिति है कि मार्केटिंग कोऑप-रेटीव सोसाइटीज़ और सहकारिता समितियां हैं बां में जकी जकी में आं का कृपापात्र है बांको ही रजिस्ट्रेशन होवे है, दूसरां को नहीं....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूं, यह बिल्कुल गलत है और न ही यह ऐसा मौका है कि इस तरह की बातें इस समय कही जायं। माननीय सभापति महोदय, अगर ऐसे समय में उनको नहीं रोका गया तो सदन की कार्यवाही नहीं चल सकेगी। यह मौका नहीं है।

श्री मोहनलाल सारस्वत : अभी तक जो मन्त्री महोदय बातां कही है, अमेरिका रशिया की बातां कही है....

(शोरोगुल)

श्री सभापति : श्री हरिभाऊ उपाध्याय !

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : हम यह आश्वासन चाहते हैं....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : जब हम कुछ बातें सदन में रखते हैं तो कह दिया जाता है कि मंत्री महोदय जवाब दे देंगे, पर मंत्री महोदय द्वारा उनका कोई भी जवाब नहीं दिया जाता और उनके लिए पूछते हैं तो इस तरह से xxxx किया जाता है....

(शोरोगुल)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकार): यह बहुत बुरी परम्परा है; जब मंत्री महोदय बोल रहे थे तो हमने किसी ने टेबलें नहीं पीटीं। अब विरोधी पक्षवाले कोई इन्फोर्मेशन पूछते हैं तो इस तरह से टेबलें पीटी जाती हैं, यह अच्छी परम्परा नहीं है....

श्री मोहनलाल सारस्वत : बिल्कुल भ्रष्टाचार को शासन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। वो ही हाल मार्केटिंग सोसायटीज़ को है, वों के बारे में कहणी चावां तो कोई सुणणी कोनी चावे....

(शोरगुल)

हम लोगों को नहीं सुनना चाहते तो हम लोगों को आउट करने का आदेश दे दीजिये इस तरह से टेबलों को क्यों पीटते हैं....

एक माननीय सदस्य : पीटेंगे....

श्री मुरलीधर व्यास : xxxx

श्री मोहनलाल सारस्वत : मन्त्री महोदय को पूछते हैं तो जबाब नहीं देते हैं, मनमाने ढंग से काम किया जाता है....

---

xxxx अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया

श्री सभापति : माननीय श्री मोहनलाल जी। आपको कई बार चेतावनी दी जा चुकी है....

श्री विजयसिंह झाला : दो मिनट हम इसके लिये चाहते हैं। बीच में बोलने का अधिकार नहीं दिया गया तो जो इम्पोर्टेन्ट इन्फार्मेशन है उससे तो हमें अवगत होने का मौका दिया जाय। मैं माननीय सभापति महोदय से प्रार्थना करूंगा कि हमें इसके लिए ५ मिनट दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपने सभी विचार व्यक्त कर चुके हैं।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मिनिस्टर को तो मौका दिया जाता है, हमको हमारी बातों का जबाब तक नहीं मिलता है।

श्री मुरलीधर व्यास : कीमतों के बारे में सरकार ख्याल रखेगी बराबर कि इससे अधिक कीमतें नहीं होने देंगे और इससे कम नहीं होने देंगे....

एक माननीय सदस्य : आप समझे नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : अभी आधा घंटा मंत्री महोदय ने भाषण दिया और मतलब कुछ नहीं........

एक माननीय सदस्य : आपकी समझ में नहीं आता।

श्री मुरलीधर व्यास : समझ में आपके नहीं आता।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आप समझते सब कुछ हैं, पर हां में हां मिलाते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : सिर्फ पांच मिनट दें........

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : हम लोगों को बिल्कुल मौका नहीं दिया गया है, हमें भी मौका दिया जाना चाहिए। जो बातें कही गई, उनका कोई जवाब मन्त्रीजी ने नहीं दिया........

श्री सभापति : श्री हरिरामजी ! आप अपना आसन ग्रहण करें।

श्री मोहनलाल सारस्वत : हमें ५ मिनट दीजिए तब बतायें कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ के नाम पर किस तरह से भ्रष्टाचार होता है।

श्री विजयसिंह झाला : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जहां बनीं वहां वे बहुद्देशीय व्यापार को लेकर चलती हैं, प्रोड्युसर्स और कन्ज्युमर्स को लाभ पहुंचाने के काम को प्राथमिकता नहीं देती, तो क्या सरकार की तरफ से इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि इस काम को प्राथमिकता दी जाय ताकि आगे जाकर यह हैल्पफुल हो सके ? इसके लिए क्या व्यवस्था है ?

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खडे हुए)-

श्री सभापति: Order !Order Please !!

एक माननीय सदस्य : सभापति के ऑर्डर को माननीय सदस्य नहीं मानते, यह क्या बात है ?

श्री मुरलीधर व्यास : मुनाफे की छूट कितनी रखेंगे ?

श्री गणपतिलाल वर्मा (मांडलगढ़) : आपको छूट है तो किसानों को क्यों नहीं छूट होनी चाहिए ?

श्री मुरलीधर व्यास : आपके कहने का मतलब यह है कि व्यापारियों को छूट होनी चाहिए। १७ के ऊपर भाव नहीं जाने देंगे, इसके ऊपर आपकी कुछ नीति होनी चाहिए, सरकार की पॉलिसी होनी चाहिये।

श्री रामकिशन (वैर): मेरा निवेदन है कि एक तो मन्त्री महोदय ने फरमाया कि १२,१३ १४ से नीचे गेहूँ का भाव नहीं जाने देने की नीति है, तो क्या इन १५ वर्षों में गेहूँ की कीमत इससे नीचे गई है ? नहीं गई है, तो फिर राजस्थान सरकार को भारत सरकार से निवेदन करना चाहिए कि १५ वर्षों में इससे नीचे जाने का मौका आया ही नहीं है। तो कम से कम जो भाव रखा गया है, वह ठीक नहीं है। दूसरी स्थिति यह है कि कम से कम कीमत पर खरीदेंगे तो सही, पर बेचेंगे किस भाव से, इस बारे में स्पष्टीकरण करें तो अच्छा होगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वेअर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का जिक्र किया तो किसानों ने, बड़े व्यापारियों ने कितना कितना फायदा उससे उठाया, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ ने कितना कितना फायदा उठाया। और जिन लोगों की रिटेन्शन पॉवर नहीं है, बहुत दिनों तक अपनी प्रोड्यूस को अपने पास रख नहीं सकते; जिनके १० मन, २० मन, ५० मन या १०० मन गल्ला होता है, ऐसे कितने

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

लोगों ने, गरीब किसानों ने वेग्रर हाउसिंग कॉर्पोरेशन्स से फायदा उठाया है ? जो मन्त्री महोदय द्वारा कहा गया कि सदन के माननीय सदस्य इसका प्रचार नहीं करते हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि आम काश्तकारों की जानकारी के लिए सरकार ने कौनसा प्रचार विभाग बनाया है, डी. पी. आर. ओ. के मार्फत क्या गांव गांव तक इस सूचना को पहुंचाया गया है, जिससे कि किसानों को सुविधा मिल सके ?

दूसरा प्रश्न मेरा इस सम्बन्ध में यह है कि मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का हवाला दिया है और कहा गया है कि एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हर जिले और तहसील में कायम की जाती है । एक ओर बड़े व्यापारी हैं और उनसे मार्केटिंग सोसाइटी को कम्पीट करना पड़ता है इसलिए उन्हें आपको मजबूत करना चाहिये । हमारे राज्य में तो यह नीति आपको अपनानी चाहिये कि जितने लोग मार्केटिंग सोसाइटी बनाना चाहें, वे अपने आप को रजिस्टर करवा लें और इसके लिए आपको छूट दे देनी चाहिये । यदि उनकी सीमा एक तहसील और जिले में नियन्त्रित कर देंगे तो उनमें भ्रष्टाचार आवेगा और उनमें किसी प्रकार की एफिशियेन्सी नहीं आवेगी । यदि उनके मुकाबले में दो, चार मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रन कर रही हों वहां पर, तो वे उनके मुकाबले में कम्पीटिशन पर खड़ी होंगी और उनमें एफिशियेन्सी भी आवेगी । इसलिए आपको सौ-पचास आदमियों को मिला कर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनानी चाहिये जिससे भ्रष्टाचार का भी मौका नहीं रहेगा और इसकी काफी व्यवस्था हो सकेगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : एक प्रश्न मेरा है । मेरे काफी प्रश्न मेरे पूर्व वक्ता माणिकचन्दजी सुराणा ने कवर कर लिये हैं । कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ चल रही हैं तो वे कीमतों को कन्ट्रोल कर सकती हैं और राहत दे सकती हैं । आज जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ का रूप है उनमें व्यापारी आ गये हैं जो आज दिन तक एक्सप्लोइटेशन का कार्य करते थे । फीगर्स के ऊपर क्या आप यह चीज़ सिद्ध कर सकेंगे कि मार्केटिंग सोसाइटीज़ में प्रोड्यूसर्स एज़ मेम्बर्स आते हैं ?

श्री सभापति : संक्षेप में कह दें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : थोड़ा सा प्रश्न रह गया है । आपकी जो मार्केटिंग सोसाइटीज़ हैं क्या वे मोनोपोलिस्टिक सोसाइटीज़ नहीं हो गई हैं; जब कि आप दो और तीन सोसाइटीज़ को भी स्थान नहीं देते हैं और चाहते हैं कि एक जिले में और एक तहसील में एक ही सोसाइटी होगी ? इस तरह से तो आप मोनोपोलिस्टिक स्थिति बना रहे हैं और इसीलिए आपकी ये मार्केटिंग सोसाइटीज़ प्राइवेट ट्रेडर्स के मुकाबले में गिर रही हैं और जो स्थिति है वह बिल्कुल भिन्न है ।

श्री हरिराम चौहान : सभापति महोदय, एक मेरा भी प्रश्न है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण करें । श्री हरिरामचौहान, अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री): सभापति महोदय, माननीय सदस्यों का प्रश्न यह है कि एक मंडी में एक नहीं, अधिक मार्केटिंग सोसाइटीज़ बनने दी जायें । ये सोसाइटीज़ अपनी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

प्राइमरी ड्यूटी करती हैं पूरी या नहीं ? दूसरा प्रश्न यह है कि वेयर हाउस के बारे में कितने किसानों ने फायदा उठाया ? सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को यह जानकारी देना चाहूँगा कि मैं स्वयं ही नहीं कहता हूँ कि सारी की सारी मार्केटिंग सोसाइटीज़ जो वास्तविक काम करना चाहिये वह करने लग गयी हैं और फुल स्विंग में करने लग गई हैं । जो मैंने कहा था उसका आशय माननीय सदस्य समझ नहीं सके हैं । उनका मतलब यह है कि क्रेडिट और मार्केटिंग का लिंक सब सोसाइटीज़ में किया जाय ताकि सोसाइटीज़ का काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है वह हो सके । मैं भी इसको मानता हूं । इसीलिए काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा था । जहां तक वेयर हाउसेज़ का सवाल है, यह कहा गया कि इसके लिये क्या प्रचार किया गया और क्या कोशिश की गई । माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि इस सम्बन्ध में एक वीक मनाया गया है लोगों को सही जानकारी देने के लिए । सारे काम सरकार करे और करा सके, ऐसा नहीं है । यदि कर सकती थी सरकार सब काम तो फिर माननीय सदस्यों को और जनता के दूसरे आदमियों को कष्ट देने की आवश्यकता क्या थी ? इन संगठनों का जो ढांचा खड़ा हुआ है, वही काम कर रही हैं और गलतियां भी कर रही है, उनको सुधार कर सही करने की आवश्यकता है यदि शोषण से बचाना चाहते हैं तो । एक ही जगह एक से अधिक मार्केटिंग सोसाइटीज़ हो गईं, जैसा कि सुझाव दिया है तो आपस में एक रस्साकस्सी हो जावेगी इससे इस संगठन को धक्का लगेगा । वहां एक ही सोसाइटी होनी चाहिये और उसमें अधिक से अधिक मेम्बरों के आने की छूट हो, ज्यादा से ज्यादा मेम्बर बना कर चुनाव के जरिये उनको चलाया जा सकता है, गलत आदमी हों तो सही आदमी रखे जा सकते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मार्केटिंग सोसाइटी के सामने कम्पीटिशन होगा । वे गवर्नमेंट रेट और शिड्यूल से गाइड होंगी ।

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, ऐसा नहीं होगा । कोई गाइड नहीं होंगी । उपभोक्ताओं को ठीक प्राइस पर अवेलेबल कर सके और प्रोड्यूसर्स को भी ठीक प्राइसेज़ मिल सकें ।

श्री सभापति : अब कोई वाद-विवाद नहीं होगा ।

माननीय श्री हरिभाऊ उपाध्याय ।

(शोरगुल एवं घण्टी)

Order please !

(१०. २५ म० पू०)

जोधपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२

(विचारार्थ)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री) : माननीय सभापति, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित जोधपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री सभापति : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : On a point of order, Sir, under Rule 61, a Financial Memorandum was

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

necessary which has not been presented with the Select Committee's Report. When the Agriculture University Bill came up for discussion it was told by the Hon'ble Minister that...

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : माननीय सदस्य हिन्दी में बोलने की कृपा करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : All right, जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बिल सदन के समक्ष आया था उस समय भी इस प्रकार का प्रश्न उठाया था और उस समय माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा था कि चूंकि हम स्टेट के कन्सोलिडेटेड फन्ड्स से कोई रुपया लेने वाले नही हैं इसलिए हम फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम इस बिल के साथ पेश नहीं कर रहे हैं और आपने भी इसी आधार पर यह रूलिंग दी थी कि चूंकि कृषि मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि स्टेट के कन्सोलिडेटेड फन्ड्स से कोई पैसा नही लिया जायगा इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं फिर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि रूल ६१ कहता है, जो कि एक मेन्डेटरी प्रोविज़न है और न केवल उस समय जब कि स्टेट के कन्सोलिडेटेड फन्ड्स पर इसका प्रभाव पड़ता हो, बल्कि उस समय भी किसी किस्म का चाहे वह रेकरिंग हो, या नॉन रेकरिंग हो, किसी किस्म का एक्सपेन्डीचर नहीं हो ताकि सदन निर्णय पर पहुंच सके कि व्यावहारिक है या नहीं। आर्थिक पहलू क्या है, इस विषय में तो फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम और भी आवश्यक इसलिए है कि राजस्थान में राजस्थान यूनिवर्सिटी मौजूद है। दूसरी यूनिवर्सिटी बने उसकी आवश्यकताओं और, उसका आर्थिक भार स्टेट के ऊपर कितना पड़ेगा और कितनी उसकी उपयोगिता होगी, उसका निर्णय तब ही कर सकते हैं जब कि इसके फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम को इस सदन के सामने लाया जाय। इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि रूल ६१ के अनुसार इसके साथ फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम आवश्यक है और जब तक वह पेश नहीं किया जाय, यह नहीं लिया जाय।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (राजसमन्द) : सभापति महोदय, मुझे इस बात की आज्ञा प्रदान की जाय कि मैं माननीय सदस्य की आपत्ति और आशंका को दूर करूं।

(विराम)

रूल ६१ का हवाला माननीय सदस्य ने दिया है। यह रूल बड़ा स्पष्ट है। मुझे आज्ञा हो तो मैं इसके प्रावधान को पढ़ कर सदन को सुनाऊं

"A Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to the clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law."

प्रश्न, सभापति महोदय, यह उठा कि बिल में जहां तक प्रावधान है इसके एक्सपेन्डीचर का, तो वह इन्करिंग एक्सपेन्डीचर स्टेट के कन्सोलिडेटेड फन्ड्स से है या नहीं ? अगर कन्सोलिडेटेड फन्ड्स में से है

Page No. 72

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

तो आपका औचित्य बिल्कुल सार्थक है, और नहीं है तो यह प्रश्न नहीं उठता है और इस आधार पर माननीय सदस्य ने डिसेन्टिंग नोट में इस आधार पर यही प्रश्न उठाया है । मैं आपका क्लॉज़ २८ की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं । उसको पढ़ने से बिल्कुल स्पष्ट हो जावेगा कि यूनिवर्सिटी फन्ड की क्या आवश्यकता है और कौनसी कॉन्स्टिट्युएन्ट्स इस फन्ड को बनवाती है । यूनिवर्सिटी फन्ड के सम्बन्ध में जब प्रवर समिति के सामने यह प्रश्न आया वहां वहां भी यह प्रश्न उठाया गया था इस सम्बन्ध में पूरा ख्याल रखा गया ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह जो बात कही जा रही है जिस वक्त यह प्रश्न उठाया गया था पहले जिस समय प्रवर समिति के संबन्ध में प्रस्ताव रखा था उस समय भी फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम नहीं था....

श्री सभापति : Order ! Order !! आप आसन ग्रहण करें ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य: I ignore, Sir, what the Hon'ble Member says. मैंने निवेदन किया कि जो क्लॉज़ २८ ऑफ दी बिल के सम्बन्ध में :

"28. University Fund.—(1) The University shall establish a fund to be called the University Fund.

(2) The following shall form part of, or be paid into the University Fund:—"

यही औचित्य प्रश्न की अनियमितता की ओर संकेत करता है '(a) any contribution or grant by Government," सहायता सरकार दे या न दे । सरकार की ओर से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन या ग्रान्ट के रूप में पैसा आता है तो वह भी यूनिवर्सिटी फन्ड का अलग ही समझा जायगा ।

"(b) the income of the University from all sources including income from fees and charges,

(c) trusts, bequests, donations, endowments and other grants, if any, and"

ये सब मिल कर इनको यूनिवर्सिटी फन्ड के नाम से संबोधित किया गया है । इसलिये सभापति महोदय, जो औचित्य का प्रश्न उठाया गया है वह प्रश्न उपस्थित नहीं होता । कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार की ओर से दिया जाना चाहिये, यह सरकार के डिस्क्रीशन पर है ।

दूसरा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि सदन के वोट से जो पैसा लेते हैं वह यूनिवर्सिटी को दे सकते हैं थ्रू एप्रोप्रियेशन बिल । एप्रोप्रियेशन बिल के आधार पर जो सहायता के रूप में पैसा प्राप्त होता है वह सीधा नहीं दिया जा सकता । उसकी व्याख्या क्लॉज़ २८ में की है । उस व्याख्या के साथ ६१वां क्लॉज साफ बतलाता है कि फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम उसी बिल के साथ नत्थी किया जाता है जिसका कन्सोलीडेटेड फन्ड से खर्चा होता है । यूनिवर्सिटी फन्ड कन्सोलिडेटेड फन्ड नहीं । सरकार की ओर से दिया जाने वाला जो फन्ड है वह एक प्रकार से डोनेशन है जो जरुरी नहीं कि वह दे ही । इसलिए आपका औचित्य प्रश्न डिसेन्टिंग नोट्स के साथ उलझ गया है । यही भाषण डिसेन्टिंग नोट्स पर होता तो यह सार्थक हो जाता ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सभापति महोदय, जो कॉन्टेन्शन माननीय साथी ने इस यूनिवर्सिटी फंड का हवाला देते हुए दिया है। यूनिवर्सिटी फन्ड वाले कॉलम में देखें तो यह इसके अन्दर मौजूद है। बजट ६२-६३ में इसके लिए एक लाख रुपये की टोकन ग्रान्ट मौजूद है। इसके अलावा मैं अर्ज करूं कि इस बारे में आसन से निर्णय दिया जा चुका है कि जब यह बिल सिलेक्ट कमेटी से सदन में दुबारा विचारार्थ आयेगा उस समय सारे फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स, और भी एक्सपेन्डीचर के इम्पलीकेशन्स होंगे वे सब अटेन्ड होंगे। इस प्रकार का निर्णय आसन से दिया जा चुका है। जब यह बिल सिलेक्ट कमेटी से होकर दुबारा सदन के सामने आया है तो सारे फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स, इसका फाइनेन्शियल स्ट्रक्चर बिल के साथ अटेन्ड होना चाहिए था। जब इस सम्बन्ध में एक लाख रुपये की टोकन ग्रान्ट सरकार द्वारा दी हुई है तो यह आवश्यक है कि इसको कन्सोलिडेट फन्ड से ही ड्रॉ करना है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदय, राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के विरुद्ध जो बातें कहीं वे सारी बातें ऐसी कहीं जिनके बारे में पहले ही डिसीज़न चेयर से हो चुका है। जो भी उन्होंने बातें कहीं उस डिसीज़न के विरुद्ध है जिनको उन्हें वापिस लेना चाहिए।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (राजसमन्द) : The Bill was not presented to the House. The Select Committee has been pleased to make some corrections.

श्री विजयसिंह झाला : सवाल यह है कि बिल के साथ में फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम आना चाहिये। यह उस समय क्लीयर हो गया था जिस समय इस बिल को प्रवर समिति के समक्ष भेजने का प्रस्ताव किया गया था, मन्त्री महोदय की ओर से। इसलिये जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर द्वारा ऑब्जेक्शन उठाया गया है कि इसके साथ फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम होना चाहिये उस समय चेयर ने यह एडमिट किया था कि फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम होना चाहिये। इसलिये माननीय सदस्य जो राजसमन्द से आते हैं, उन्होंने जो बात कही है वह उस रूलिंग के खिलाफ जाती है। इसलिये सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन्हें यह आज्ञा दें कि वे अपने शब्द को वापिस लें जो उन्होंने चेयर के डिसीजन के विरुद्ध कहे हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : Point of order, Sir, I would like to know the observations of the Chair whether the observations of the Chair were with reference to this particular clause now embodied in the Select Committee Report, i.e. clause 28.

श्री सभापति (श्री भीमसेन) : पहले इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था दी गई, उसके बारे में प्रोसीडिंग देखने के बाद ही व्यवस्था दी जायगी।

श्री विजयसिंह झाला : इस समय इस व्यवस्था का देना बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं, सभापति महोदय, यह पूछना चाहता हूं कि क्या जो माननीय सदस्य ने चेयर के डिसीज़न के विरुद्ध बात कही है वह चेयर की प्रेस्टिज के विरुद्ध है या नहीं?

श्री सभापति : आप अपना आसन ग्रहण करें। Order ! Order !!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): माननीय सभापति महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२ प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। मैंने उसे फिर से प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, यह प्रस्ताव रखा है....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, जब तक पहले वाले पोइन्ट ऑफ ऑर्डर का निर्णय नहीं हो जाता, आगे बहस चालू नहीं हो सकती।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : Ruling has been reserved.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, अगर आपको रूलिंग यह होती है कि फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम आवश्यक है तो फिर यह बहस उसके बिना चालू नहीं हो सकती। अगर उसके बिना बहस चालू रखने दी जायगी तो उसकी मंशा यह होगी कि आपने रूलिंग दे दी। इसके विपरीत यदि रूलिंग दी जाती है तो उसका बहस पर असर पड़ेगा। ऐसी हालत में मेरा यह निवेदन है कि पहले आपकी रूलिंग हो जाय उसके बाद बहस चालू करिये; इतनी देर के लिये आप हाउस को एडजर्न कर दें।

श्री भैरोंसिंह : यह कोई आवश्यक नहीं है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (राजसमन्द) : कन्सीडरेशन की स्टेज तक इसमें कोई रुकावट नहीं आती।

श्री सभापति : बिल के पास होने तक इस बारे में प्रोविज़न हो सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था जोधपुर विश्व विद्यालय विधेयक, जिसके सम्बन्ध में प्रवर समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है मैंने उसे पुन: प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव रखने के पीछे जो एक मूल भावना है वह यह है कि हम जोधपुर विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं; जहां तक विश्वविद्यालय की स्थापना का सवाल है सभापति महोदय, मैं समझता हूं शिक्षा-प्रसार के इस युग में हमें एक नहीं अनेक विश्वविद्यालयों को स्थापना करनी पड़ेगी। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जो विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहे हैं उस विश्वविद्यालय को स्थापित करने का सुझाव जो विधेयक में प्रस्तुत है आया वह उस मतलब को पूरा करता है या नहीं? सभापति महोदय, मैं इस बारे में सदन के माननीय सदस्यों को इस ओर ले जाना नहीं चाहता जैसा विवादग्रस्त प्रश्न कृषि विश्वविद्यालय को लेकर कल और परसों हमें सुनने को मिला। कई माननीय सदस्यों का यह भी प्रश्न हो सकता है कि राजस्थान में धनराशि का अभाव है, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन कोई ग्रान्ट देने की अवस्था में; नहीं तो ऐसी हालत में हम इस विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में विचार करें या न करें। अगर यह भी मान लिया जाय कि जोधपुर विश्वविद्यालय की हम स्थापना कर दें, फिर भी सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जोधपुर में विश्व

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

विद्यालय स्थापित करने की दृष्टि से किस प्रकार का कानून बनावें, उस प्रकार का हमारा कानून नहीं बन रहा है। सिलेक्ट कमेटी हमने बनाई। सदन में भी उप-मंत्री महोदय ने प्रस्ताव रखा कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे। उस सिलेक्ट कमेटी ने अपनी चार बैठकें कीं और इसमें विधेयक के क्लॉजेज़ में उसने परिवर्तन किया। इसके बाद उसने अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया और यह प्रतिवेदन जैसा प्रस्तुत किया गया है इसके आधार पर हम यहां विचार कर रहे हैं।

अब मैंने यह प्रस्ताव इसलिये रखा है और विशेषकर इस दृष्टि से कि यह नई प्रवर समिति को दिया जावे। मैं प्रवर समिति के सभी सदस्यों के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि मैं नई प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात क्यों कह रहा हूं, फिर इसी के पास भेजने के लिए क्यों नहीं कह रहा हूं। वह इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि सदन के इस सैशन में जो कार्यवाही सदन की चल रही थी उसमें कई माननीय सदस्यों के नाम रखे गये। मुझे ऐसा लगता है कि जितने महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करना चाहिये वह नहीं कर पाये। हो सकता है, सदन की कार्यवाही के चलने से वे उधर अधिक समय न दे पाये हों और अन्य कामों में अधिक व्यस्त रहने के कारण दिन भर की थकान के बाद वहां बैठना सम्भव न हो सका हो अथवा समय नहीं निकाल पाये हों, इस पर ठीक तरह से विचार करने के लिए। इसलिए मैंने नई समिति का प्रस्ताव रखा है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (राजसमन्द): These motives should not be attributed against the Members of the Select Committee, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : With all due respect, I am referring to that. This is a fact. इसलिये यह निवेदन किया कि यह तथ्य है कि जिस दिन रिपोर्ट ड्राफ्ट की गई सभी २१ सदस्य उपस्थित नहीं थे, होते तो यह रिपोर्ट एडॉप्ट नहीं होती।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : I think the Hon'ble Member should clarify. I was there from the beginning to end. I was in the Select Committee.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You may be there.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of order, Sir, can there be a reflection on the Members of the Select Committee, about their capacity and capability? Can there be any reflection in these premises?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : I feel he has no right to discuss the implications of the working of the Select Committee; that means a reflection on the Members of the Select Committee.

श्री सभापति : आप अपने मोशन तक सीमित रहें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अगर यह नहीं समझाऊंगा तो कैसे सदन स्वीकार करेगा कि इसे नई कमेटी को रेफर किया जाय?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रूल्स में लिखा है कि नई कमेटी को रेफर किया जा सकता है और अब इसे नई कमेटी को क्यों भेजा जावे, इसके कारणों से जब तक मैं सदन को कन्विंस नहीं करूंगा तो हाउस का कोई भी सम्माननीय सदस्य कह सकता है कि नई को न भेजा जाकर उसी को भेज दें । तो कारण बताना आवश्यक है । कारण यह है कि ८ माननीय सदस्य बैठक में उपस्थित थे, १३ नहीं थे । यह कोई इन्सल्ट या रिफ्लेक्शन की दृष्टि से मैं नहीं कह रहा हूँ । With all due respect, I make this amendment that this Bill be referred to a new Select Committee and the Members be selected afresh और इस आधार पर मैं सदन को कन्विंस कर सकता हूं ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : We cannot impute motives about the working of the Select Committee.

श्री सभापति : He is not imputing any motives.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं कोई मोटिव इम्प्यूट नहीं कर रहा । आपके बारे में भी मैंने यह नहीं कहा कि आप ध्यान से नहीं पढ़ते या हाजिर नहीं रहते थे या चाय पीते रहते थे ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : नहीं कहते हुए कहते जा रहे हैं । यह माननीय सदस्य का अपना टैक्नीक है । सभापति महोदय, इससे इन्हें निवृत्त कराया जाय ।

श्री भैरोंसिंह : तारीफ कर दें उनकी तो अच्छा रहे ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आपने कहा सभी हाजिर नहीं रहते । सबके हाजिर होने की कोई बन्दिश नहीं है । चूंकि हाजिर नहीं रहते इसलिये दुबारा भेजा जावे तो यह सदस्यों पर रिफ्लेक्शन है । अब अगर जैसे हाउस है उसमें १/१६ का कोरम है । अब जो सदस्य उपस्थित नहीं हैं तो उनके बारे में कुछ कहना उन पर रिफ्लेक्शन है । इसलिए निवेदन करूंगा कि वे अपने मोशन तक ही सीमित रहें ।

श्री भैरोंसिंह : कोई रिफ्लेक्शन नहीं है । असलियत बताई है उन्होंने तो और असलियत बताना हो रिफ्लेक्शन है तो इस रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्शन के नाते डिस्कस किया जा सकता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे प्रस्ताव के सम्बन्ध में मेरा तर्क यह है कि जो रिपोर्ट पेश हुई है सिलेक्ट कमेटी की, उसके कुछ एक मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इसी विधान सभा ने एक राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया है जिसके अन्तर्गत जयपुर में उसका हैड ऑफिस है । हम जोधपुर विश्वविद्यालय के लिये नया विधेयक पारित करने जा रहे हैं । मैं पूछना चाहूँगा कि जो विश्वविद्यालय १५ सालों से यहां चल रहा है उसके एक्ट के प्रावधानों को छोड़कर इस जोधपुरवाले विधेयक में नये या अन्य प्रावधान रखने की क्या आवश्यकता है ? कौनसा पीक्यूलियर फीचर जोधपुर यूनिवर्सिटी का है कि दोनों के प्रावधानों में इतना अन्तर है ? क्या कारण है इसका ? वे ही प्रोविज़न्स

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इसमें क्यों नहीं इन्कॉर्पोरेट किये गये ? जैसे उदाहरण के लिये कहना चाहूँगा कि राजस्थान की यूनिवर्सिटी में विज़िटर की व्यवस्था है और विज़िटर राष्ट्रपति को माना है, जब कि जोधपुर के लिए यह नहीं रखा गया। तो क्या आप राष्ट्रपति को विज़िटर के योग्य वहां नहीं मानते ? अगर ऐसा है तो वहां भी ऐसा ही प्रावधान करते। हमने जोधपुर के सारी विज़िटर की पॉवर्स अपने चांसलर, राज्यपाल को दी है। मैं नहीं कहता कि वे अयोग्य हैं, यह कहने का मेरा मतलब नहीं है। पर एक विज़िटर का जो पद है, सार्वभौम सत्ता जिसमें निहित है उसको क्यों नहीं दिया गया ? दोनों में यह परिवर्तन करने की कौनसी आवश्यकता है ?

इसके अतिरिक्त और भी प्रश्न है। हमारे यहां यूनिवर्सिटी में वाइस चान्सलर का पद सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अपोइन्टमेन्ट का जो तरीका जयपुर के लिए है वही जोधपुर के लिए क्यों नहीं रखा गया ? सभापति महोदय, मैं इस क्लॉज़ १२ की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें लिखा है कि इसके अपोइन्टमेन्ट के लिए सिलेक्शन कमेटी बनेगी :

"The Vice Chancellor shall be appointed by the Chancellor in the following manner:

A committee of three persons, two of whom shall be persons not connected with the University or any of the affiliated Colleges, recognised schools or approved institutions, nominated by the Syndicate."

यह प्रावधान इसमें है। सिन्डीकेट एक व्यक्ति को नोमीनेट करे और वह व्यक्ति वह होगा जो किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी एफीलियेटेड कॉलेज, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इन्स्टीट्यूशन से सम्बन्धित नहीं होगा। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि नये विधेयक का जो क्लॉज़ है उसमें साफ तौर से लिखा है कि जो वाइस चान्सलर होगा :--

"He shall be appointed by a selection Committee consisting of the following:—

(i) a person nominated by the Syndicate."

कौन सा पर्सन ? एफीलियेटेड कॉलेज का, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल का, यूनिवर्सिटी से संबंधित आदमी हो सकता है क्या ? अगर नहीं हो सकता तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारी परिस्थितियों में वाइस चान्सलर का अपोइन्टमेन्ट जो इतना महत्वपूर्ण है he is the Chief Executive Authority of the University; उसके संबंध में आपने यह वेरियेशन क्यों किया ? इसके लिए क्या कारण था ? इसके अतिरिक्त सभापति महोदय, एक बहुत ही गम्भीर बात है वह यह है कि वाइस चान्सलर का अपोइन्टमेन्ट ३ साल के लिए होगा और वाइस चान्सलर का अपोइन्टमेन्ट····

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, शिक्षा) : Point of order, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बाद में जवाब देदें।

श्री परसराम मदेरणा : No, no. I am not going to reply. I am raising a point of order.

(श्री परसराम मदेरणा)

चेयरमैन महोदय, मैं आपका ध्यान रूल २६२ की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। उसके सब-क्लॉज़ (३) में लिखा है :—

"(3) If the Speaker is of opinion that a motion for re-committal of a Bill to a Select Committee of the House or circulation or re-circulation of the Bill after the Select Committee of the House has reported thereon, is in the nature of a dilatory motion in abuse of the rules of the House in as much as the Select Committee of the Houses has dealt with the Bill in a proper manner or that no unforseen or new circumstance has arisen since the Bill emerged from such Committee, he may forthwith put the question thereon or decline to propose the questions".

तो माननीय सदस्य जिन मुद्दों को उठा रहे हैं सिलेक्ट कमेटी ने विस्तारपूर्वक उन पर विचार किया है और सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद ऐसे कोई अनफोर्सीन सरकमस्टान्सेज़ अराइज़ नहीं हुए हैं जिससे कि डिबेट परमिट की जाय। So my request is that this motion be forthwith put to question.

श्री सभापति : यह जो आपत्ति उठाई गई है, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को मोशन रखने का राइट है और यह डाइलेटरी मोशन नहीं है, इसलिए आपकी आपत्ति अस्वीकार करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं उप-मंत्री महोदय को विश्वास दिलाता हूं कि जिस जोधपुर में आप विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहते हैं तो मेरी भी मान्यता है कि उसकी स्थापना होनी चाहिए। मैं कानून में किसी प्रकार की बाधा नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं तो मदद करने की चेष्टा कर रहा हूं और उनसे ज्यादा मैं समर्थक इस बात का हूं कि जोधपुर के विकास के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना हो। लेकिन ऐसी जल्दी करने की क्या आवश्यकता है ? यह तो उस बूढ़ी दादी वाली बात हुई जो कहती है कि मेरे मरने से पहले सबके विवाह हो जायें, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं कहता हूं कि आप नाबालिगों के विवाह मत कीजिए, जैसे बूढ़ी दादी करती है। इसलिए आप इस कानून को अच्छी तरह से देखिये, इसमें कमी खामियां न रह जायें।

मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वाइस चान्सलर के री-अपोइन्टमेन्ट के बारे में लिखा है कि वाइस चान्सलर ३ साल के बाद री-अपोइन्ट हो सकेगा। लेकिन जो आपका पुराना कानून राजस्थान यूनिवर्सिटी का है उसको आपने पढ़ा नहीं, वाइसचान्सलर का अपोइन्टमेन्ट कर दिया without the recommendation of the Syndicate और उसके बाद में हाईकोर्ट में रिट पिटीशन हुई और उसका नतीजा यह हुआ कि जो अपोइन्टमेन्ट का प्रोसीजर है वही फोलो किया जाये और उसको फोलो नहीं किया गया इसलिए रिट पिटीशन मन्जूर होनेवाली थी कि राजस्थान सरकार ने उसमें अमेन्डमेन्ट किया और वह अमेन्डमेन्ट यह किया कि री-अपोइन्टमेन्ट के बारे में वह प्रोसीजर फोलो नहीं किया जायेगा। लेकिन इस नये बिल में जो कि जोधपुर यूनिवर्सिटी के बारे में है उसमें यह तो लिख

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दिया कि री-अपोइन्टमेन्ट हो सकेगा लेकिन रीअपोइन्टमेन्ट के लिए अपोइन्टमेन्ट वाले प्रोसीजर को फोलो नहीं किया जायेगा। इसका मतलब यह होगा कि रीपोइन्टमेन्ट के सिलसिले में आपको फिर वही प्रोसीजर बनाना पड़ेगा और सिलेक्शन कमेटी बनानी पड़ेगी और फिर वाइस चान्सलर का अपोइन्टमेन्ट हो सकेगा। लेकिन अमेन्डमेन्ट कौन पढ़े, क्योंकि अमेन्डमेन्ट इसके साथ रखा हुआ नहीं है, वह अलग रखा है ? अब इस कानून को पढ़ना और अमेन्डमेन्ट को पढ़ना माननीय मंत्री महोदय से तो आशा नहीं करते लेकिन जो उप-मंत्री हैं वह तो कानून के जानकार हैं उनसे तो हम आशा रखते हैं कि कानून की जानकारी रखते हैं। माननीय मन्त्री महोदय तो लॉजिक पर बात करते हैं और उप-मंत्री महोदय लीगल पर....

श्री भैरोंसिंह : यह तो सारा राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने कर लिया था।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपकी बड़ी कृपा है मुझ पर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अन्दर री-अपोइन्टमेन्ट के टाइम पर अपोइन्टमेन्टवाला प्रोसीजर फोलो करने के कारण रिट हुई थी और उसके बाद में कानून में संशोधन हुआ। अगर आप चाहें तो मैं पढ़ कर सुना देता हूं "... be re-appointed by the Chancellor on the recommendation of the.... and for such re-appointment it shall not be necessary that the procedure laid down in clause (1) is followed." यह अमेन्डमेन्ट करना पड़ा और इस अमेन्डमेन्ट के साथ आपने इस क्लॉज़ ११ में नहीं बनाया। इसका मतलब यह होगा कि री-अपोइन्टमेन्ट के लिए फिर से अपोइन्टमेन्ट का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। या तो आप यह कहें कि हम फॉलो करना चाहते हैं और अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसमें इसको इन्कॉर्पोरेट कीजिए।

सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त एक-दो बातें और कहना चाहता हूं और वे यह हैं कि हमने इस कानून को इतना सूक्ष्म बनाया है कि इस कानून में जो प्रोविज़न्स हमें करने चाहिये थे वे नहीं किये। इसमें सभापति महोदय, मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें रजिस्ट्रार के अपोइन्टमेंट के बारे में नहीं लिखा है, डीन्स ऑफ फैकल्टीज के बारे में नहीं लिखा है, जब कि पुराने कानून में लिखा है कि रजिस्ट्रार का अपोइन्टमेन्ट का क्या तरीका होगा, डीन्स ऑफ फैकल्टीज के अपोइन्टमेंट के बारे में क्या तरीका होगा और आपने यह नहीं लिखा कि सीनेट किस प्रकार से कॉन्स्टीट्यूटेड होगी, किस प्रकार से उसकी मीटिंग होगी, क्या फक्शन्स होंगे, सिन्डीकेट के क्या फन्क्शन्स होंगे। अकेडेमिक कौंसिल के बारे में नहीं लिखा, फाइनेन्स कमेटी के बारे में नहीं लिखा, कमेटी ऑफ कोर्सेज़ के बारे में नहीं लिखा; बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के बारे में नहीं लिखा; पब्लिकेशन बोर्ड के बारे में भी नहीं लिखा, बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में नहीं लिखा, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के बारे में नहीं लिखा।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ये सारी व्यवस्थायें जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के कानून में हैं जोधपुर यूनिवर्सिटी बिल के अन्दर इनकी व्यवस्था क्यों नहीं की ? क्या सीनेट की जरूरत नहीं है, क्या सिन्डीकेट की जरूरत नहीं है, अकेडेमिक कौंसिल की जरूरत नहीं है, क्या फाइनेन्स कमेटी की जरूरत नहीं है, क्या कमेटी ऑफ कोर्सेज़ की जरूरत नहीं है, क्या बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल की जरूरत नहीं है, क्या बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की जरूरत नहीं है ? अगर वे सारी जरूरतें हैं तो फिर आपने यह छोटा सा कानून क्यों बना दिया है ? इसको जल्दी में पास क्यों कराना चाहते हैं ? मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सारे के सारे प्रोविज़न्स इसमें इन्कोर्पोरेट किये जायें। सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि जब तक इन सारे प्रोविज़न्स को इन्कोर्पोरेट नहीं करेंगे तब तक इस दृष्टि से यह कानून अधूरा रहेगा। हमारी सीनेट किस प्रकार से बनेगी, इसी एक बात पर चार-चार पन्ने हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी के कानून में लिखे हुए हैं। पहले के कानून में ये सारी बातें पूरी तरह से लिखी हुई हैं तब पहले वाली विधान सभा ने यह कानून पारित किया है । अगर ये सारी बातें नहीं लिखते हैं तो सिर्फ आप कानून में इतना सा लिख दें कि एक सिन्डीकेट बनेगी, यह बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल बनेगा, अकेडेमिक कौंसिल होगी । आखिर सारे अधिकार आप लेना चाहते हैं तो कानून में लिख दिया जाये कि ये ये अधिकार दे दिये जायें तो विधान सभा आपको अधिकार दे देगी कि जोधपुर में विश्वविद्यालय, जैसी इच्छा हो, वैसा करें और चार लाइन लिखकर ही कानून बना दें। अगर आप कानून ही बनाना चाहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कानून कानून के ढंग से बनाना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों से इतना कहना चाहूँगा कि पहले केवल एक्ट ही नहीं बनाया; बल्कि एक्ट के साथ में स्टेच्यूट्स भी बनाये हैं और सारी यूनिवर्सिटी का रेगुलेशन होता है वह इस कानून के साथ लगाया और उन्होंने लिखा कि स्टेच्यूट्स क्या क्या होंगे जो कि इसके शिड्यूल में लिखे हैं। The first statutes of Univesity were apponded with the Act itself in the House और फिर उसके ऊपर विचार किया गया। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि पहले फर्स्ट स्टेच्यूट्स बनाने का अधिकार दिया गया है। मैं पूछना चाहूंगा कि आपके स्टेच्यूट्स तैयार हैं, अगर नहीं तैयार हैं तो मैं पूछना चाहूंगा तैयार नहीं करने के क्या कारण हैं ? आप सीनेट कैसे बनायेंगे, सारे अपोइन्टमेन्ट्स कैसे करेंगे ? स्टेच्यूट्स नहीं बनाये। आपको कानून पास कराने की जल्दी है।

(१२.० मध्यान्ह)

मैं सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूँ, यह जो कुछ भी कानून है, इसके अनेक क्लॉज़ेज़ की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है, केवल सूक्ष्म हवाला दिया है, संकेत दिया है लेकिन उनके बारे में किसी प्रकार का न तो नियंत्रण किया है और न व्यवस्था ही की है।

मैं इसके अतिरिक्त एक बात और कहना चाहूंगा कि हमने इसमें जबर्दस्त बात लिख दी है वह यह है कि इसके कॉन्स्टीट्यूशन के बारे में, क्लॉज़ ३१ में लिखा है इस कानून में :-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

"31. Disputes as to constitution of University Authorities and Bodies:- If any question arises whether any person has been duly elected, or appointed, or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final and shall not be liable to be questioned in any court of law."

सभापति महोदय, हमने हिन्दुस्तान का संविधान स्वीकार किया और हिन्दुस्तान के संविधान के अनुसार ३ मुख्य ब्रान्चेज़ रखीं; एक एग्ज़ीक्यूटिव, दूसरी लेजिस्लेचर और तीसरी जुडिशियरी। हमारी जुडिशियरी की पवित्रता के विषय में देश के कानून ने माना है कि किसी भी आदमी के खिलाफ अन्याय हुआ है, किसी को एग्ज़ीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के खिलाफ शिकायत है तो वह अदालत में जा सकता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि विधान के अनुसार राजस्थान की विधान सभा को यहां के लिये कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इसके खिलाफ भी अदालत में जाया जा सकता है। कोई यह कह सकता है कि इस विधान सभा ने जो कानून पास किया है वह संविधान के अनुसार ठीक नहीं है, गैर कानूनी है तो वह अदालत में जा सकता है। आप किसी कानून की दृष्टि से किसी आदमी को अपोइन्ट करें। विश्वविद्यालय जो शिक्षा का केन्द्र है, उसके अन्तर्गत विद्यार्थियों के भाग्य का, उनके भावी जीवन का काम निर्धारित करनेवाले हैं वहां पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति गलत ढंग से की जाय और उसके लिये कोई अदालत में नहीं जा सकता, यह कैसी बात है? जो न्यायालय न्याय के केन्द्र हैं, न्याय मंदिर हैं उन न्याय मंदिरों को इस विश्वविद्यालय के एग्ज़ीक्यूटिव अपोइन्टमेन्ट्स के लिये बन्द कर दिया जायगा, विशेष कर उन व्यक्तियों के लिये, जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं अपने अधिकार के जरिये। राजस्थान सरकार को एक प्रकार का भीनिया हो गया है जो अदालतों के दायरे से इस प्रकार के कानूनों को टेम्पर करती चली जा रही है। कानून में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी है कि अदालत में नहीं जा सकते। एक नहीं, और भी कानूनों में इस प्रकार की बात की है। इतना ही नहीं, मैं समझ लेता अपोइन्टमेन्ट्स की बात है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार को अधिकार दिया है कि यदि आप किसी प्रकार की डिफिकल्टी महसूस करें जोधपुर यूनिवर्सिटी के बारे में, यदि कोई डिफिकल्टी आवे ट्रान्ज़ीशनल पीरियड में तो क्लॉज़ ३९ में राजस्थान सरकार को अधिकार दिया है कि वह कोई भी आज्ञा जारी कर सकती है, जिससे इस कानून में संशोधन हो सकें। इस कानून में संशोधन करने के लिये राजस्थान सरकार आज्ञा निकाल सकती है। कानून बनाने का अधिकार विधान सभा को, संशोधन लाने, बदलने का या रद्द करने का अधिकार विधान सभा को, कानून को लागू किस ढंग से करना, यह भी अधिकार विधान सभा को है और यह जो अधिकार विधान सभा को कॉन्स्टीट्यूशन ने दिया है उसको राजस्थान सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है और यह कहती है कि जिस प्रकार की आज्ञा जारी करे उसी प्रकार से कानून में संशोधन

Page No. 82

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हो। आपको क्या डिफिकल्टी आ सकती है और उसके बारे में पहले मान कर क्यों चलते हैं और जो मान कर चल रहे हैं उसके सम्बन्ध में विधान सभा को जो लेजिस्लेटिव पॉवर्स हैं उनको राजस्थान सरकार अपने हाथ में क्यों लेना चाहती है कि जिस प्रकार चाहें उस प्रकार की आज्ञा जारी कर दे? यह एक एक्स्ट्राऑर्डिनेरी पॉवर है जो विधान सभा को सरकार को नहीं देना चाहिये। मैं चाहूंगा कि जो डिफिकल्टीज़ हैं उनको सदन के सामने रखिये, सदन उन पर विचार करेगा और विचार करके यहां पर कानून में संशोधन करेगा। लेकिन आपने इस प्रकार से कंडीशन्स क्यों फ्रेम की? पता नहीं, आपको क्या जल्दी है? क्या यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने रुपये देने का वायदा किया है या किसी सेठ ने वायदा किया है कि ५० लाख रुपये देने वाले हैं? राजस्थान का भला होता हो तो इस प्रकार का विश्वविद्यालय का कानून बना दीजिये।

कल आपत्ति उठाई थी कि कन्सोलिडेटेड फंड में से इसमें क्या खर्चा होगा, कृषि विश्व-विद्यालय के संबंध में आपत्ति उठाई थी, मैं भी इसकी जानकारी चाहूंगा। सरकार के पास एक पैसा भी खर्च करने को नहीं है। कानून बना हुआ पड़ा रहेगा जब तक कि सेन्टर से ग्रान्ट नहीं मिल जाती। अलबत्ता यह अंदेशा हो सकता है कि कहीं बहुमत बदल जाय और गवर्नमेन्ट इधर से उधर हो जाय तो कहीं यूनिवर्सिटी की सीट इधर से उधर न हो जाय, इसलिये शायद जल्दी है।

सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा कोई कानून बनाती है और कोई व्यक्ति उसके कॉन्स्टीट्यूशन को चैलेन्ज करना चाहे तो उसके लिये राजस्थान हाईकोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन आप कहते हैं कि विधान सभा के लेजिस्लेटिव पॉवर्स को, जहां तक इस कानून का ताल्लुक है, सरकार अपने अधिकार में लेगी और आज्ञा जारी करेगी। उसकी विज्ञप्ति के बारे में कोई चिन्ता नहीं, किस डिक्टेटोरियल व्यवस्था की ओर जा रहे हैं, किस प्रकार से अधिकार आप लेना चाहते हैं और वे भी उस कानून में जिसके द्वारा शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों का चरित्र बनाना चाहते हैं। क्या आप उसका इस प्रकार का कैरेक्टर निर्माण करना चाहते हैं जो डिक्टेटो-रियल हो? जिस आधार पर मंत्रीजी यह देख रहे हैं कि शायद क्लॉज़ ३९ में ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप ध्यान से देखिये, क्लॉज़ ३९ (२) में लिखा है:

"(2) No order made under sub-section (1) shall be questioned in any court of law on the ground that no difficulty as is referred to in the said sub-section existed or was required to be removed."

डिफिकल्टी हो या न हो, हमने महसूस किया कि डिफिकल्टी है, परेशानी है तो आज्ञा जारी कर देंगे। लेकिन सरकार कहती है कि ऐसी परेशानियां, मुसीबतें या डिफिकल्टीज़ न हों, फिर भी आज्ञा जारी कर देंगे बहक में आकर, तो भी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। मैं कहता हूँ कि आपके विश्व विद्यालय में क्या कमियां हैं? यदि कमियां हैं तो यह एक्ट कम्प्लीट नहीं है, यह लूला-लंगड़ा है, इसके प्रोविज़न्स सेल्फ कन्टेन्ड नहीं

Page No. 83

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं। जैसा कि कांकरोली से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा था कि ये सेल्फ कन्टेन्ड है, मैं उन्हीं से पूछता हूं कि उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय विधेयक पढ़ा होगा और जोधपुर विश्वविद्यालय बिल के लिए जो प्रवर समिति थी उसके सदस्य के नाते इस पर विचार किया है, जिस क्लॉज़ की ओर संकेत किया है, मैं क्लॉज़ बता सकता हूँ पुराने और नये की, क्या उसकी नीति है, उसकी कोई व्याख्या नहीं, फिर यह कैसे सेल्फ कन्टेन्ड है? जोधपुर विश्वविद्यालय कानून बनाना चाहते हैं जो सेल्फ कन्टेन्ड नहीं है, क्या स्टेच्यूट के अन्दर रेगुलेशन, नियमन करना चाहते हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की परिस्थिति ठीक नहीं है। हम जोधपुर के लोगों को कह सकते हैं, उप-मंत्रीजी उनको कह सकते हैं कि हमने विश्वविद्यालय के लिए कानून बनाया है, लेकिन यदि कानून पढ़ने वाले देखेंगे, प्रोफेसर्स देखेंगे, डीन्स ऑफ फैक्ल्टीज़ देखेंगे और आगे आनेवाले वाइस चान्सलर्स देखेंगे तो क्या कहेंगे और राजस्थान....

श्री निरन्जननाथ आचार्य (राजसमन्द) ; It is not a question before the House what the people outside the House will think about the Bill. That is not the question before the House.

एक माननीय सदस्य : We cannot take that into consideration.

श्री भैरोंसिंह : We are the representatives of the masses outside the House.

श्री रामानन्द अग्रवाल : If the Hon'ble Members do not keep the masses outside the House in view while doing their work, I don't think they are discharging their duties properly.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : It has been the practice of the House and there are observations of the Chair also.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था इस दृष्टि से कि जो यह व्यवस्था हमने इसमें की है, मैंने कानून के कुछ मुद्दे या कहना चाहिये एक विधेयक या अधिनियम जिस प्रकार का बनाना चाहिये और इसमें जो कमियें हैं वे मैंने सदन में रखी। न मैं सदन में इस दृष्टि से बात लाना चाहता हूं कि बड़े बड़े एज्युकेशनिस्ट्स की क्या राय है, यह बड़े विवाद का विषय बन सकता है। जोधपुर में विश्वविद्यालय हो, और स्थानों पर भी विश्वविद्यालय हों, उस पर मेरी आपत्ति नहीं है। लेकिन नोट ऑफ डिसेन्ट पर भी विचार किया होगा। आखिर जोधपुर विश्वविद्यालय टीचिंग यूनिवर्सिटी है, एफिलियेटिंग है या टीचिंग कम एफिलियेटिंग है, क्या है? किस प्रकार का कैरेक्टर है इसका, आपने उसकी सीमा निर्धारित की है कि जोधपुर म्युनिसिपेलिटी की जो लिमिट है, उस जोधपुर नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत यह यूनिवर्सिटी जोधपुर में काम करेगी। यह यूनिवर्सिटी टीचिंग यूनिवर्सिटी है अफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी है, रेज़ीडेन्शियल यूनिवर्सिटी है, क्या है? बाद में आप एरिया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बढ़ाने के बारे में नोटीफिकेशन इश्यू करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं सभापति महोदय, स्टेट गवर्नमेन्ट इसके बारे में सोचती और जैसी कल मांग की गई थी, अगर आप विचार करते तो इसमें कई प्रकार के सुझाव आ सकते थे, बड़े बड़े एजूकेशनिस्ट्स हैं, उनके सुझाव आ सकते थे कि यह टीचिंग यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, रेज़िडेन्शियल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, या अफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जोधपुर का जो डेवलपमेन्ट किया जा रहा है वह जोधपुर का डेवलपमेन्ट किया जाना चाहिए, लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि जोधपुर, उदयपुर में रेज़िडेन्शियल यूनिवर्सिटीज़ बनें, लेकिन अजमेर में एक अफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी कायम कर दें। राजस्थान की जो पोटेन्शियलिटी है और राजस्थान में जो एजूकेशनल फील्ड फैक्टर उसको देखते हुए कहां कहां किस किस प्रकार की यूनिवर्सिटी हो सकती है, राजस्थान के कन्सोलिडेटेड फण्ड पर कितना भार पड़ सकता है, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन कितनी ग्रान्ट देने को तैयार है और राजस्थान के जितने प्रमुख केन्द्र हैं, जिनमें विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय, कहां कहां किस किस प्रकार की यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाय, इन सब बातों पर एक बार ही विचार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के दिमाग में कोई बात आई और एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने के बारे में विचार कर लिया। अगर प्लान्ड इकोनोमी के दिनों में प्लानिंग के आधार पर इस यूनिवर्सिटी एजूकेशन को आगे नहीं बढ़ाया तो मैं कहना चाहता हूं, यह बात सिर्फ मैं ही नहीं कहता, सब इस बात को कहते हैं कि क्वांन्टिटी यूनिवर्सिटी की आप बढ़ा देंगे, लेकिन हमें विचार करना है कि यूनिवर्सिटी से निकलनेवाले उन छात्रों की क्वालिटी क्या है ?

आपके यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के मेम्बर श्री डी. एस. कोठारी ने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी खोलने की हविश नहीं होनी चाहिए। हमें विचार करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी से जो मेटीरियल निकल रहा है, जो स्टफ निकल रहा है, उसकी क्वालिटी किस प्रकार बढ़े। तो इसके बारे में हमें विचार करना होगा, फंड्स के बारे में हमें विचार करना होगा, स्थान के बारे में विचार करना होगा, यूनिवर्सिटी के कैरेक्टर पर विचार करना होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन साधारण विषयों पर राजस्थान सरकार ने विचार नहीं किया है, कोई विचार नहीं किया है। वह यह तक नहीं बता सकते कि इस यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर क्या है और इसलिए प्रवर समिति के सदस्यों ने नोट ऑफ डिसेन्ट दिये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारी परिस्थितियों में और आखिर वहां कॉलेजेज़ चल रहे हैं, आज इन्स्टीट्यूशन्स चल रही हैं। उनमें कोई दिक्कत नहीं आती है, इसलिए इसे किसी प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। हमने राजस्थान विश्वविद्यालय कानून पास किया है, जिसके आधार पर पन्द्रह साल से यह विश्वविद्यालय जयपुर में बारह फैकल्टीज़ का काम कर रहा है और जोधपुर में केवल दो फैकल्टीज़ हैं, ज्योलोजी और वेटरनरी की, और जयपुर में बारह फैकल्टीज़ हैं और दिन पर दिन आगे बढ़ता जा रहा है– दिन पर दिन प्रगति करता जा रहा है। वह प्रगति कानून बनाने से नहीं होगी, बल्कि उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर विचार करने से होगी।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उस पर विचार नहीं किया तो इसी तरह होगा जैसे चीन में बांध बनाते चले गये और अब जाकर सारी योजनाएं रद्द करनी पड़ीं; क्योंकि कोई प्लान बनाया नहीं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप प्लान ठीक तरह से बनयें, क्योंकि ऐसा न हो कि फिर योजनायें रद्द करनी पड़े, फिर यह न कहना पड़े कि हमने गलती कर दी है। जैसे पहले हाई स्कूल के बाद इन्टर कर दिया, फिर इन्टर को खत्म कर दिया और पी. यू. सी. कर दिया, फिर इन्टर कर दिया। अगर इस प्रकार की व्यवस्था हुई तो किसी दिन ऐसी स्थिति न आ जाय कि आप कहें कि जोधपुर में यूनिवर्सिटी आवश्यक नहीं है इसलिए बीकानेर में यह यूनिवर्सिटी बनाई जाय, या अजमेर में यूनिवर्सिटी खोली जाय। आज अजमेर के सदस्यों का सरकार में बहुमत बढ़ता जा रहा है। छः में से चार सदस्य आ गये हैं, एक डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पर हैं। केवल एक बाकी बचे हुए हैं। अजमेर का सेंट परसेन्ट रिज़ल्ट चलता आ रहा है, वे राजस्थान के मन्त्रिमण्डल पर हावी होते चले जा रहे हैं, वे सुझाव दे दें कि जोधपुर के बजाय अजमेर में यूनिवर्सिटी हो। मैं भी अजमेर के पक्ष में हूँ। अजमेर में अफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि जोधपुर में भी होनी चाहिए तो आप उस कानून में संशोधन कर दें कि उसका हैड ऑफिस जोधपुर के बजाय अजमेर में होगा। ऐसा संशोधन आ सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभापति महोदय, यह राजस्थान के फ्यूचर की बात है, इसके बारे में गम्भीरता से विचार कर लें, सोच लें कि कहां कहां यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, किस किस यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट करना है। मैं निवेदन करूं कि कोटा में परसेन्टेज ऑफ लिट्रेसी ज्यादा है। मैंने आंकड़े देखे हैं, बेसिक स्टेटिस्टिक्स ऑफ राजस्थान की किताब है १६६० की, जिसे स्टेटिक्स डिपार्टमेन्ट ने जारी किया है, उसके अन्दर जो परसन्टेज है उसमें लिट्रेसी कोटा की सबसे ज्यादा है, उससे कम बीकानेर में है। कोटा के मुकाबले, वे भी क्लेम कर सकते हैं। आज आपने डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन का ऑफिस बीकानेर में रखा है, लेकिन इससे बीकानेर के क्लेम को नहीं मिटा सकते। उसका भी क्लेम हो सकता है। इसके बारे में आप विचार कर लें कि कन्सोलिडेटेड फंड से कितना खर्च देना होगा, इस पर इकट्ठे ढंग से विचार कर लें कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहां पर एस्टेब्लिश करनी है, मेडीकल यूनिवर्सिटी कहां पर होगी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां पर होगी, कहां टीचिंग यूनिवर्सिटी होगी, कहां रेज़िडेन्शियल यूनिवर्सिटी होगी, कहां अफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी होगी। राजस्थान के पन्द्रह-बीस नक्शे एजूकेशन के फील्ड के बना लीजिये, इसके बाद विस्तृत रूप से विचार करने के लिये एक कमेटी बना दें, एक यूनिवर्सिटी क्रियेशन की कमेटी, जिसमें राजस्थान के बहुत बड़े एजूकेशनिस्ट्स हों; उसमें कोई साधारण आदमी नहीं हों, बहुत बड़े एज्युकेशनिस्ट्स हों। एक बहुत बड़े एजूकेशनिस्ट हैं, साधारण आदमी नहीं हैं, जो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट द्वारा नियुक्त फाइनेन्स कमीशन के मेम्बर रह चुके हैं, श्री एन० बी० माथुर, उन्होंने राय दी है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। उनकी राय विरोध में हो सकती है। इसके सम्बन्ध में मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। लेकिन उन्होंने इस प्रकार अनप्लान्ड वे में यूनिवर्सिटी क्रियेट करने का विरोध किया है। इसलिए

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अच्छा होता कि राजस्थान सरकार राज्य के जो बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री हैं, एज्युकेशनिस्ट्स हैं, मैं मानता हूँ कि हमारे माननीय मन्त्री शिक्षा शास्त्री हैं, लेकिन केवल हट्टूंडी विद्यालय चलाने से शिक्षा शास्त्री नहीं हो जाते, शिक्षा शास्त्री अनुभव के आधार पर होते हैं। इसलिए जो शिक्षा शास्त्री हैं, उनकी एक कमेटी बनानी चाहिए थी और उनकी राय ली जानी चाहिए थी........

श्री निरन्जननाथ आचार्य : It is a mysterious reflection, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसके सम्बन्ध में विचार करते और विचार करने के बाद राय देते कि जोधपुर में होनी चाहिये, बीकानेर में होनी चाहिए या कोटा में होनी चाहिए।

आप कितना ही सरकार का पक्ष करें, अभी नम्बर नहीं आने वाला है मिनिस्ट्री में।

(विराम)

हां, जोर पकड़ रहे हैं, धीरे धीरे।

(विराम)

मैं निवेदन करना चाहूँगा........

श्री निरन्जननाथ आचार्य : I think he is going absolutely beyond the scope of this Bill. It is a question between myself and the Chief Minister outside the House.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : But your development is within the purview of this House.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): The Hon'ble Member is very much interested about 'insides' and 'outsides'.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आप तो बैठिये।

श्री भैरोंसिंह : Because he is different 'inside' and 'outside'.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहूंगा....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : There is something wrong inside him.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : महिला सदस्यों की ओर न देखने लग जायं कि कहां से आवाज आई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बिल नई प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है, यह मूलभूत भावना के साथ रखा है। हालांकि यह विचार आया था कि इन सारे आधारों पर इस बिल का विरोध किया जा सकता था....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप बोलते हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Mr. Handa ! don't be more aesthetic in the House.

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल का विरोध कर सकता था इन आधारों पर। लेकिन मैं समझता था कि जिस प्रकार का वातावरण दो-तीन दिन तक बना, मैं नहीं चाहता था कि वह इस विधेयक पर भी बने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और वह भी मेरे हाथों से ! इसके साथ ही माननीय मुख्य मंत्रीजी और विधि मंत्रीजी ने अपील की थी कि राजस्थान में एक सद्भावना का वातावरण बनायें, उस दृष्टि से मैंने इस पर विचार किया है। मैं मानता हूँ कि जोधपुर का विकास होना चाहिए, जोधपुर में ज्यादा से ज्यादा विकास होना चाहिए और इसके लिए राज्य सरकार जो कदम उठाती है उस हर कदम का स्वागत करूंगा। वैसे जोधपुर के लोगों की यह पुरानी मांग है कि वहां पर विश्वविद्यालय होना चाहिए। इसलिए जोधपुर का विकास हो, इस बात को चाहते हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन जोधपुर का विकास छोटी-मोटी चीज देने से नहीं हो सकता है। फिर भी जोधपुर के विकास की बात राजस्थान सरकार के ध्यान में आई है और जोधपुर का विकास करने की ओर राजस्थान सरकार तत्पर हुई है, इसकी मुझे खुशी है। इसलिए मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव मैंने रखा है इसके सम्बन्ध में केवल तार्किक दृष्टि से और इस आधार पर कि इस विधेयक में कमियां रह गई हैं, इसलिए किया है। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय, वह पहला भाग मेरे प्रस्ताव का है और दूसरा भाग विशेषरूप से है कि यह उस प्रवर समिति को नहीं भेजें। इस दृष्टि से मैंने निवेदन कर दिया है। मैं आशा करता हूं कि सदन मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। इन शब्दों के साथ, सभापति महोदय, मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह झाला।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : माननीय सभापति, मेरा प्रस्ताव है कि इस विश्व विद्यालय विधेयक को जनमत के लिए प्रसारित किया जाय और वह अपनी रिपोर्ट एक माह में सदन के सामने पेश करे। मैं प्रस्ताव रखने के पहले यह सदन के समक्ष बताना चाहता हूँ कि यह मैं जब सुझाव दे रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता कि कल जैसा वातावरण उदयपुर के बारे में बना इस प्रकार का वातावरण बने। मेरा मकसद यह नहीं है कि जोधपुर में इस प्रकार विश्वविद्यालय न हो और उदयपुर में हो, कोटा में हो या बीकानेर में हो। मेरा तात्पर्य यह नहीं है। जोधपुर में यह विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन इसके पहले कि हम कोई विश्वविद्यालय बनायें, हम देखें कि एज्युकेशन के अन्दर दरअसल हमारी शिक्षा पद्धति में किस प्रकार की कमियां हैं, किस प्रकार की खामियां हैं, जिनकी पूर्ति करनी है और इस पर विचार करना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। माननीय सभापति, मैं जो मौजूदा विश्व विद्यालय जोधपुर में खोला जा रहा है, उसके पक्ष में नहीं हूँ क्योंकि वहां कोई ऐसा नया विश्वविद्यालय नहीं है....

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : उदयपुर के लिये तय करवा लीजिये।

श्री विजयसिंह झाला : मैंने पहले निवेदन किया, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि इसको उदयपुर में ले जायं। जो इस प्रकार का प्रस्ताव रखते हैं, मैं उनका विरोध करूंगा....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) :

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हम इस पक्ष में हैं कि इसको उदयपुर में खोला जाय।

श्री मोहनलाल सारस्वत : और अच्छा हो कि इसको उदयपुर ले जायं, क्योंकि उदयपुर पिछड़ा हुआ इलाका है, ये शब्द कल कहे थे। जब उदयपुर का 'डेवलपमेंट पूरा हो जाय, तब किसी दूसरे डिविज़न में होना शुरू हो।

श्री विजयसिंह भाला : अगर आप सब लोगों की ऐसी इच्छा है तो मुझे किसी प्रकार का विरोध नहीं। मैं तो इसका स्वागत करूंगा। मैं....

एक माननीय सदस्य : इनके विचार से हम सहमत नहीं। वे अपने विचार स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं।

(१२.२० म.प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

श्री विजयसिंह भाला : अगर विश्वविद्यालय उदयपुर में खोलना चाहें तो मैं उसका स्वागत करता हूँ।

उसकी सीट के बारे में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हम नया विश्वविद्यालय खोल रहे हैं और बड़ी भारी धनराशि इस पर खर्च कर रहे हैं इसलिये इस पर व्यय करने से पहले यह सोचना आवश्यक है कि हमारी शिक्षा में किस प्रकार की कमियें हैं उसकी पूर्ति भविष्य में करनी है, इसलिए जनमत लेना आवश्यक है। सभापति महोदय, अभी जो पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट प्राप्त हुई उसको देखने से यह स्पष्ट होता है कि आज हमारे यहां टेक्निकल हैन्ड्स की कमी है और उनकी पूर्ति नहीं होती। इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि हमारे यहां पर जो टेक्निकल शिक्षा की कमी है उसकी पूर्ति करें तो मैं इसका स्वागत करूंगा। अगर इसको रेज़िडेन्शियल यूनिवर्सिटी बनाते हैं और टैक्निकल ट्रेनिंग का विषय नहीं रखना चाहते हैं तो मैं यह कहूँगा कि मैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझता।

अन्त में, मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जब आप विश्वविद्यालय खोल रहे हैं तो हमारे यहां पर जो टेक्निकल शिक्षा की कमी है उसकी ओर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय का ध्यान विश्व विद्यालय के लिये जो खर्चा किया जा रहा है उसके बारे में आकर्षित करूंगा और निवेदन करूंगा कि हमें प्राइमरी एजूकेशन को और ज्यादा ध्यान देना चाहिये। मैंने इस तरफ पहले भी आपका ध्यान दिलाया और इसके बारे में कहा था कि प्राइमरी स्कूलों की संख्या बढ़ाई जावे। प्राइमरी स्कूलों की संख्या बढ़ाई है, लेकिन जो प्राइमरी स्कूलें खोली हैं उससे प्राइमरी एजूकेशन की पूर्ति नहीं होती है। वहां पर बहुत सी खामियें हैं जिनकी पूर्ति करना आवश्यक है। कई जगह पर अभी तक स्कूलें तो खुल गई हैं मगर मकानात नहीं बने हैं। आप चन्दे से धन-राशि चाहते हैं जो गरीब जनता के लिये देना मुश्किल हो जाता है। इसलिये हम किसी अनावश्यक चीज के लिये धन-राशि खर्च न करके इस कमी को पूरा करते इस विश्व विद्यालय को खोलने से पहले तो अच्छा होता। इसलिये मैं प्रस्ताव रखूंगा कि हमें बड़े बड़े इन्स्टीट्यूशन्स खोलने

(श्री विजयसिंह झाला)

से पहले ८ वीं कक्षा के लड़कों को फ्री पुस्तकें देनी चाहिये जो गरीब हों और उनको एड भी दी जावे तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा हाई स्कूलों और हायर सैकेण्डरी स्कूलों में भी बहुत खामियें हैं। इसलिये अगर इस पैसे को आप चाहते हैं कि जोधपुर में ही खर्च किया जाए तो प्राइमरी स्कूलों और मिडल स्कूलों को सुधारने में खर्च किया जावे तो ज्यादा अच्छा होगा, बनिस्बत इसके कि हम यूनिवर्सिटी खोलें।

मैं शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान हायर सैकन्डरी स्कूलों में जो पुस्तकालय हैं उनकी ओर दिलाना चाहूंगा और यह निवेदन करूंगा कि वे पुस्तकालय अधूरे हैं, उनकी पूर्ति होनी चाहिये। लेकिन अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि जो इन्स्टी॰ट्यूशन्स काम करते हैं उनमें कमियें हैं, उनको दूर करने की कोशिश नहीं करते। आपने कई स्थानों पर बिल्डिंग्ज़ बना दीं। वहां पर मिडल स्कूल नहीं खुलते, कहीं हायर सैकन्डरी स्कूल नहीं खुल सकते, जहां पर जरूरत है। मगर आप एक विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। ऐसे कई कॉलेजेज़ भी हैं जहां पर नये विषय खोले जा सकते हैं जहां पर थोड़े से विषय हैं। तो इस प्रकार के कॉलेजेज़ को खामियें भी विश्व-विद्यालय को खोलने से पहले पूरी की जा सकती हैं। इसलिये इन सारी बातों को देखते हुए, मैं प्रस्ताव रखूंगा कि इसको जनमत के लिए प्रसारित किया जावे ताकि हमारे यहां जो कमियें हैं उसे पूरा किया जा सके। एक रिपोर्ट में बताया गया कि राजस्थान में ५०० डॉक्टरों की कमी है और उस रिपोर्ट में कमी बताते हुए भी आप टैक्निकल हैन्ड्स की कमी की पूर्ति नहीं करते। इसको जनमत के लिये प्रसारित किया जावेगा तो यह विश्वविद्यालय जिस रूप में खोला जावेगा और जिस रूप में आपने रखा है आया इसकी आवश्यकता है या नहीं, जिस प्रकार कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में खोलेंगे उसी प्रकार के टैक्निकल सब्जेक्ट्स इस विश्वविद्यालय में खोले जावेंगे या नहीं, जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो सकें। बहुत सी कमियें इसमें हैं। सिलेक्ट कमेटी में रखे जाने के लिए तो बहुत सी बातें बता दी गई हैं इसलिये मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं यही निवेदन करूंगा कि इसको जनमत के लिए प्रसारित किया जाय ताकि इसमें जो भी कमियें रह गई हैं उनको दूर कर सकें। हमारे यहां टैक्नीकल इन्स्टीट्यूट की भी यूनिवर्सिटी बनी है। हमें इस विश्वविद्यालय को जोधपुर का रूप नहीं देना चाहिये, सारे राजस्थान का रूप देना चाहिये, हमें वाइड रूप देना चाहिये। हम यह नहीं चाहते कि यह यूनिवर्सिटी जोधपुर में नहीं खुले, क्योंकि वहां पर सारे राजस्थान के लोग पढ़ने आवेंगे। इसलिये आप इसके बारे में ज्यादा उत्सुक न हों, इसको जनमत के लिए प्रसारित करना आवश्यक है ताकि इसको विकसित रूप दिया जा सके।

श्री सभापति : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदय, दो प्रस्ताव सदन के सामने आये हैं। एक तो यह है कि इसको फिर से सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे और दूसरा यह है कि इसको जनमत के लिए प्रसारित किया जावे। मैं भी पहले प्रस्ताव का समर्थन

(श्री मुरलीधर व्यास)

करता हूं। दूसरा प्रस्ताव भी इसी रूप का है, इसको भी इस रूप में समर्थन करता हूं। मैं पहले प्रस्ताव का पहले समर्थन करता हूं।

सिलेक्ट कमेटी में इसको पहले भेजा गया था और फिर इसको सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जावे। इस पर आश्चर्य होगा कि ऐसी क्या बात है जिसके लिये इसको दुबारा सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किये जाने की बात है।

सबसे पहले मैं यह कहूँ कि सिलेक्ट कमेटी बनी उसके बनने के बाद में कुछ ऐसा समय रहा कि एसेम्बली की मीटिंग चल रही थी उसके साथ साथ सिलेक्ट कमेटी भी चल रही थी और बहुत से सदस्य उसमें उपस्थित नहीं हो सके, क्योंकि तीव्र गति से काम चल रहा था कि जल्दी से जल्दी यह बिल सदन में सिलेक्ट कमेटी से वापिस आवे। राजस्थान में मैं समझता हूँ कि ६ वर्षों के समय में जो भी सिलेक्ट कमेटियें बनीं उनमें से इन कमेटियों की जिनमें दो यूनिवर्सिटी बिल थे, गति जितनी तेज रही है उतनी किसी की भी नहीं रही।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपने अपने असहमति पत्र में जिक्र नहीं किया है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (राजसमन्द) : Point of order Sir,, मैं निवेदन करूंगा कि श्री सतीशचन्द्र ने भी प्रवर समिति के सम्बन्ध में कुछ कहा था, प्रवर समिति के वर्किंग के सम्बन्ध में कहा था और मैंने इस आसन से निवेदन किया था कि इसके बारे में व्यवस्था दी जानी चाहिये। इस सदन में सदन की परम्परा रही है कि प्रवर समिति की कार्यवाही पर कोई प्रकाश नहीं डाला जावे। मैं कोई रिफ्लेक्शन नहीं डालना चाहता, मगर इस तरह से माननीय सदस्य जो प्रवर समिति की कार्यवाही हुई है उसके बारे में कह रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : Point of information, Sir.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : There cannot be any point of information when there is a point of order pending before the House. इसलिए माननीय सदस्य सतीशचन्द्रजी ने जो अपने विचार रखे थे और जो माननीय सदस्य रख रहे हैं यह सिद्धान्तों के विपरीत है। इसलिये इस सम्बन्ध में व्यवस्था सदन में हैल्थी प्रेक्टिस के लिये चाहता हूं।

श्री सभापति : जहां तक श्री सतीशचन्द्र के कहने की बात का प्रश्न है, इसके लिये पहले व्यवस्था दी जा चुकी है। जहां तक श्री मुरलीधर व्यास का प्रश्न है मैं चाहूंगा कि अभी तक ये कुछ बोल नहीं पाये हैं, so the point of order raised by the Hon'ble Member from Kankroli is ruled out.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : Sir, I may correct the position.

श्री सभापति : That is the part of that. You don't represent Kankroli ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : I represent Rajsamand.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं सिलेक्ट कमेटी की कार्यवाही के बारे में नहीं कह रहा हूं। ये सारी बातें विचार करके सदन में आया नहीं और जो ठीक तरह से समय लगना चाहिये था इसको नहीं लग पाया। फिर भी मैं सबसे पहले सिलेक्ट कमेटी के सामने यह चाहता था कि उसको आर्थिक व्यवस्था क्या होगी, किस प्रकार से युनिवर्सिटी की अर्थ व्यवस्था चलेगी, आगे किस प्रकार की व्यवस्था होगी; इसके बारे में मैंने वहां पर भी जानना चाहा था और मुझे आशा है कि सदन ने यहां भी जानना चाहा परन्तु आज तक यह बात सदन के सामने नहीं आई। मैं यह सोचता हूं कि दूसरी यूनिवर्सिटी जो खुल रही है उसके अर्थ के बारे में राजस्थान सरकार यह सोचती होगी कि जो यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के जरिये सहायता मिलती है वह मिलती रहेगी और जो खर्चा कॉलेजों में लगता है, वह जैसी सरकार की मंशा है, सारे कॉलेजेज़ को यूनिवर्सिटी के अन्डर में दे दिया जावे तो उसका लाभ भी मिलेगा। अच्छी बात है, लाभ मिले। सरकार की अगर यही मंशा है, सरकार इस प्रकार से चाहती है तो सरकार के साधनों को भी इसी प्रकार की बातों से परिचित कराना चाहिए। यह मैं अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से सोच पाया हूं, परन्तु सरकार यह चाहती है या नहीं, इसके बारे में सरकार का कोई उल्लेख नहीं है। फिर भी युनिवर्सिटी का प्रश्न है। यह एक ऐसा प्रश्न नहीं है जिस पर हम गंभीरता से विचार नहीं करें कि इसका क्या स्ट्रक्चर हो, किस प्रकार की यूनिवर्सिटी कायम करना चाहते हैं। इसके बारे में स्पष्ट नीति होनी चाहिए। मैं अर्थ के बारे में देख रहा हूँ कि जयपुर की यूनिवर्सिटी है उसके अन्तर्गत कुछ कॉलेजेज़ को दिया गया है, जो कॉलेजेज़ की स्थिति पैदा हुई है उसके लिए मैं कहूँगा। छात्रों की यह स्थिति हुई है कि उनकी फीस बढ़ गई है। राजस्थान सरकार अपना मूल उद्देश्य यह बताती है कि हम यह जो शिक्षा दे रहे हैं और यूनिवर्सिटी का विकास इसलिए कर रहे हैं कि लोगों में हायर एज्युकेशन की भूख बढ़ती जा रही है उसको पूरी कर सकें और शिक्षा को ऊंचा कर सकें। जब आपका यह दृष्टिकोण है कि धीरे धीरे शिक्षा में हायर एज्युकेशन की भूख को पूरा करें और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिस आधार पर दूसरी युनिवर्सिटी है उसमें कॉलेजों को अन्तर्गत करके व्यवस्था कर रहे हैं कि जो कॉलेजों में छात्रों को सुविधा मिल रही थी, जो सरकार सुविधाएं दे रही थी, ३०० से कम वेतन पानेवाले कर्मचारियों को सहूलियतें दी जाती हैं और दूसरी भी जो सहूलियतें थीं जैसे इनकम टैक्स नहीं देते थे उनसे फीस नहीं ली जाती थी; इस तरह की कुछ बुनियादी बातें थी। राजस्थान सरकार अपनी उच्च शिक्षा को धीरे धीरे बढ़ा सकेगी, जल्दी से जल्दी आप युनिवर्सिटी खोलने के बाद इसे जारी रखेंगे या नहीं, यह ऐसा महत्वपूर्ण सवाल है कि कॉलेजेज़ के यूनिवर्सिटी के अन्डर में चले जाने के बाद में चूंकि युनिवर्सिटी एक ऐसी बॉडी है जिस पर राज्य सरकार का कोई अंकुश नहीं रहता और वह अपने ही दृष्टिकोण से काम करती है और राज्य की शिक्षा को चलायेगी, ऐसी यूनिवर्सिटी रखेंगे, कॉलेजेज़ इस प्रकार की यूनिवर्सिटी में चले जायेंगे तो मैं यह जानना चाहता हूं कि फीस का जिस प्रकार का प्रावधान है कॉलेजेज़ यूनिवर्सिटी में चले जायेंगे

Page No. 92

(श्री मुरलीधर व्यास)

तो क्या यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत सारे कॉलेजेज़ चले जायेंगे तो सरकार जो यह प्रावधान रखना चाहती है फीस बढ़ाने का तो यह रहेगा या नहीं रहेगा ? इसके बारे में सरकार को साफ दृष्टिकोण रखना चाहिये। ऐसा स्पष्टीकरण अगर नहीं किया जाता और फिर जाने के बाद फीस बढ़ाते हैं तो जो हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा छात्र शिक्षा पा सकें, उनकी शिक्षा की भूख को पूरा कर सकें, यह जो हमारा लक्ष्य है, उसको पूरा नहीं कर सकेंगे।

इस बारे में सरकार का दृष्टिकोण साफ होना चाहिये, स्पष्ट होना चाहिये। यूनिवर्सिटी बन जाने के बाद में भी वही व्यवस्था रहेगी तो इससे तो कोई भी लक्ष्य पूरा होगा नहीं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत जितने कॉलेज आयेंगे उनमें से कितने प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी में जायेंगे। हमारा खर्चा जो आज लग रहा है उससे ज्यादा होगा या कम होगा, इस पर भी हमें विचार करना चाहिये। आज हमारा दृष्टिकोण तो यह है कि यूनिवर्सिटी में जाने के बाद में अच्छे शिक्षक मिलेंगे और उन अच्छे शिक्षकों का लाभ छात्र उठा सकेंगे। आज जो कॉलेजेज़ के शिक्षकों की ग्रेड्स हैं और जो यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की ग्रेड्स हैं उनमें फर्क है कॉलेजेज़ के लेक्चरार्स को यूनिवर्सिटी में अगर नहीं लेंगे तो किस प्रकार उनका इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन की बात जो कही गई है उसका क्या नतीजा निकलेगा। पर यह जरूर कहूँगा कि आज जो खर्चा है उससे ज्यादा बढ़ जाय, आखिर पांच सौ, छः सौ छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तीन हजार रुपया प्रति वर्ष एक छात्र के पीछे खर्च करते हैं और ये सारी कॉलेजेज़ यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत आ जायेंगी तो आपका खर्चा कितना बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो आप कहेंगे कि सरकार इतना पैसा कहां से लाये, हम फीस बढ़ायेंगे।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, शिक्षा) : एक छात्र पर कितना खर्चा बताया ?

श्री मुरलीधर व्यास : यूनिवर्सिटी में ५५० छात्र होंगे और १५ लाख रुपया प्रति-वर्ष का यूनिवर्सिटी के लिये रखा है। १५ लाख को साढ़े पांच सौ में बांटिये तो करीब ३ हजार रुपया प्रति छात्र प्रति वर्ष खर्चा आयेगा।

१६५७-५८ की राजस्थान की रिपोर्ट है उसमें आंकड़े दिये हुए हैं कि कितना खर्चा यूनिवर्सिटी एज्युकेशन पर आता है। उसमें छात्र संख्या भी दी है और ५८ के हिसाब से आंकड़े बताये गये हैं, अब तो खर्चा और बढ़ा है आज कल हायर एजुकेशन का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैडिकल और इन्जीनियरिंग लाइन में हायर एज्युकेशन पर १,५०० रु० खर्चा आता है और यूनिवर्सिटी एज्युकेशन में ३ हजार रुपया प्रति वर्ष प्रति छात्र खर्चा आता है। इस स्थिति में आप ये कॉलेजेज़ यूनिवर्सिटी को सौंपते हैं तो स्वभाविक रूप से आपका खर्चा बढ़ता है कॉलेज के लेक्चरार्स का ग्रेड कम होता है और यूनिवर्सिटी के लेक्चरार्स का ग्रेड ज्यादा है; तो इस तरह आपका खर्चा निश्चित रूप से बढ़ेगा और ज्यों ज्यों खर्चा बढ़ेगा खर्च के बढ़ने के साथ साथ आपको फीस भी बढ़ानी पड़ेगी। मैं इस संबंध में भी राज्य सरकार से स्पष्टीकरण

(श्री मुरलीधर व्यास)

चाहता हूं ठीक है कि यूनिवर्सिटी एक नहीं, तीन–चार हों, जोधपुर में यूनिवर्सिटी खुले, इसका मैं विरोधी नहीं; मैं चाहता हूं कि आज इस प्रकार का ट्रेन्ड सारे विश्व में चल रहा है, इंग्लैंड में सिंगल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, अमेरिका में भी यही ट्रेन्ड है, पर वहां पर एक एक कॉलेज में चालीस, चालीस हजार लड़के पढ़ते हैं, वहां संख्या बहुत बड़ी होती है····

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं; जो अमेन्डमेन्ट्स हैं वे दो तरह के हैं। एक तो प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और दूसरा सर्कुलेट कर दिया जाय। यह आप खुद ही बताते हैं फिर सरकार के जानने की क्या बात है ? प्रवर समिति में आप आ गये। यह तकरीर कहां तक रिलेवेन्ट है ?

श्री मुरलीधर व्यास : मेरी असहमति नहीं पढ़ी है आपने।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह सजेशन लिखित आ जावेगा तो विचार कर लेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : इसका आर्थिक पहलू क्या होगा, आर्थिक जिम्मेदारी किस प्रकार राज्य पुल–ऑन करेगा और इसी बुनयादी बात को लेकर मैंने असहमति प्रकट की। या तो माननीय सदस्य ने मेरी असहमति नहीं देखी है या यों ही ऑब्जेक्शन करते हैं। फिर भी ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस पहलू को जानना चाहते थे और यही मैं अर्ज कर रहा था।

तो यह जो दूसरा दृष्टिकोण रखा है, आपका तो यह है, अगर सरकार अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दे कि छात्रों को वैसी की वैसी सुविधा मिलेगी, शिक्षा का स्तर तो ऊंचा होना चाहिये, लेकिन छात्रों की संख्या तो उसी हालत में बढ़ेगी जब कि आप सुविधा रखेंगे; नहीं तो इस बात को नोट कर लीजिये ये सुविधायें उठते हो, जो कॉलेजेज़ पर परसेन्टेज है हमारे यहां पर यह दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में अधिक है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी तो परसेन्टेज नीचे जावेगा। इसीलिए सरकार को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर देना चाहिये।

दूसरी जो मैंने असहमति प्रकट की है····

श्री सभापति : यूनिवर्सिटी का रूप।

श्री मुरलीधर व्यास : इसके सम्बन्ध में पहले भी कहा है, यह पहलू भी देख लें। दूसरा पहलू जो शिक्षा का है उसको भी देखें। आज एक ओर यूनिवर्सिटी एज्युकेशन, दूसरी ओर चाहे प्राइमरी एज्युकेशन हो, हायर सैकन्डरी एज्युकेशन हो, इसको भी हम देखें। जहां तक इसको तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखने का प्रश्न है यूनिवर्सिटी का बजट बढ़ता ही जा रहा है और आपने देखा होगा कि पहले ६४ लाख था उससे दुगुना हो गया। जितना मंजूर किया उससे अधिक खर्चा हुआ। यह परसेन्टेज यूनिवर्सिटी एज्युकेशन का बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर प्राइमरी एज्युकेशन है ····

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आप जो बोल रहे हैं एक जनरल डिबेट के

(श्री मोतीलाल चौधरी)

तौर पर बोल रहे हैं, सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर के तौर पर नहीं बोल रहे हैं ।

He was a Member of the Select Committee and he has not raised any point there.

श्री सभापति : He has raised only two points in his note of dissent. उस बारे में बता दीजिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : राज्य सरकार से घोषणा चाहते हैं ! जैसे जैसे यूनिवर्सिटी बढ़ती जावेगी, थर्ड फाइव ईयर प्लान में कम्पलसरी एज्युकेशन रखना चाहते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई असर नहीं आवेगा; बल्कि अनिवार्य शिक्षा है वह राजस्थान में जारी रहेगी; इसके लिए राज्य सरकार की घोषणा होनी चाहिये । वह नहीं होती है तो दूसरा पहलू जो है शिक्षा का कि गांव गांव में शिक्षा देना चाहते हैं, पूर्ति नहीं कर सकते हैं यह भी आर्थिक आधार पर सोच लेना चाहिये और सरकारी दृष्टिकोण को इस सम्बन्ध में स्पष्ट कर देना चाहिये ।

तीसरी बात इसी से सम्बन्धित रखना चाहता हूँ । क्लॉज़ ५ में जो रखा गया है कि पहला सलेक्ट कमेटी में देने का प्रस्ताव है उसके ऊपर कहा गया, क्लॉज़ ५ में यह क्लियर नहीं है कि जोधपुर यूनिवर्सिटी की सीमा क्या होगी ?

श्री सभापति : जोधपुर म्युनिसिपल लिमिट्स ।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : ऐसा नहीं कहा गया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : 'जोधपुर म्युनिसिपल लिमिट्स', ऐसा नहीं कहा गया है ।

श्री सभापति : कहा गया है, "Jurisdiction of the University shall extend to municipal limits of the city of Jodhpur."

(व्यवधान)

Order please !

श्री कुमारानन्द : It has not been said whether it is residential, teaching of affiliating.

श्री सभापति : That is absolutely a different question. The Hon'ble Member has raised the question that no limits have been prescribed. On that I am saying that in clause 5 the limits have been defined and they are 'Jodhpur municipal area'.

श्री मुरलीधर व्यास : पर इसमें यह भी प्रावधान दिया है कि राज्य सरकार विधान सभा में इस प्रकार से राय लेकर कि इसको जिस तारीख से करना चाहे कर सकेगी, यानी इसका स्कोप जोधपुर से है तो आगे ले जाकर इसको सारे राजस्थान के लिए कर सकती है ।

श्री सभापति : बीकानेर तक तो पहुंच जावेगी ।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो चेयर का कयास है, ऐसा नहीं होगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें यह साफ लिखा है कि कोई अधिकृत सीमा राज्य विधान

(श्री मुरलीधर व्यास)

मंडल की राय लेकर, यहां से स्वीकृति लेने पर ही किया जा सकता है । इसीलिए तो मैं कह रहा हूं । ये पॉवर्स तो ले लिये हैं। सरकार आज आपकी है । आपने इस पॉवर को लेकर आपकी क्या इच्छा है, कहां तक इसका उपयोग करेंगे; यह आपके ऊपर निर्भर करता है । यह भी कर सकते हैं कि दो यूनिवर्सिटीज़ का काम ठीक ढंग से नहीं चल रहा है इसलिए यहां से हटा कर केवल जोधपुर ही रख दिया जाय । तीसरी बात भी हो जाय । यदि जोधपुर म्युनिसिपेलिटी तक ही इसकी सीमा है तो यह इस क्लॉज़ में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो जयपुर यूनिवर्सिटी है वह सारे राजस्थान के लिए होगी और इसको जोधपुर क्षेत्र तक ही सीमित रखेंगे, और कोई परिवर्तन नहीं होगा। डेमोक्रेसी में यह अधिकार मिलने चाहिए और रखने चाहिए । लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार की कोई नीति जब तक स्पष्ट न हो तब तक कैसे होगा ।

यूनिवर्सिटी एज्युकेशन किस तारीख से एक्सपेन्ड करना चाहते हैं ? एक रिपोर्ट आयी है खोसला कमेटी की, माथुर साहब के जरिये पहले दी गई, एक यूनिवर्सिटी उदयपुर में बनेगी और दूसरी पिलानी में बनेगी, यह रिपोर्ट में कहा गया है । जब इस प्रकार का उल्लेख आता है तो इससे पता चलता है कि सरकार ने कोई न कोई नीति निर्धारित कर ली है और निर्धारित कर ली है तो यह निश्चित हो जाना चाहिए कि क्षेत्र क्या रहेगा । यूनिवर्सिटी बना लेते हैं और बिल पास कर लेते हैं और बाद में सवाल आया कि किस प्रकार करें तो आगे जाकर बड़ी कठिनाइयां खड़ी हो जावेंगी । एक चीज बन जाने पर पहले न सोचें और बाद में सोचें तो उसका नतीजा क्या होगा, इस पर विचार करना चाहिए । ठीक बात है कमेटी की रिपोर्ट के अन्तर्गत और भी बातें कही गयी हैं, उदयपुर और पिलानी में खोलेंगे । आखिर सरकार की क्या मंशा है ? यह भी कह दिया कि और भी यूनिवर्सिटी सरकार बनाना चाहेगी तो वहां बनावेगी ? आपको राजस्थान के डिवीज़नल बेसिस पर, कॉलेजों के छात्रों की संख्या के आधार पर कोई निश्चित नीति निर्धारित करनी चाहिये ।

एक नीति नहीं, यही कारण है कि इसका जबरदस्त विरोध होता है । हम देख रहे हैं कि जहां आगे यूनिवर्सिटी होने वाली है उसके लिए पहले से ही खोसला कमेटी द्वारा सिफारिश करवा दी गई कि इसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी उदयपुर में और पिलानी में होगी। आज आप जिस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, जो रिपोर्ट सदन के सामने कभी नहीं आयी, आखिर वह कमेटी किसने अपॉइन्ट की और उस कमेटी ने किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया ? इसके साथ साथ उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट रख दी और उसके साथ साथ आगे किन किन जगहों पर यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनके लिए भी उस कमेटी से रिकमन्ड करवा लिया ? आपके यहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन गई, उसके बाद में आप वहां दूसरी यूनिवर्सिटी भी कायम करवाना चाहते हैं, उसके बाद पिलानी में होगी । आखिर इसके लिए आपने क्या क्राइटेरिया मुकर्रर किया है ? आखिर इस प्रकार से सोचने का आपका आधार क्या है ? क्या आपने उस में कॉलेजेज़ की संख्या का ध्यान रखा या आपने छात्रों की संख्या का ध्यान रखा ?

(श्री मुरलीधर व्यास)

जोधपुर डिविज़न में सात जिले हैं । कॉलेजेज़ की संख्या कितनी है ? हाई स्कूल में पढ़ने वाले और हायर सेकेन्डरी में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, कॉलेजेज़ की संख्या कितनी है ? जहां तक एज्युकेशनल जॉन्स का सवाल है, बीकानेर जॉन व जोधपुर जॉन्स को देखिए । मेरे पास इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट है ५७-५८ की, उस ओर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूँ । इस रिपोर्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में कितने छात्र हैं, कितने कॉलेजज़ हैं, कितने हाई स्कूल्स और हायर सेकेन्डरी स्कूल्स हैं उन सब की सारी संख्या दी है ।

जोधपुर में सात जिले हैं........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य किस रिपोर्ट का ज़िक्र कर रहे हैं ? मेरा उनसे निवेदन यह है कि यह यूनिवर्सिटी उस क्षेत्र के म्युनिसिपल एरिया के अन्दर जो कॉलेजेज़ हैं उनसे ही ताल्लुक रखेगी; सात मील, १४ मील का सवाल नहीं है । आपको इस रिपोर्ट की रिलेवेन्सी इससे कहां तक है, यह तो आप ही अन्दाज लगा सकते हैं फ़िजूल हाउस का समय जाया होगा। आपका काम तो हो जायगा, पब्लिक ओपीनियन से रिज़ोल्यूशन पास हो जायगा तो ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं आपके सामने एक बुनियादी चीज रखना चाहता हूं । आपका जो सोचने का तरीका है, शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से सोचते हैं, आपका इसके बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिये । आपको देखना यह चाहिये कि हमने जो एज्युकेशनल जोन्स का निर्माण किया है उनमें किस जोन में कितने कॉलेजेज़ हैं, वहां छात्रों की संख्या कितनी है; उसको देखते हुए यूनिवर्सिटी कहां होनी चाहिये, यह निर्णय करना चाहिये ताकि उस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके । उदयपुर को ही देख लीजिये, जयपुर को छोड़ दीजिये; उसके बाद नम्बर बीकानेर का आता है····

श्री मोतीलाल चौधरी : एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी नहीं बन रही है ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसका स्कोप क्या होगा, आगे चल कर हम सब यह जानते हैं····

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो उस वक्त भी सम्माननीय सदस्य को बोलने का मौका मिलेगा ।

श्री सभापति : आप कृपया जल्दी समाप्त करें ।

श्री मुरलीधर व्यास : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि बीकानेर का जो जोन है उसके अन्दर हाई स्कूल छात्रों की संख्या बीस हजार है और जोधपुर में जिसके जोन के अन्दर सात जिले हैं वहां छात्रों की संख्या १२,००० है । इसी प्रकार कॉलेजेज़ की संख्या को भी लेते हैं, जैसा कि इस रिपोर्ट में दिया हुआ है बीकानेर में ज्यादा हैं जिसमें मैडिकल और वेटरनरी कॉलेज को सम्मिलित नहीं किया गया है····

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : We have no zones in Education.

श्री मोतीलाल चौधरी : कॉलेजेज़ की संख्या कितनी है ?

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर, चुरू, गंगानगर, झुंझुनू मिलाकर कॉलेजेज़ की संख्या जोधपुर से ज्यादा है।

श्री मोतीलाल चौधरी : बीकानेर जोन के अन्दर झुंझुनूं डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है, सीकर भी शामिल है; इसको भी आप ध्यान में रखें। इनको निकाल दें तो बीकानेर की संख्या कितनी रहती है ?

श्री मुरलीधर व्यास :एज्युकेशनल जॉन जो बने हैं उसी आधार पर मैं कहता हूँ कि जोधपुर से बीकानेर में कॉलेजेज़ की संख्या भी ज्यादा है, हाई स्कूल छात्रों की संख्या भी ज्यादा है ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कम्पलसरी एज्युकेशन में सब आ जायेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : हाई स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, मैं यह नहीं कहता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आप तो उदयपुर में यूनिवर्सिटी बनाने की बात कीजिये।

श्री मुरलीधर व्यास : आखिर आप कोई क्राइटेरिया तो यूनिवर्सिटी बनाने का रखते हैं, क्या आप इस प्रकार की छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ चाहते हैं तो फिर हम लोग भी बैठे हैं। इसी आधार पर आप सोचते हैं तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि फर्स्ट प्रिफरेन्स आप किसको देते हैं और किसको नहीं देते हैं। उसके बारे में भी हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिये। इस तरह से बुनियादी तीन-चार बातें हैं, यूनिवर्सिटी एज्युकेशन का एक तरीका है रीजनल बेसिस पर आप जोधपुर में, उदयपुर में, अजमेर, कोटा इन सब स्थानों पर रीजनल या रेज़ीडेन्शियल यूनिवर्सिटीज़ कायम करना चाहते हैं तो भी सरकार का इस बारे में नक्शा साफ होना चाहिये कि इस आधार पर काम होगा। उसी नक्शे के आधार पर कानून बने। इस तरीके से हम आगे बढ़ें तो किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा। लेकिन आज जिसप्रकार सरकार की प्रवृत्ति चल रही है, पहले दस सालों की बात छोड़ दीजिये, अभी जो सरकार की पॉलिसी चल रही है उससे साफ है कि सत्ताधारी पक्षवाले लोग अपनी अपनी तरफ मनमानी तरीके से बिना किसी क्राइटेरिया के मनमाना काम प्रारम्भ करते जा रहे हैं; इससे सारे राजस्थान में बड़ा भारी असन्तोष होगा। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, यह असन्तोष एक दिन वह स्थिति ला सकता है जिस राजस्थान की एकता के बारे में हम सोचते हैं। यह एक बना रहे, जिससे इसका विकास हो सके। लेकिन आज जिस प्रकार की प्रवृत्ति हमारे मन्त्रिमंडल में घर करती चली जा रही है उससे विकास होना तो दूर रहा उसकी एकता नष्ट होती जा रही है। कल ही गंगानगर से आने वाले महानुभाव ने कहा था, गंगानगर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के न खोलने से वहां के लोगों में भारी असन्तोष रहा है। जोधपुर यूनिवर्सिटी का बिल हमारे सामने है। उदयपुर का प्रश्न रिपोर्ट में है ही। इस तरह इस मन्त्रिमंडल का यह दृष्टिकोण बन गया है, काम जितना भी हो; इन्हीं स्थानों पर किया जाय। पिछड़ा इलाका जैसलमेर-बीकानेर है जो उसका किसी प्रकार से भी ख्याल नहीं रखा जाता। यह जो पक्षपातपूर्ण तरीका है यही चलता रहा तो मैं कह देना चाहता हूँ कि राजस्थान की एकता

Page No. 98

(श्री मुरलीधर व्यास)

को भंग करने का आप कारण बनेंगे। आप राजस्थान की एकता चाहते हैं तो आप इस पक्षपातपूर्ण रवैये को छोड़िये, नहीं तो राजस्थान की एकता को भंग करने वाला यह मंत्रि-मंडल होगा। इसलिये मैं आपको पहले से आगाह कर देना चाहता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय....

श्री सभापति : Order ! Order !! सभा की कार्यवाही कल प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. १ बजे बृहस्पतिवार, दिनांक १० मई, १९६२ के म. पू. ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, ६ मई, १९६२)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	६८०४	क्षमा याचना।	
ग्राम राजीकावास में डाका।		नाले का निर्माण-बयाना कस्बा।	
विद्युत् निरीक्षक द्वारा जांच शुल्क लगाना।		सार्वजनिक तीर्थ स्नान पर हरिजन स्नान।	
जोधपुर पॉवर हाउस की बिजली और उसका वितरण।		निवाई-त्रौली सड़क।	
डोडा चूरा (Poppy heeds) की खरीद व फरोख्त की नीति।		सुजानगढ़-डीडवाना सड़क।	
सड़क-निर्माण।		हनुमानगढ़, नोहर और भादरा तहसीलों में कृषि कार्यों के लिए ऋण।	
सड़क-निर्माण।		सड़क-निर्माण कार्य।	
पंचों, सरपंचों व उप-सरपंचों के रिक्त स्थानों की पूर्ति।		सड़क-निर्माण कार्य।	
खेरली-नदवई सड़क के निर्माण का ठेका।		गंगानगर जिले में कत्ल की घटनायें।	
श्रमिक परिवारों के लिये पानी का प्रबन्ध।		गर्ल्स होस्टल की इमारत।	
जालोर जिले की सहकारी समितियां।		सड़क-निर्माण।	
बिजली देने की योजना।		अलवर-दिल्ली रूट का राष्ट्रीयकरण।	
सड़क-निर्माण।		सड़क-निर्माण कार्य।	
सड़क-निर्माण।		जयपुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक।	
उच्च व सर्वोच्च न्यायालय में		ब्यावर में चम्बल योजना से बिजली।	

सड़क-निर्माण।

दिनांक २-५-६२ का स्थगित प्रश्न :

खाद--विक्रय।

२. विधायी-कार्य-पुरःस्थापित किये गये विधेयक। ६८६६

निम्नांकित विधेयक, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, पुरःस्थापित किये गये:—

(१) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६२।

(२) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२।

३. राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत बनाये गये नियमों पर संशोधनों की प्रस्तुति। ६८६६

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (डिक्लेरेशन ऑफ कृषि निपुण) नियम, १९६१ पर, जो दिनांक ५ अप्रेल, १९६२ को सदन की मेज पर रखे गये थे, श्री केसरीसिंह (८९) ने अपने संशोधन प्रस्तुत किये।

४. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन तथा सदन द्वारा उस पर विचार। ६८६७

(क) श्री मथुरादास माथुर, गृह मन्त्री ने कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर अपनी सहमति भी प्रकट की गई।

५. अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर थोड़े समय के लिये चर्चा। ६८६९

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १२७ के अन्तर्गत श्री रामकिशन, ने राज्य में खाद्य पदार्थों की कीमतों के नियन्त्रण की व्यवस्था संबंधी विषय पर चर्चा उठाई।

वाद--विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:--

(१) श्री भीमसिंह।

(२) श्री नत्थीसिंह (१२५)

(३) श्री उमरावसिंह।

(४) श्री गिरधारीलाल व्यास।

(५) श्री रामानन्द अग्रवाल।

स्कम्भ

(६) श्री भैरोंसिंह ।

(७) श्री मानसिंह महार ।

वाद-विवाद का उत्तर श्री .नाथूराम मिर्धा, कृषि मन्त्री ने दिया ।

६. विधायी कार्य-विचारार्थ लिया गया विधेयक–जोधपुर विश्व विद्यालय विधेयक, १९६२' ६९४७

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, शिक्षा मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल व श्री विजयसिंह झाला ने विधेयक को

स्कम्भ

क्रमशः पुनः एक नई प्रवर समिति के सुपुर्द करने तथा जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये ।

इन प्रस्तावों पर श्री मुरलीधर व्यास ने अपने विचार व्यक्त किये ।

सदन की बैठक १ बजे, गुरुवार, दिनांक १० मई, १९६२ को प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की गई ।

गुरुवार, दिनांक १० मई, १९६२ की कार्य-सूची

जोधपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२ (पारित)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५४५ का उत्तर देखिये)

List of New Roads sanctioned during the Third Five Year Plan in District Alwar.

S. No.	Name of Work.	Proposals for IIIrd Five Year Plan	Expenditure in 1961-62	Works to be taken up during 1962-63, to the extent of Budget provision.
1	2	3	4	5
1.	Construction of Road from Rampur Village Giruri in Tehsil Bansur.	2	Nil.	Nil.
2.	Construction of Metalled road from Kotkasim to Rewari upto Rajasthan Border.	3½	Nil.	Nil.
3.	Raising formation level on Tehla-Rajgarh Road.	1	Nil.	5,000
4.	Metalled road from Ramgarh to Govindgarh.	2	Nil.	Nil.
5.	Metalled road from Mandawar to Kathumar Via Ranokar and Chosrana.	6½	Nil.	Nil.
6.	Metalled road from Bhadurpur to Marakpur Via, Naharpur and Dhankota.	1½	Nil.	Nil.
7.	Metalled road from Narainpur to Ghata Bhandrol.	2	Nil.	Nil.
8.	Metalled road from Tijara to Balwant Singh Fort upto Tonk side.	2	9,000	4,000
9.	Metalled Road from Gelpur to Bhanakar.	2	6,000	3,000.
10.	Bitumen treatment from Nangaon to Marakpur.	3½	Nil.	Nil.
11.	Construction of By-pass for Rajgarh Town.	2	Nil.	Nil.

1	2	3	4	5
12.	Metalled Road from Macheri to Karanpur Railway Station Via Rani.	2	Nil.	Nil.
13.	Approach road to Malakhera Railway Station.	1	6,000	3,000
14.	Metalled Road from Kishangarh Bas to Ganj.	½	200	5,300

List of Gross Drainage Works proposed during the IIIrd Five Year Plan in Alwar District.

	Gross Drainage Works.	Proposed Cost.
(i)	Gross Drainage Works on Tijara, Bhiwari Road.	Rs. 50,000/-
(ii)	AlwarRajgarh Road.	Rs. 1,50,000/-
(iii)	Bridge on Sabi River in mile 23 of Alwar-Behror Road.	Rs. 1,48,000/-

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ५५५ का उत्तर देखिये)

विशेष विवरण

रिट नं० ३०५।५८ आत्माराम ब्रॉदर्स, सुभाष मार्ग, जयपुर वर्सेज़ आर.टी.ए., जयपुर व अनिल बस सर्विस पेश की गई कि रिट नं० १४१।५८ मेसर्स जयपुर टायर रिट्रीडिंग कं० वर्सेज़ अपीलेट ट्रिबुनल व अन्य में गवर्नमेन्ट एडवोकेट ने यह अन्डरटेकिंग दी कि जयपुर-अजमेर मार्ग पर परमानेन्ट परमिट की दरख्वास्त जो पेन्डिंग है यह डिस्पोज़ ऑफ नहीं हो जावेगी तब तक टेम्परेरी परमिट किसी को न दिये जावेंगे और परमानेन्ट दरख्वास्त इस मार्ग पर है उन्हें शीघ्र निर्णय दिया जावेगा। आर. टी. ए. ने इस अन्डरटेकिंग की अवहेलना करके अनिल मोटर बस सर्विस को टेम्परेरी परमिट दे दिया, जिससे नाराज होकर आत्माराम एन्ड ब्रादर्स ने यह रिट आर. टी. ए. के विरुद्ध अदालत की मानहानि का मुकदमा चलाये जाने के लिए पेश की। इन्हीं कारणों पर एक दूसरी रिट जयपुर टायर रिट्रीडिंग ने पेश की कि उसी की पूर्व रिट १४१।५८ के स्पष्ट निर्णय के बावजूद भी जयपुर-अजमेर मार्ग पर कोई टेम्परेरी परमिट नहीं दिया जावेगा, अनिल बस सर्विस को एक परमिट दे दिया गया; यह अदालत की मान-हानि है और इसका मुकदमा चलाया जावे। इस प्रकार १९५८ व १९६।५८ एक ही फैक्ट्स पर उच्च न्यायालय ने आर.टी.ए. पर मुकदमा दायर करके 'कारण बताओ' नोटिस जारी किये। आर. टी. ए., जयपुर ने अपनी बैठक में १७।१२।५८ को यह प्रस्ताव पास किया कि जो अनिल बस मोटर सर्विस को परमिट देने में गलती हुई है उसके बारे में सेक्रेट्री आर. टी. ए. को अधिकार दिये जावें कि वह आर. टी. ए. की ओर से उच्च-न्यायालय में जाकर क्षमा-याचना करें। सेक्रेटरी आर. टी. ए., श्री सुगनचन्द ने १५।१।५९ को बिना शर्त उक्त दोनों मुकदमों १९५।१९५८ व १९६।५८ में क्षमा-याचना उच्च-न्यायालय के समक्ष मांगी। ता० १६।१।५९ को क्षमा प्रदान कर दी गई और कार्यवाही उच्च न्यायालय द्वारा ड्रॉप कर दी गई।

रिट केस नं० ३९४।६१ का विवरण इस प्रकार है कि आर.टी.ए., जयपुर ने श्रीमती गीतादेवी को एक टेम्परेरी परमिट २४।७।६१ को व श्री कानसिंह को एक टेम्परेरी परमिट २७।७।६१ को ब्यावर विजयनगर-श्यापुर घाटा मार्ग पर विशेष आवश्यकता होने के कारण ४।४ मास का दिया। इन दोनों व्यक्तियों के पास ४ मास का परमिट था जो अवधि समाप्त होने पर दुबारा दिया गया। इस दुबारा परमिट देने के कारण प्रार्थी रामदास बालूराम उच्च-न्यायालय में गये व उच्च न्यायालय ने तारीख २४।८।६१ को 'कारण बताओ' नोटिस आर. टी. ए. व आर. टी. ए. के मेम्बरों के विरुद्ध जारी किया, यह लिखते हुये कि उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय जनता ट्रांसपोर्ट कं० लि० वर्सेज़ आर. टी. ए., जयपुर व सिविल रेफरेन्स नं० ३९।६०, डी. बी. सिविल रिट नं० २०८।६० व मेसर्स विद्याधर ट्रांसपोर्ट

कं० व अन्य वर्सेज़ जयपुर आर. टी. ए. व अन्य, जयपुर सिविल रेफरेंन्स नं ३८।६० डी.बी. सिविल नं० २१६।६० जो कि ५।११।६० को निर्णीत हुये थे और जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि चार मास के बाद दुबारा ४ मास का परमिट आर. टी. ए. नहीं देगी इसकी अवहेलना करने पर यह मान-हानि का नोटिस उच्च न्यायालय ने जारी किया आर. टी. ओ., जयपुर ने बहैसियत ऑफिसर इन्चार्ज आर. टी. ए. की ओर से ८।१।६१ को जवाब पेश किया कि उक्त निर्णय जिसकी अवहेलना की गई बताई वह आर. टी. ए. के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और अन्त में यह भी प्रार्थना की कि यदि उच्च न्यायालय इस निर्णय पर आती है कि आर. टी. ए. जयपुर ने उनके पूर्व निर्णय की अवहेलना जानबूझ कर की है तो आर. टी. ए., जयपुर बिना शर्त क्षमा-याचना करती है ।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ का उत्तर देखिये)

MERCANTILE CO-OPERATIVE BANK LTD., JAIPUR

S. No. 1		Name of the Share Holder. 2	
1.	Shri	Tara Chand Verma.	Director.
2.	,,	Jhunni Lal Gupta.	Director.
3.	,,	Bal Chand Vaidh.	Director.
4.	,,	Vensi Mal.	Director.
5.	M/S	Radionics (Shri R. P. Agarwal)	Director.
6.	Shri	Ram Ratan Gupta.	Director.
7.	,,	G. P. Mathur.	Director.
8.	,,	Anil (Shri Terry Gon Salves)	Director.
9.	,,	Vimal Medical Stores (Shri P. C. Dewan)	Director.
10.	,,	Bilam Chandra Singhvi.	Director.
11.	,,	Chiranji Lal Vaish.	
12.	,,	Kumbh Singh.	
13.	,,	Ram Narain Sharma.	
14.	,,	Hukam Singh.	
15.	,,	Sugan Chand.	
16.	,,	Deep Chand.	
17.	,,	Suresh Chandra Sharma.	
18.	,,	Jeewat Ram Chellaram.	
19.	,,	Ghanshyam Gupta.	
20.	,,	Jaswant Singh Baggu.	
21.	,,	Om Prakash Sharma.	
22.	,,	Sedhu Ram.	
23.	,,	Kanhiya Lal Kulwal.	
24.	,,	Sita Ram Kanoogo.	
25.	,,	Rama Kishan.	
26.	,,	Bajendra Prasad.	
27.	,,	Ram Kishan Pathak.	
28.	,,	Shyam Narain Mehrotra.	
29.	,,	Mangal Singh M.L.A.	
30.	,,	Ram Niwas Mirdha.	
31.	,,	Damodar Das Khandelwal.	

1	2
32.	Shri Dwarka Nath Jha.
33.	„ Chhotey Lal.
34.	„ Milap Chand Suklecha.
35.	„ Ram Saran Mathur.
36.	„ Yogendra Prasad Agarwal.
37.	„ Khub Chand.
38.	„ Dharam Chand Suklecha.
39.	„ Kunj Behari.
40.	„ Janki Nath Temani.
41.	„ Ishwar Lal Verma.
42.	„ Ganga Prasad Sharma.
43.	„ Dhanpat Rai Sharma.
44.	„ Ramesh Chandra Sharma.
45.	„ Murli Manohar Mathur.
46.	„ Ramesh Chandra Sharma.
47.	„ Banwari Lal.
48.	„ Satish Chandra Agarwal.
49.	„ KeshriLal LalChand.
50.	„ Chiranji Lal Godika.
51.	„ Mangi Lal.
52.	„ Mali Ram Verma.
53.	„ R. S. Chinmi.
54.	„ Chand Mal.
55.	„ Rabhey Shyam.
56.	„ Jagdish Lalwani.
57.	„ Lal Chand Verma.
58.	„ Bhainroo Singh.
59.	„ Hari Narain Verma.
60.	„ Chandra Nath Sharma.
61.	„ Govind Narain Khanna.
62.	„ H. R. Bahal.
63.	„ Baboo Lal.
64.	„ Ishwar Lal Mandora.
65.	„ Sita Ram Jhalani.
66.	„ Nand Lal Samdhani.
67.	„ Hari Charan Lal Agarwal.
68.	„ Sant Ram.
69.	„ Om Prakash Nhatnagar.

1	2
70.	Shri S. N. Jain.
71.	„ Janki Vallabh Bairathi.
72.	„ Ganesh Narain.
73.	„ Devendra Prasad Agarwal.
74.	„ Shiv Narain Gupta.
75.	„ Shyam Sunder Sharma.
76.	„ Kundan Lal.
77.	„ Laxmi Devi.
78.	„ Suresh Chandra Trivedi.
79.	M/S Laxmi Trading Co.
80.	Shri Suresh Chandra Mathur.
81.	„ Chauthmal Daluram.
82.	M/S Jas Karan. Agarwal.
83.	Shri Amar Singh.
84.	„ Virendra Bahadur Raizada.
85.	„ Laxmi Swaroop Gupta.
86.	„ Thakar Kan Singh.
87.	„ Chiman Singh.
88.	„ Jaipur Gramophone House.
89.	Smt. Premlata Gupta.
90.	Shri Kashi Nath Agarwal.
91.	„ Jugal Kishore.
92.	„ Jeewan Medical Store.
93.	„ Jaipur Zila Bunkar Sahakari Sangh.
94.	„ Shyam Lal Jain.
95.	„ Abdul Rashid.
96.	„ Nitya Nand Sharma.
97.	„ D. V. Shivhare.
98.	„ Dharam Dass.
99.	„ Radha Mohan Agarwal.
100	„ Ramgopal Garg.
101	„ Sohan Lal Jain.
102	„ Ganesh Lal Jain.
103	„ Newat Ram.
104	„ Khushi Ram.
105	„ Krishna Gopal.
106	„ Ala Noor.

1	2
107	Shri R. S. Verma.
108	,, Mshesh Bhargava.
109	,, K. J. Bhargava.
110	,, P. N. Chakarwarti.
111	,, Kamla Prashad Bhargava.
112	,, RamDass Sharma.
113	,, Ram Baboo Sharma.
114	,, Mahesh Goswami.
115	,, Ram Gopal.
116	,, Hazari Lal Kaushik.
117	,, Gyanend Nath Kaushik.
118	,, Cripal Singh Negi.
119	,, Bharat Medical Stores.
120	,, Bhagwan Dass.
121	,, Krishan Kumar Pathak.
122	,, Damodar Lal Parekh.
123	,, Govind Narain Singhal.
124	,, Dalpat Raj Shah.
125	,, M. C. S. Radios.
126	,, Madan Lal Agarwal
127	M/S Adarsh Medical & General Store.
128	Shri Jaina Watch Comyany.
129	,, Moti Chand Kastiya.
130	,, Bansi Lal Agarwal.
131	,, Kapoor Chand Kulish.
132	,, Govind Narain Trivedi.
133	,, Mehtab Chand Naulakha.
134	,, Sadhu Lal.
135	,, Ghanshyam Sharma.
136	,, Krishana Chand Khandelwal.
137	,, Mohan Lal Garg.
138	,, Mangal Prassad.
139	,, Ram Kishore Gupta.
140	,, Ram Avtar Sharma.
141	,, Rameshwar Parshad Bhargava.
142	,, Devi Dass.
143.	,, K. N. Chaturvedi.
144.	,, Dharam Chand Godha.

1	2
145.	Shri Kishore Chand Singhvi.
146.	,, Baboo Lal Pati.
147.	,, Manohar Lal Jain.
148.	,, Mahaveer Prasad Khandelwal.
149.	Mrs. Vidhya Devi Trivedi.
150.	Shri Navratan Goyal.
151.	,, Jatan Lal Patra.
152.	,, Sardar Mal Bardia.
153.	,, Mool Chand Sharma.
154.	,, R. L. Sharma.
155.	,, Vijay Singh Sujanti.
156.	,, Kastoor Chand Suklecha.
157.	,, Kamal Chand Suklecha.
158.	,, Vipin Prabhakar.
159.	,, Madan Lal & Om Prakash.
160.	,, Ranveer Singh Gahlot.
161.	,, Kunjbehari lal Lohiya.
162.	,, Sobhag Chand Jain.
163.	,, C. R. Dodha.
164.	,, Chunni Lal Lalwani.
165.	,, Chauthmal Gupta.
166.	,, Nawal Kishore Kabra.
167.	,, Gopal K. Saxena
168.	Mrs. Saroj Mathur.
169.	Shri Satish Chandra Sharma.
170.	,, Ramesh Kumar Parnami.
171.	,, Gur Bachan Singh.
172.	,, Sardarmal Godha.

URBAN COOPERATIVE BANK LTD., JAIPUR.

LIST OF SHAREHOLDERS.

S. No. 1	Name of shareholder. 2	
1.	Shri Harish Chandra Golecha.	Director.
2.	,, Kastoormal.	Director.
3.	,, Ummedmal Shah.	Director.
4.	,, Abhaymal Shah.	Director.
5.	,, Hari Narain Rathi.	Director.
6.	,, Vasudeo Sharma.	Director.
7.	Smt. Chandra Kanta Golecha.	Director.
8.	Shri Manohar Singh Chaudhri.	Director.
9.	,, Nem Singh Vaidh.	Director.
10.	,, Sagarmal Bangani.	Director.
11.	Smt. Indra Mani Pathak.	Director.
12.	Shri Harish Chandra Hirawat.	
13	,, C. L. Vaish.	
14.	,, Ratan Chand Dehda.	
15.	,, Chiranji Lal Sharma.	
16.	,, Nawal Kishore Sharma.	
17.	,, Shyam Lal Kaul.	
18.	,, Hari Chandra Kothari.	
19.	,, V. N. Kak.	
20.	,, Laloo Lal Jain.	
21.	,, Ratan Lal Singhvi.	
22.	,, Chirangi Lal Dhore.	
23.	,, Umrao Mal Palecha.	
24.	,, Amar Chand Vaidh.	
25.	,, Bansidhar Sharma.	
26.	,, Shankar Lal.	
27.	,, Panna Lal Pathak.	
28.	,, Vishnu Bhagwan.	
29.	,, Bhanwar Lal Hirawat.	
30.	,, Roormal Mehta.	
31.	,, Indra Mal.	
32.	,, Jeet Mal.	
33.	,, Ghanmal Shah.	
34.	Smt. Jatan Kumari.	

1	2
35.	Shri Sobhag Mal Shah.
36.	„ Govind Singh Dilliwal.
37.	Smt. Ichraj Kanwar.
38.	„ Jorawar Kanwar.
39.	Shri Roshan Lal Dilliwal.
40.	„ Kushal Chand Surana.
41.	„ Gulab Chand.
42.	Smt. Tej Kanwar.
43.	Shri Vimal Chand Surana.

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक ६ मई, १९६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
६८०८	अन्तिम से ७	श्री भगराज चोधरी	श्री भंगराज चौधरी
६८१४	४	विद्युत् नन्जी	विद्युत् मन्त्री
६८१६–१७	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	७	बाकी हैं।	बाकी है
,,	८	पॉवर के लिये)।	पॉवर के लिये।
६८१८	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
६८१६	,,	ध्यान आकर्षित करना	तारांकित प्रश्नोत्तर
६८२१	अन्तिम से ७	नदी पग	नदी पर
६८२३	३	मेजतें	भेजते
६८२६	३	नही थे।	नहीं थे
६८२७	अन्तिमसे ११	सेन्ट्रल वैंक	सेन्ट्रल बैंक
६८२८	१०	जोधपुर वैंक	जोधपुर बैंक
,,	१८	जयकृष्ण	श्री जयकृष्ण
६८३०	६	बनाने की	बताने की
६८३४	अन्तिम से ४	लिया गगा	लिया गया
,,	अन्तिम	इन्फोमेंशन	इन्फोर्मेशन
६८३५	१७	राकिया	शकिया
६८३६	१	नहीं दी	नहीं दी
६८४०	शीर्षक	तारांकित प्रश्योत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	अन्तिम से ६	करीव	करीब
६८४६	४	कव उठेगा	कब उठेगा
६८५६	अन्तिम से ३	हो साकता।	हो सकता।

१	२	३	४
६८६६	शीर्ष	श्री हरिप्रसाद शर्मा	श्री हरिप्रसाद शर्मा
६८६६	अन्तिम से २	पदार्थों की	पदार्थों की
६८७६	६	जाती है ।	जाती हैं ।
६८७७	३	वितीय	वित्तीय
६८८०	अन्तिम से २	व्यवस्या	व्यवस्था
६६०४	शीर्षक	सदार्थों	पदार्थों
६६०६	अन्तिमसे १०	कन्ज़मर्स	कन्ज़्यूमर्स
६६११	१	सजेश स	सजेशन्स
,,	२१	इसकी नेचुनेरल	इसकी नेचुरल
६६१६	६	में	मैं
६६२३	अन्तिम से ६	पॉलिसी का	पॉलिसी को
६६२६	३	वहनी चे	वह नीचे
६६३१	अंतिमसे १२	Theire	There
६६३३	,, ८	अर्जेन्सी]	अर्जेन्सी
६६३४	३	व्योपार	व्यापार
६६४०	८	शोरोगुल	शोरगुल
,,	६	बीकार	बीकानेर
,,	अंतिम	अव्यक्ष	अध्यक्ष
६६४२	शीर्षक	कीमतों पर	कीमतों के
६६४५	अन्तिम से ६	श्री हरिराभ चौहान	श्री हरिराम चौहान
६६४८	१८	ओधार	आधार
६६४६	५	मेमोन्डम	मेमोरेन्डम
६६५०	६	कॉन्टिटीटयुएन्टस	कॉन्स्टीटयुएन्ट्स
६६५१	१६	दे सकते हैं ग्र	दे सकते हैं ग्र
६६७६	७	बनये	बनायें
६६७७	अन्तिम से ५	दी । हैं	दी है

१	२	३	४
६६७८	३	शास्त्री ! है	शास्त्री हैं,
६६८०	अन्तिम से ७	ओर दूसरा	और दूसरा
६६८१	१३	मेर ात्पर्य	मेरा तात्पर्य
६६८७	१४	सतीशन्द्रर्जा	सतीशचन्द्रजी
६६६६	६	सम्मिलिए	सम्मिलित
७०.०१	४	नायम	कायम